समसामयिकी

अप्रैल - 2017

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान 5

1.1. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 5

1.2. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 6

1.3. वापस बुलाने का अधिकार 7

1.4. तमिलनाडु में हुआ उपचुनाव रद्द 8

1.5. हिंदी भाषा का संवर्धन 8

1.6. राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान 9

1.7. IPC की धारा 295A के अंतर्गत धर्म के अपमान पर SC का निर्णय 9

1.8. यातना रोधी विधान की आवश्यकता 10

1.9. राजमार्गों के किनारे शराब पर प्रतिबन्ध 11

1.10. RTI नियम, 2017 का प्रारूप 12

1.11. राज्यपाल की भूमिका: अंतरराज्यीय परिषद 12

1.12. संसदीय समितियां 14

1.13. राष्ट्रीय लोक अदालत 14

1.14. फिल्मों की पूर्व सेंसरशिप हो या नहीं? 15

1.15. रियल एस्टेट (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2016 16

1.16. सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार में गिरावट 16

1.17. वोटर वेरिफ़ाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT) 17

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत और विश्व 19

2.1. भारत-बांग्लादेश 19

2.2. भारत-तुर्की 20

2.3. भारत-साइप्रस 21

2.4. भारत- आर्मीनिया 22

2.5. भारत-पोलैंड 22

2.6. भारत-ऑस्ट्रेलिया 23

2.7. भारत-यूरोपीय संघ 24

2.8. भारत-चीन 24

2.9. भारत-पाकिस्तान 24

2.10. भारत-अमरीका 25

2.11. तुर्की का जनमत संग्रह 25

2.12. अफगानिस्तान पर वैश्विक सम्मेलन 26

2.13. 457 वर्किंग वीजा में परिवर्तन 27

2.14. यूरेशियाई आर्थिक संघ 27

3. अर्थव्यवस्था 29

3.1 कृषि विपणन 29

3.1.1. कृषि विपणन पर मॉडल कानून का मसौदा 29

3.1.2. नीति आयोग द्वारा अनुशंसित कृषि विपणन सुधार 29

3.2. कृषि ऋण माफी 30

3.3. कागज क्षेत्रक 31

3.4. पॉवरटैक्स इंडिया 32

3.5. रेलवे क्षेत्रक में विकास 33

3.5.1. रेलवे विकास प्राधिकरण 33

3.5.2. भारतीय रेलवे की पर्यटन नीति का मसौदा 34

3.5.3. अव्यवहारिक मार्गों के लिए अनुदान 34

3.6. अवसंरचना वित्तपोषण 35

3.6.1. दीर्घावधिक वित्त बैंक 35

3.6.2. राज्यों को विदेशी ऋण के लिए अनुमति 35

3.7. FRBM की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशें 36

3.8. जनरल एंटी-अवॉयडेंस रूल्स 37

3.9. तकनीकी वस्त्र 38

3.10. रत्न और आभूषण क्षेत्रक 39

3.11. पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि करना 40

3.12. स्टार्ट-अप्स बौद्धिक सम्पदा सरंक्षण योजना 41

3.13. बिजनेस रिफार्म ऐक्शन प्लान 2017 41

3.14. ED ने 300 शेल (छद्म) फर्मों पर कड़ी कार्यवाही की 42

3.15. ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 42

3.16. विदेशी फर्मों के साथ विलय के नियम सरल किए गए 43

VISION IAS

3.17. नया कर्मचारी पेंशन योजना 43
3.18. यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 43
3.19. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग 44
3.20. आउटकम बजट 45
3.21. गत्यात्मक ईंधन मूल्य निर्धारण 45
3.22. भारतीय रिजर्व बैंक की संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई 46
4. सुरक्षा 47
4.1.डिफेन्स प्रोक्योरमेंट आर्गेनाइजेशन 47
4.2. सीमा प्रबंधन और संघर्ष विराम उल्लंघन 47
4.3. सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 49
4.4. वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा 49
4.5. रासायनिक हथियार 50
5. पर्यावरण 51
5.1. ड्राफ्ट गंगा मॉडल लॉ 51
5.2. पौधों और बीज के क्षेत्र में व्यापार को सुरक्षित करने हेतु नए वैश्विक मानक को अपनाया गया 52
5.3. हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल 53
5.4. सिटी कम्पोस्ट पॉलिसी 54
5.5. शाहतूश व्यापार 54
5.6. वृक्षवासी केकड़े की प्रजाति 54
5.7. कांग्रेस घास 55
5.8.मेसोपेलेजिक मैपिंग 55
5.9. वन अधिकारों के विरुद्ध NTCA का आदेश 56
5.10 जलवायु परिवर्तन के कारण कनाडा की नदी की प्रवाह की दिशा में परिवर्तन: अध्ययन 57
5.11 विशिष्ट महुआ वृक्ष 57
5.12. नवीकरणीय ऊर्जा: हाल में हुए विकास 58
5.12.1 2016-17 में 5,400 मेगावाट रिकॉर्ड पवन ऊर्जा का उत्पादन 58
5.12.2 पवन, सौर संसाधन: अवस्थिति 58
5.12.3 पवन ऊर्जा सुधार: भुगतान सुरक्षा 59
5.12.4 सोलर रूफटॉप्स पर कोई शुल्क नहीं 59
5.13 ओडिशा को GCF द्वारा अनुमोदित परियोजना प्राप्त हुई ... 60
5.14 कृषि क्षेत्रों पर अमोनिया हॉटस्पॉट्स 60
5.15 पराली दहन पर रोक लगाने हेतु नीति में परिवर्तन 60
5.16 सीमेंट उद्योग: प्रदूषण 61
5.17 खराई ऊंट 62
6. विज्ञान और प्राद्यौगिकी 63
6.1. अंतरिक्ष मलबे को नष्ट करने के लिए प्रयास 63
6.2. सर्वे ऑफ़ इंडिया 63
6.3. डेटा इक्सक्लुसिविटी 65
6.4. CERN द्वारा नई भौतिकी के "संकेत" 65
6.5. शरीर की गति से चार्ज होने वाला पेपर डिवाइस 66
6.6. शनि का छोटा चन्द्रमा जीवन को पोषित कर सकता है: नासा66
6.7. साइंस सिटीज स्कीम 67
6.8.सुपर प्रेशर बैलून टेक्नालजी: 68
6.9.एक्सोप्लेनेट: GJ 1132B 68
6.10. H1N1 68
6.11. BELLE II प्रोजेक्ट 69
6.12. ब्रॉबो रोबोट 70
6.13. प्रथम ग्लोबल इंटरनेट एटलस 70
6.14. नवीन ग्राफीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर 70
6.15.आँख के लेंस के सदृश स्मार्ट ग्लासेज 71
6.16. IDEAS - समस्या के निदान हेतु 1 करोड़ रु का पुरस्कार 71
7. सामाजिक 72
7.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 72
7.2. HIV/एड्स विधेयक 73
7.3. पर्टिक्युलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स 75
7.4. प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना 76
7.5. जेनेरिक दवाओं के लिए कानून 77
7.6. मानसिक स्वास्थ्य 78
7.7. शोधगंगा 79

VISION IAS

7.8. भारत ने दृष्टिहीनता की परिभाषा में परिवर्तन किया 80
7.9. बेघर परिवारों की संख्या में वृद्धि: जनगणना 2011 81
7.10. ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज 81
8. संस्कृति 83
8.1 चंपारण सत्याग्रह 83
8.2 पाषाण कला 83
8.3 दक्कन की प्राचीन धरोहरों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण 84
8.4 सिंधी भाषा 84
8.5 साहित्य अकादमी पुरस्कार 85
8.6 चेन्नाकेशव मंदिर 85
8.7 BORI द्वारा दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण 86
8.8 पाइक विद्रोह 86
9. एथिक्स 87
9.1. मेडिकल एथिक्स- डॉक्टरों पर आक्रमण 87
9.2. सेलिब्रिटी विज्ञापनकर्ताओं की जिम्मेदारी 87
10. विविध 89
10.1. VIP बीकन लाइट 89
10.2. 'भारत के वीर' वेब पोर्टल 89
10.3. असम सरकार ने दो बच्चों (टू-चाइल्ड) के नियम का प्रस्ताव रखा 89
10.4. TRAI के परामर्श पत्र पर टेलिकॉम का जवाब 90
10.5. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए डाक टिकट 90
10.6. नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम 91
10.7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 91
10.8. महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाने के लिए IIT सीटों में 20% की वृद्धि करेगा 91
10.9. उन्नत खेती-समृद्ध किसान योजना 92
10.10. वर्चुअल करेंसी रेग्युलेशन के लिए समिति 92
10.11. IndAS में ट्रांजीशन 92
10.12. सागरमाथा फ्रेंडशिप - 2017 93
10.13. मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट बम 93
10.14. फायर सेफ्टी बिल का मसौदा 93
10.15. टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी फॉर HIV 94

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017

(Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक लोकसभा द्वारा अप्रैल 2017 में पारित किया गया।

2017 के इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान

- **थर्ड पार्टी इंश्योरेंस** – 2017 के इस विधेयक में, 2016 के विधेयक (संशोधन) में उपलब्ध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए देयता पर निर्धारित ऊपरी सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
- **थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत क्षतिपूर्ति चाहने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु योजना-** 2017 का विधेयक इस योजना के अंतर्गत अर्थदंड से संबंधित प्रावधानों को हटाता है।
- **हिट एंड रन दुर्घटनाओं हेतु निधियाँ** – घायल व्यक्ति के उपचार, क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामले में घायल हुए व्यक्ति या मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना निधि का गठन किया गया है। 2016 के विधेयक में इस निधि हेतु राशि के लिए कर/उपकर के संबंध में किए गए प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- **एग्रीगेटर (aggregators) के लिए दिशानिर्देश** - राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने थे, जिसे 2017 के विधेयक में वैकल्पिक बना दिया गया है।

2016 का विधेयक एग्रीगेटर्स को डिजिटल बिचौलियों या बाजार स्थलों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें यात्रियों द्वारा परिवहन के प्रयोजन से वाहन चालकों से संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है (टैक्सी सेवाएं)।

सड़क सुरक्षा के लिए एजेंसी – 2017 का विधेयक केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान करता है (सुंदर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार)।

- **सड़क डिज़ाइन एवं अभियांत्रिकी**– 2017 का विधेयक यह प्रावधान करता है कि सड़कों की डिज़ाइन, निर्माण, या रखरखाव हेतु जिम्मेदार किसी भी ठेकेदार या परामर्शदाता को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करना होगा और सड़क दुर्घटनाओं के लिए बुरे चालकों के स्थान पर उसे भी जिम्मेदार माना जाएगा और अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
- **परेशानी मुक्त और त्वरित सेवाएं**: यह विधेयक ड्राइविंग लाइसेंसों की वैधता को बढ़ाने, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने हेतु न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- **कठोर अर्थदण्ड**: शराब पीकर वाहन चालन, खतरनाक वाहन चालन, चालकों द्वारा सुरक्षा मानदण्डों (जैसे हेलमेट पहनना इत्यादि) के गैर-अनुपालन हेतु कठोर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक ने वाहन चलाते समय पकड़े गए अल्पवयस्कों के माता-पिता के लिए तीन वर्ष का कारावास एवं साथ ही पीड़ित व्यक्ति को 10 गुना क्षतिपूर्ति प्रदान करना प्रस्तावित किया है।
- **आधार**: ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए इस संख्या की आवश्यकता है।

नए विधेयक के लाभ

- **एकीकृत दृष्टिकोण** – सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए दायित्व तय किया जा रहा है।
- **डिजिटलीकरण** – यह फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के कार्य को कठिन बनाएगा क्योंकि इसे आधार के साथ लिंक किया जाएगा एवं वाहनों का ई-पंजीकरण चोरी को हतोत्साहित करेगा एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के पंजीकरण के अंतरण (portability) की दृष्टि से सुगमता को प्रोत्साहित करेगा।
- **नियम बद्ध** – कार्यान्वित किए जाने पर, परीक्षण के बिना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना राजनेताओं सहित किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव होगा।
- **सड़क सुरक्षा** – विशेष रूप से यातायात के उल्लंघनकर्ताओं को लक्षित करते हुए कड़े दंड प्रावधानों का प्रयोग एवं प्राथमिकता क्षेत्रकों की पहचान करना सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा।

चुनौतियाँ

- यदि हम सड़क दुर्घटना के कारण होने वाले मौतों को कम करना चाहते हैं तो हमें पुलिस बल को पेशेवर और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। 2015 में इसकी संख्या 1,46,133 थी।

- राज्य सरकारों को संशोधित कानून में निर्धारित प्रशासनिक सुधारों के प्रारंभिक रोल-आउट का भी अनिवार्य रूप से निर्माण करना चाहिए, जैसे लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन जारी करना।
- रिसर्च से पता चलता है कि कठोर अर्थदंड अधिरोपित करने से सड़क के नियमों के प्रवर्तन का स्तर कम होता है। IIT दिल्ली की भारत में सड़क सुरक्षा रिपोर्ट, 2015 के अनुसार कानून का निवारक प्रभाव दंड की गंभीरता और तीव्रता एवं साथ ही साथ उल्लंघनों के लिए पकड़े जाने की उच्च संभावना की धारणा पर निर्भर करता है।

1.2. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग

(National Commission for Backward Classes)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- लोकसभा ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया है जो संविधान में **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)** को **शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग** के नाम से पुर्ननामकरण करता है।
- इसके साथ-साथ 1993 के कानून का निरसन करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 नामक एक विधेयक भी पारित किया गया।

विधेयक की विशेषताएं

- **संवैधानिक प्रस्थिति**: शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए **अनुच्छेद 338B** के अंतर्गत एक आयोग का गठन।
- **दो के स्थान पर एक सूची**: यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सूची की भाँति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी केवल एक केंद्रीय सूची का अनुबंध करता है। केन्द्र तथा राज्य पिछड़ा वर्ग सूचियों का कोई समांतर अस्तित्व नहीं होगा।
- **समावेश/बहिष्कार का निर्णय संसद द्वारा किया जाना - अनुच्छेद 342A** के अंतर्गत राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकता है। यह कार्य वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से कर सकता है। लेकिन, यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो संसद के कानून की आवश्यकता होगी।
- **विकास**: आरक्षण के अतिरिक्त इस विधेयक ने विकासात्मक आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान की है। यह शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों को सुनेगा। उल्लेखनीय है कि यह कार्य अब तक अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा सम्पन्न किया जाता रहा है।
- **शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिभाषा**: अनुच्छेद 342A के अंतर्गत "शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग" माने जाने वाले पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 366 के अंतर्गत खण्ड (26C) का समावेश।

संशोधन के लाभ

- **पारदर्शिता:** अब कार्यकारी आदेश के माध्यम से लिए जाने वाले निर्णय के बजाए संसद के माध्यम से ऐसे निर्णय लेने होंगे, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
- **राजनीतिक अवसरवाद:** गैर पिछड़ा वर्ग समुदायों द्वारा इस सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु दबाव डाले जाने के प्रति राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के मनमानेपन पर अंकुश लगेगा, क्योंकि विपक्ष सरकार पर सरलतापूर्वक दोषारोपण नहीं कर सकेगा और इस प्रकार चुनावों के दौरान जनसमर्थन प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण बढ़त नहीं प्राप्त कर सकेगा।
- **संवैधानिक प्राधिकरण:** इसे संवैधानिक प्राधिकरण का दर्जा देने से यह सुनिश्चित होगा कि अनुसूचित जाति/जनजाति आयोगों के समान अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की शिकायतों की सुनवाई करने के संबंध में इसे अधिक शक्ति प्राप्त होगी।

मुद्दे

- **गठन**: मंडल मामलें में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विशेषज्ञ निकाय के रूप में NCBC का गठन करने के मामले में NCBC अधिनियम 1993 में यह प्रावधान है कि इसका अध्यक्ष कोई पूर्व न्यायाधीश एवं सदस्य सचिव भारत सरकार का कोई सेवानिवृत सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए, एक सदस्य सामाजिक वैज्ञानिक होना चाहिए एवं दो व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष जानकारी रखने वाले होने चाहिए। नए NCBC विधेयक में विशेषज्ञ निकाय की यह विशेषता प्रदान नहीं की गई है।
- **संघीय संरचना**: यह राज्यों में चल रही आरक्षण की मांगों को संभालने की राज्य सरकार की शक्ति को कम कर देगा। इस प्रकार, यह विधेयक संघीय संरचना को प्रभावित करता है। हालांकि, इस संशोधन विधेयक को अभी राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना एवं 50% से अधिक राज्य सरकारों द्वारा पुष्ट किया जाना शेष है। यह इस मुद्दे पर राज्यों की सहमति को सुनिश्चित करेगा।
- नए NCBC की अनुशंसाएं अभी भी बाध्यकारी नहीं हैं।
- **सूची की पुनसर्मीक्षा**: अनुच्छेद 338B (5) NCBC के परामर्श से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची के आवधिक पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिदेश पर भी मौन है।

VISION IAS

- **अनुच्छेद 366 का संशोधन**: अन्य पिछड़े वर्गों की परिभाषा उनके वर्तमान सामाजिक और शैक्षणिक मापदंडों की सीमाओं से परे जाने की संभावना है।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुसार समान स्तर पर**: इस संशोधन विधेयक में पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति दोनों को भेदभाव, बहिष्कार और हिंसा की दृष्टि से एक ही लीग में सम्मिलित किया है जिसमें तर्क और ऐतिहासिक औचित्य का अभाव है।

चुनौतियाँ

- यह एक अनसुलझा प्रश्न है कि क्या राज्य इस विधेयक से सहमत होंगे। राज्यों को विश्वास में लेने की आवश्यकता होगी और यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि किसी भी प्रकार से पिछड़े वर्गों के प्रति कोई अन्याय नहीं किया जाएगा।
- मंडल मामले के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों से विचलनों को सुधारे जाने की आवश्यकता है।

1.3. वापस बुलाने का अधिकार

(Right to Recall- RTR)

वापस बुलाना मूल रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निर्वाचित अधिकारियों को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की शक्ति मतदाताओं को प्राप्त होती है।

तालिका 1: भारत में नगर निगम स्तर पर वापस बुलाने के अधिकार हेतु प्रावधान

मध्य प्रदेश, 2000

- मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47

छत्तीसगढ़, 2011

- छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 (अध्यक्ष को वापस बुलाना)

राजस्थान, 2011

- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 53 को 2011 में राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 के रूप में संशोधन किया गया था।

बिहार, 2007

- बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा 17
- स्रोत: राज्य चुनाव आयोगों के आंकड़े।

RTR की आवश्यकता क्यों?

- **जवाबदेही बढ़ाना** - वर्तमान में, यदि मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से अप्रसन्न हैं तो इस हेतु कोई उपाय विद्यमान नहीं है।
- **अंतरराष्ट्रीय अनुभव** – कनाडा के एक प्रान्त में यह विद्यमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ राज्य विशिष्ट आधारों (जैसे कदाचार या भ्रष्टाचार) पर वापस बुलाने की अनुमति देते हैं।
- **तर्क और न्याय** - दुष्कर्मों में संलग्न होने या अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल होने पर प्रतिनिधियों को चुनने की तरह ही उन्हें हटाने का भी अधिकार लोगों को प्राप्त होना चाहिए।
- **धनशक्ति की भूमिका को कम करना** - यह चुनाव अभियान में किए जाने वाले व्यय को सीमित कर सकता है, क्योंकि नैतिक रूप से डांवाडोल उम्मीदवारों द्वारा वापस बुलाए जाने के जोखिम पर विचार करते हुए व्यय कम किया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर RTR से संबंधित मुद्दे

मध्य प्रदेश में वापस बुलाने के अधिकार से संबंधित अनुभवों (जहां यह पिछले 16 वर्षों से संचालित है) ने सुधार के साथ जुड़ी हुई कुछ कार्यात्मक समस्याओं को प्रकट किया है, जैसे -

- वापस बुलाने के आधार मनमाने थे।
- जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर सत्यापन प्रक्रिया असंतोषजनक थी।
- वापस बुलाने के बाद होने वाले चुनाव में भाग लेने वाले नए मतदाताओं ने आम चुनाव में मतदान नहीं किया था।

मध्य प्रदेश में, 2000 के बाद से, नगर निगम स्तर पर वापस बुलाने संबंधी 33 चुनाव आयोजित किए गए थे, जहां पदाधिकारियों को 17 बार वापस बुलाया गया था।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर RTR से संबंधित संभावित चुनौतियाँ

- **स्थायित्व का अभाव** - यह देश को अस्थिर कर सकता है क्योंकि जहाँ भी कोई असंतोष उत्पन्न होगा लोग वापस बुलाना आरम्भ कर देंगे।
- **राजनीतिक उपकरण** – अनभिप्रेत (unintended) राजनीतिक संदेश उत्पन्न करने में इसका दुरूपयोग किया जा सकता है विशेष रूप से कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे स्थानों में जहां लोग पहले से ही अलगाव अनुभव करते हैं।

VISION IAS

- **चुनावी अनिच्छा-** उम्मीदवारों को वापस बुलाने/ खारिज करने एवं एक और चुनाव होने से चुनावी अनिच्छा उत्पन्न हो सकती है और मतदान हेतु आने वाले मतदाताओं की संख्या में कमी हो सकती है।

आगे की राह

- RTR को लागू किया जा सकता है लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ। उदाहरण के लिए RTR हेतु प्रस्ताव चुनाव के केवल 2 वर्ष के उपरांत ही आरंभ किया जाना चाहिए, इत्यादि।
- स्थानीय स्तर पर समृद्ध अनुभवों से सीख लेकर हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त विशिष्ट मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है जो यहां की राजनीतिक अस्थिरता को संकटग्रस्त न करे।

1.4. तमिलनाडु में हुआ उपचुनाव रद्द

(Bypoll Cancellation in Tamil Nadu)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 की शक्ति का प्रयोग करके चेन्नई में आर.के. नगर निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव रद्द कर दिया। यह सीट मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के उपरांत रिक्त हुयी थी।

चुनाव रद्द करने का कारण?

- मतदाताओं को लगभग 89 करोड़ रुपये तक के बड़े पैमाने पर घूस देना जिसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना असंभव हो गया था।
- दूध टोकन, मोबाइल फोन रिचार्ज कूपन, अखबार सदस्यताएँ, नो-फ्रिल बैंक खातों में नकद अंतरण एवं मोबाइल वॉलेट में भुगतान इत्यादि प्रलोभन के नए-नए तरीकों द्वारा चुनाव कानूनों का उल्लंघन।

आगे की राह

- घूसखोरी को संज्ञेय अपराध (cognizable offence) बनाना जैसा कि कानून मंत्रालय के एक मसौदा प्रस्ताव में प्रस्तावित किया गया है। यह गिरफ्तारी और पुलिस जांच के लिए अनुमति देगा।
- शीर्ष नेतृत्व और पार्टियों द्वारा चुनाव अभियानों के निरीक्षण हेतु नियुक्त प्रबंधकों को इन अवैध गतिविधियों हेतु जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- या तो सीधे व्यय या प्रचार हेतु प्राधिकृत सीमा से अधिक निर्वाचन व्यय करने पर 6 वर्ष की अवधि तक के लिए एवं व्यय का सही विवरण प्रदान न करने पर 3 वर्ष तक के लिए किसी **उम्मीदवार को अपात्र घोषित करना**। इस बात की संभावना चुनाव आयोग के आदेश में उठाई गई थी।
- **जन प्रतिनिधि अधिनियम (RPA) में संशोधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही का प्रस्ताव** – ऐसे उम्मीदवारों को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित करना जिन्हें अन्य उम्मीदवारों को घूस देने के आरोपों में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि, यह प्राकृतिक न्याय के इन सिद्धांतों के विरुद्ध है जहां दोष सिद्ध न होने तक व्यक्ति निर्दोष होता है।

1.5. हिंदी भाषा का संवर्धन

(Promotion of Hindi Language)

राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत गठित एक पैनल ने 2011 में राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की थीं। राष्ट्रपति ने इनमें से कुछ को हाल ही में कुछ अनुशंसाओं की सैधांतिक अनुमति दी है -

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने हेतु विश्वसनीय प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही सभी CBSE स्कूलों एवं KVS में दसवीं कक्षा तक हिन्दी अनिवार्य रूप से सिखाई जानी चाहिए।
- शीर्ष सरकारी पद धारण करने वाले, विशेष रूप से हिन्दी पढ़ने और बोलने में सक्षम व्यक्तियों को अपने भाषण/वक्तव्य हिन्दी में देने चाहिए।
- मंत्रालयों द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में अतिथि वक्ताओं को भी अन्य कार्यशालाओं के वक्ताओं के जैसे मानदेय दिया जाना चाहिए।
- हिंदी अनुवादकों और आकाशवाणी के सह-उदघोषकों को विदेशी भाषाओं के अनुवादकों के सामान वेतन दिया जाए।
- विभिन्न विभागों में हिंदी अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए।
- गैर हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्तर लिखने एवं साक्षात्कार देने हेतु वैकल्पिक भाषा के रूप में हिन्दी की अनुमति होनी चाहिए।
- रेलवे और एयर-इंडिया के टिकट में हिन्दी में भी सूचनाएं हों।

VISION IAS

हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का आधार

- **अनुच्छेद 351**: संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओँ से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।
- संसद एवं राज्य विधानमंडल में उपयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में क्रमश: **अनुच्छेद 120 और 210** हिन्दी में भी कार्य-संचालन करने का विकल्प प्रदान करते हैं।
- **अनुच्छेद 343** संसद को कानून के माध्यम से सरकारी काम के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा निर्धारित करने का विकल्प प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 344** राष्ट्रपति को संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग एवं अंग्रेजी के प्रयोग पर प्रतिबंध हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में संसदीय समिति गठित करने का प्रावधान प्रदान करता है।

इस आदेश का विरोध क्यों?

- यह एक और हिंदी विरोधी आंदोलन को जन्म दे सकता है।
- आलोचकों का तर्क है कि उत्तर भारत के लोग किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा को सीखने का प्रयास तक नहीं करते हैं, तो दक्षिण भारत के लोगों को किसी विशिष्ट भाषा को सीखने के लिए विवश क्यों किया जाना चाहिए।
- किसी राष्ट्र की एक ही भाषा होना आवश्यक नहीं है, उदाहरण के लिए- बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे छोटे राष्ट्रों तक में भी क्रमश: तीन एवं चार भाषाएं हैं।

1.6. राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान

(National Flag and Anthem)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय के एक नोटिस के जवाब में केंद्र सरकार ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, "राष्ट्रीय गौरव का विषय है और उस पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता।"
- SC ने यह नोटिस श्याम नारायण चौकसे की जनहित याचिका के सन्दर्भ में जारी की है। याचिका में संसद द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 51A(a)** के अंतर्गत राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान को 'परिभाषित' किए जाने या, इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को परमादेश (mandamus) की रिट जारी करने की मांग की गई है।

इससे पूर्व, इसी प्रकरण में, दिसम्बर 2016 में, SC ने सभी सिनेमाघरों को फ़िल्म के प्रारम्भ होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का निर्देश दिया था।

राष्ट्रीय प्रतीकों से सम्बन्धित कानून और नियम:

- **अनुच्छेद 51A**–संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान का पालन और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।
- **प्रिवेंशन ऑफ़ इन्सल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट, 1971: यह** संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान और उस से सम्बंधित दंड के मामलों से सम्बन्धित है। परन्तु इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 का कोई भी खंड राष्ट्रगान बजाए जाने के समय नागरिकों के खड़े होने को अनिवार्य नहीं बनाता है।
- **भारत की ध्वज संहिता 2002**: यह राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान युक्त आचरण से सम्बन्धित भारत सरकार के कार्यकारी निर्देशों का समूह है।

1.7. IPC की धारा 295A के अंतर्गत धर्म के अपमान पर SC का निर्णय

(SC Judgement on Insult to Religion Under 295A of IPC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की **धारा 295A** के अंतर्गत वर्ष 2013 में धोनी को एक पत्रिका के मुखपृष्ट पर भगवान विष्णु के रूप में चित्रित करने के मामले में एम.एस. धोनी और एक पत्रिका के सम्पादक के विरुद्ध दायर किये गये एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।

निर्णय की मुख्य विशेषताएं:

- धारा 295A में यह आवश्यक है कि कार्यवाही जानबूझकर, बिना किसी उचित कारण या बहाने के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की भावना से की गयी हो।

- यह धारा केवल धर्म के विरुद्ध अपमान के उन गम्भीर स्वरूपों पर ही लागू होती है, जिनसे कानून व्यवस्था भंग होती हो। 1957 के एक निर्णय में इसे पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।
- इस निर्णय में किसी भी समूह के धार्मिक/जातीय/सांस्कृतिक भावनाओं के अपमान से सम्बन्धित अल्प महत्त्वपूर्ण एवं छोटे मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रतिक्रियात्मक संज्ञान लेने के सन्दर्भ में भी चेतावनी दी गयी है।

निर्णय का प्रभाव:

- इससे धारा 295A की व्यक्तिपरकता (subjectivity) के कारण होने वाले दुरूपयोग में कमी आएगी, क्योंकि निर्णय में बिना किसी दुर्भावना के की गयी अनौपचारिक टिप्पणियों पर इसकी प्रासंगिकता को सम्मलित नहीं किया गया है।
- निर्णय इस धारा की सीमा को भी स्पष्ट करता है, जिससे व्यक्तियों और सार्वजनिक हस्तियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अति-उत्साही प्रशासनिक अधिकारियों (overzealous administrative authorities) से लोगों की रक्षा करने में सहायता मिलेगी।
- यह अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 में संतुलन स्थापित करता है।

धारा 295A

इस धारा में यह उल्लेख है कि जो भी भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण अभिप्राय से उकसाता या भड़काता है (लिखित या मौखिक, या संकेतों या प्रत्यक्ष या अन्य निरूपण द्वारा), अपमानित करता है, या धर्म या उस वर्ग की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने का प्रयास करता है, उसे तीन वर्ष का कारावास, या आर्थिक दंड या दोनों के साथ दंडित किया जायेगा।

1.8. यातना रोधी विधान की आवश्यकता

(Need for Anti-Torture Legislation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार को एक ऐसा व्यापक कानून पारित करने के लिए कहा है जो "यातना" (torture) को परिभाषित करे और उसके लिए दंड का प्रावधान करे।

ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों है?

- इससे प्रत्यर्पण संबंधी मामलों में तेजी आएगी और यह कार्य काफी सरल भी हो जायेगा, क्योंकि इससे अभियुक्त यातना दिए जाने का बहाना नहीं कर पाएंगे।
- यह **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत जीवन और व्यक्ति की गरिमा सम्बन्धी मूल अधिकार को संकट में पड़ने से बचाएगा और विधि के शासन को सशक्त करेगा।
- इससे हिरासत में यातना के दुरूपयोग को रोका जा सकेगा, जिसका उपयोग राज्य के अधिकारी "मानवीय अप्रतिष्ठा (human degradation)" के उपकरण के रूप में करते हैं।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे कानूनों को अपनाने हेतु मजबूती से समर्थन करता है।

यातना रोधी विधेयक 2010 के मुख्य प्रावधान:

- दोषी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह विधेयक दस वर्ष तक की कारावास की सजा का प्रावधान करता है।
- इसमें यातना को "गंभीर पीड़ा" के रूप में तथा जीवन, मानवीय अंग और मानव स्वास्थ्य के लिए एक संकट के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यातना के विरुद्ध शिकायत 6 महीने के अन्दर करनी पड़ेगी।
- न्यायालय द्वारा किसी शिकायत पर विचार करने से पूर्व उपयुक्त सरकारी (appropriate government) अनुमति आवश्यक है।

मुद्दे: यातना की परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है, क्योंकि इसमें मानसिक पीड़ा, अपराधी की भावना आदि शामिल नही है। 6 महीने की समय सीमा वर्तमान कानूनों को कमजोर बनाती है; जांच के लिए कोई स्वतंत्र प्राधिकरण नहीं है ; पीड़ितों को मुआवजे हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

सम्बन्धित कदम जो सरकार द्वारा उठाये जाने चाहिए

- भारत को **UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर** को स्वीकृति देनी चाहिए, जिस पर उसने 1997 में हस्ताक्षर किए थे। इसमें यातना को एक आपराधिक कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
- लोकसभा द्वारा 2010 में पारित एवं राज्यसभा की **सेलेक्ट कमिटी** द्वारा अनुशंसित यातना रोधी विधेयक 2010 लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- हिरासत में यातना सम्बन्धी मामलों की नियमित और प्रभावी जाँच के लिए और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक स्वतंत्र तन्त्र की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि स्वयं पुलिस द्वारा जाँच करना पक्षपातपूर्ण होगा।

VISION IAS

कानून के विरोध में तर्क:

- इस प्रकार के मामलों के लिए IPC और CrPC ही पर्याप्त हैं। (परन्तु ये विशिष्ट रूप से यातना सम्बन्धी मुद्दों के लिए नहीं हैं)
- पुलिस हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट NHRC को भेजनी आवश्यक है। (परन्तु यातना के ऐसे मामले जिनमें मृत्यु नहीं होती है उनकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। वर्ष 2015 में केवल एक तिहाई मामलों में ही न्यायिक जाँच की गयी थी।)

1.9. राजमार्गों के किनारे शराब पर प्रतिबन्ध

(Highway Liquor Ban)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 1 अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबन्ध लगा दिया है।

पृष्ठभूमि

- गैर-सरकारी संगठन ***एराईव सेफ*** ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवर्ष लगभग 1.42 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में शराब पी कर गाडी चलाने के कारण मारे जाते हैं।
- इस निर्णय में प्रतिबन्ध के आधार के रूप में सड़क सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च निकाय (apex road safety body) की सिफारिशों, केंद्र द्वारा राज्यों को जारी किये गये परामर्श और सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दरों के आंकडे प्रस्तुत किए गए हैं।
- यह निर्णय शराब की दुकानों के साथ सभी पबों और शराब परोसने वाले सभी रेस्टोरेंट पर लागू है।
- राज्यों पर भी शराब की बिक्री के लिए राजमार्गों के किनारे नए लाईसेंस प्रदान करने पर रोक लगाई है।
- इस प्रतिबन्ध का विस्तार शहरों और नगरों से होकर निकलने वाले राजमार्गों पर भी है।

भारत में सड़कों का वर्गीकरण:

- **इंडियन रोड कांग्रेस** ने भारतीय सड़कों को पांच श्रेणियों में बांटा है:
  - ✓ राष्ट्रीय राजमार्ग
  - ✓ राज्य राजमार्ग
  - ✓ प्रमुख जिला सड़कें
  - ✓ अन्य जिला सड़कें
  - ✓ ग्रामीण सड़कें
- इंडियन रोड कांग्रेस एक **अर्ध-सरकारी निकाय** है, जिसे सरकार द्वारा **जयकर समिति** की अनुशंसा पर 1934 में स्थापित किया गया था।
- सडक अभियंताओं के लिए यह एक शीर्ष संस्था है और यह नियमित रूप से चौड़ाई, प्रत्यक्ष दूरी आदि को अपडेट करती रहती है।
- 1943 की नागपुर योजना में भारतीय सड़कों को चार श्रेणियों में परिभाषित किया गया था।
- 2010 तक राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत शामिल किया जाता था।
- 2010 के बाद से **पूर्वी-उत्तरी राजमार्गों के क्रमांक को विषम संख्या** से निरुपित किया गया है और **उत्तर-दक्षिण राजमार्गों के क्रमांक को सम संख्या** से।
- सड़क के किसी भी भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में वर्गीकरण करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है ।
- राष्ट्रीय राजमार्गों की देख-रेख का उत्तरदायित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पर है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत की गई थी।
- सम्बंधित राज्यों के PWD विभागों पर अपने राज्यों के राजमार्गों की देखरेख का उत्तरदायित्व है।

प्रतिबन्ध के निहितार्थ:

- इसके कारण नौकरियां जा सकती हैं और रियल-एस्टेट क्षेत्र की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।
- इसके बाद कई राज्यों ने इस निर्णय से बचने के लिए राज्यों के राजमार्गों की अधिसूचना को रद्द कर दिया है अर्थात उन्हें डिनोटिफाइड कर दिया है ।
- राज्यों का दावा है कि इसके कारण राजस्व और पर्यटन में कमी आएगी।

क्या प्रतिबन्ध उपयुक्त है?

- सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, केवल 3.3% सड़क दुर्घटनाएं शराब या ड्रग्स के प्रभाव में हुई थी।
- बाकी दुर्घटनायें वाहनों की तेज गति और अतिभारित (overloaded) वाहनों के कारण हुई थी।
- जिन क्षेत्रों में यातायात ट्रैफिक पुलिस के नियन्त्रण में नहीं था, वहां सड़क दुर्घटनाएं अधिक हुई थी।

VISION IAS

अन्य उत्तम विकल्प:

- राजमार्गों के साथ शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध कोई स्थायी समाधान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए, ट्रैफिक नियमों में और सुरक्षा के प्रति लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक है।
- मोटर वाहन विधेयक 2016 में यातयात के नियमों का उलंघन करने वालों के लिए अधिक कठोर मानकों और अर्थदंड का प्रावधान है।

1.10. RTI नियम, 2017 का प्रारूप

(Draft RTI Rules, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 को कार्यान्वित करने के लिए RTI नियम 2017 का प्रारूप प्रकाशित किया है।
- नये नियम सार्वजनिक सुझावों के लिए खुले हैं और यदि यह अनुमोदित हुए तो ये वर्तमान RTI नियम 2012 का स्थान लेंगे।

सकारात्मक पक्ष:

- **इसमें केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेशों और निर्देशों की अवज्ञा से निपटने के लिए प्रावधान हैं–** गैर-अनुपालन के बढ़ते हुए मामलों से निपटने के लिए 2012 के नियमों में यह उपलब्ध नहीं थे।
- लोकहित की अवज्ञा के मामलों को CIC की बड़ी पीठ के समक्ष रखा जायेगा।
- शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

नकारात्मक पक्ष:

- **शिकायत और अपील के लिए अलग प्रारूप**- इसका अर्थ है कि अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता एक अपील और शिकायत को आपस में मिला नहीं सकते हैं इससे सम्पूर्ण प्रक्रिया बहुत लम्बी हो जाएगी।
- **यदि कोई आवेदक अपनी अपील वापस लेना चाहता है तो उसे लिखित अनुरोध करना होगा**–यह RTI के लिए एक घातक कदम की तरह है। कार्यकर्ताओं को उनकी अपील वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा सकता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ सकता है।
- **कोई अपील सुनवाई के लिए उपयुक्त है या नहीं यह निर्णय CIC पर निर्भर करता है** – इसे एक कठोर उपाय के रूप में देखा जा रहा है। प्रत्येक अपील की सुनवाई होनी चाहिए।
- शिकायतकर्ता को सभी दस्तावेजों की अग्रिम प्रतिलिपि और शिकायत प्रस्तुत करने से पूर्व सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रस्तुत किये गये सभी लिखित अनुरोधों को CIC के पास शिकायत प्रस्तुत करने से पहले जमा करना आवश्यक है। यह न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है, परन्तु CIC के मामलों के लिए सर्वथा अनुचित है।
- **पहली अपीलों पर निर्णय** – नियमों का प्रारूप, "किसी भी अन्य सक्षम व्यक्ति" जिसे अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, उसके द्वारा पहली अपील पर निर्णय लेने हेतु सम्भव बनाता है। यह RTI अधिनियम की धारा 19 (1) का उल्लंघन है।
- ड्राफ्ट नियम के अनुसार जहाँ शिकायतकर्ता के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गयी है वहीँ यह सुनिश्चित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि अपील या शिकायत में सुनवाई की नोटिस नागरिक को अच्छी तरह से अग्रिम रूप से पहुँच सके।
- **गैर-अनुपालन (अवज्ञा) के मामलों को अन्य आयुक्तों के समक्ष प्रस्तुत करना**: CIC इस बात का निर्णय करने के लिए अधिकृत है कि अवज्ञा के मामले को वह किसी अन्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसने प्रारम्भिक मामले में निर्णय दिया था या एक बड़ी पीठ के समक्ष प्रस्तुत करे। CIC के जैसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मामलों में एक पीठ के समक्ष सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है।

सुझाव:

- एक ही याचिका में आवेदक को अपील और शिकायत को मिलाने का प्रावधान होना चाहिए।
- अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा उसके अपील की प्रतिलिपि प्रतिवादी को दिया जाना अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि इसे अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा नहीं भेजा गया है तो इसे पंजीयन कार्यालय द्वारा भेजा जाना चाहिए।
- पहली अपील पर निर्णय का प्रारूप बनाया जाना चाहिए।
- CIC द्वारा एक अपील/शिकायत पर सुनवाई के लिए नोटिस प्रस्तुत किये जाने के लिए 15 दिन की अग्रिम समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
- अपील के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

1.11. राज्यपाल की भूमिका: अंतरराज्यीय परिषद

(Role of Governor: Interstate Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में 12 वर्षों के अंतराल के बाद अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अन्य मुद्दों के साथ-साथ सरकार के गठन के दौरान राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से सम्बद्ध मुद्दें पर चर्चा की गई।

अंतरराज्यीय परिषद

- संविधान के अनुच्छेद **263** के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- अंतरराज्यीय परिषद स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है परन्तु यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना करने से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी तो किसी भी समय इसकी स्थापना की जा सकती है।
- **28** मई **1990** को राष्ट्रपति के आदेश से अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी।
- अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य होते है।

पृष्ठभूमि

- जब कोई महत्वाकांक्षी राज्यपाल संघ में अपना पद आगे बढ़ाने या राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सक्रिय राजनीति में भाग लेने की व्यक्तिगत आकांक्षा के अनुसार कार्य करता है, तो राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण होता है।
- इसके अतिरिक्त, राज्यपालों के बार-बार होने वाले स्थानान्तरण से यह पद केवल संघ का एजेंट बनकर रह जाता है।

बैठक के दौरान शामिल प्रमुख मुद्दें

- पुंछी आयोग की अनुशंसाओं पर विचार किया गया। पुंछी आयोग के अनुसार राज्यपाल को "वरीयता के स्पष्ट क्रम" **(clear order of preference)** पर दृढ़ रहकर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में इसके दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- बैठक के दौरान 19 राज्यों ने राज्यपाल की योग्यता के मानदंडों पर अपने सुझाव दिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पद के उन्मूलन की मांग की।

रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ

- अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता घोषित करने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में इस वाद को ऐतिहासिक वाद माना जाता है।
- यह आरोप लगाया गया था कि 2005 में बिहार के राज्यपाल, बूटा सिंह ने अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर विधानसभा के विघटन की अनुशंसा की थी। उनके अनुसार कुछ दल अनैतिक साधनों के माध्यम से बहुमत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राजनीतिक दल अन्य दलों या विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा करता है और स्थिर सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत के संबंध में राज्यपाल को संतुष्ट कर देता है, तो राज्यपाल अपने व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर उक्त दावे को रद्द नहीं कर सकता है कि बहुमत का गठन भ्रष्ट साधनों के माध्यम से किया गया है।

राज्यपाल की भूमिका पर पुंछी आयोग की अनुशंसाएं

- आयोग ने राज्यपाल की योग्यता के लिए मापदंडों का समुच्चय प्रदान किया है और **अनुच्छेद 157 में उपयुक्त संशोधनों** की मांग की है:

✓ राष्ट्रपति की राय में, राज्यपाल प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए;

✓ राज्यपाल संबंधित **राज्य के बाहर का व्यक्ति** होना चाहिए;

✓ राज्यपाल असम्बद्ध व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए। तदनुसार, राज्यपाल अपनी नियुक्ति से कम से कम कुछ वर्ष पहले तक केंद्र या राज्य या स्थानीय स्तर पर सक्रिय राजनीति में संलग्न न हो।

- राज्यपाल की पदावधि निश्चित अर्थात 5 वर्षों की अवधि तक होनी चाहिए;
- "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" वाक्यांश को संविधान के अनुच्छेद 156 से हटाया जा सकता है।
- संसद द्वारा राष्ट्रपति के महाभियोग की तर्ज पर राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के महाभियोग के लिए प्रावधान किया जा सकता है।
- राज्यपाल के रूप में दूसरे कार्यकाल या उप-राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र या राज्य के अधीन किसी पुनर्नियुक्ति या लाभ के पद के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।
- इसके साथ ही, पद छोड़ने या त्यागने के बाद राज्यपाल को सक्रिय दलगत राजनीति में वापस नहीं लौटना चाहिए।
- इसके साथ ही, मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसायें की है:

✓ सरकार के गठन हेतु विधानसभा में सर्वाधिक समर्थन प्राप्त दल या दलों के संयोजन को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

✓ यदि गठजोड़ या गठबंधन चुनाव के पूर्व ही कर लिया गया हो, तो इसे एक राजनीतिक दल माना जाना चाहिए। साथ ही यदि ऐसे गठबंधन को बहुमत प्राप्त है, तो सरकार के गठन हेतु राज्यपाल द्वारा ऐसे गठबंधन के नेता को आमंत्रित किया जाएगा।

✓ यदि किसी भी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल को नीचे दिए गए प्राथमिकता के क्रम में मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए:

VISION IAS

(a) सर्वाधिक संख्या प्राप्त दलों का समूह, जिसका गठबंधन चुनाव पूर्व किया गया था।

(b) अन्य लोगों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाला सर्वाधिक बड़ा एकल दल।

(c) सरकार में सम्मिलित होने की इच्छा रखने वाले सभी भागीदारों का चुनाव पश्चात गठबंधन।

(d) चुनाव पश्चात गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में सम्मिलित हों और शेष बाहर से समर्थन करते हो।

1.12. संसदीय समितियां

(Parliamentary Committees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 16वीं लोकसभा के गठन के बाद से संसदीय समितियों द्वारा अब तक केवल 29% विधेयकों की जांच की गई है, जबकि 14वीं व 15वीं लोकसभा द्वारा इसी अवधि में क्रमशः 60% और 70% विधेयकों की जांच की गई थी।
- इससे संसदीय समितियों के घटते महत्व के सम्बन्ध में चिंता उत्पन्न होती है। साथ ही यह चिंता भी रहती है कि विभिन्न विधेयकों के पारित होने से पहले उचित विचार-विमर्श किया जा रहा है या नहीं।

संसदीय समितियों का महत्व

- संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: **स्थायी और तदर्थ समितियां**। स्थायी समितियां, विशेषीकृत कार्य संपन्न करती है, जबकि तदर्थ समितियां का गठन विशिष्ट कार्य करने हेतु किया जाता है तथा कार्य संपन्न हो जाने पर वे अस्तित्व में नहीं रहती हैं।
- संसदीय समितियां प्रस्तावित मुद्दों एवं विधेयकों की जांच करती हैं ताकि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निर्णय करने से पहले संसद भलीभांति अवगत रह सके।
- ये समितियां विधेयक के संबंध में अनुशंसाएं और संशोधन कर सकती हैं। लेकिन ये अनुशंसाएं और संशोधन संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।
- संसदीय समिति द्वारा जांच नहीं किये जाने पर विधेयकों को संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

अनुशंसाएं

- प्रत्येक विधेयक को पारित करने से पहले विस्तृत और उचित विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
- समय के अभाव की स्थिति में, संसदीय समिति द्वारा विधेयकों की जांच की जानी चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से, भारत ब्रिटिश मॉडल भी अपना सकता है जहां प्रत्येक विधेयक की समिति द्वारा जांच की जाती है।

1.13. राष्ट्रीय लोक अदालत

(National Lok Adalat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी: NALSA) के अनुसार हाल ही में देश भर में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी स्तरों पर राष्ट्रीय लोक अदालत में 6.6 लाख वादों का समाधान किया गया।
- लोक अदालतों ने मुकदमे से पूर्व मामलों और लंबित वादों दोनों का समाधान किया गया।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा सेवा प्राधिकरण (**NALSA**) का गठन किया गया है।
- **NALSA** का प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना है।

लोक अदालत के बारे में

- लोक अदालत का अर्थ लोगों की अदालत है। यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है।
- जहाँ सामान्य न्यायालयों किसी भी मामले पर निर्णय दिया जाता है, वहीं इसके विपरीत लोक अदालतें विभिन्न पक्षों के मध्य पारस्परिक समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करती हैं।
- भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के माध्यम से लोक अदालत प्रणाली का विकास किया गया था। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-A में संवैधानिक अधिदेश के अनुसार है।
- राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी, या तालुका लीगल सर्विसेज कमिटी द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जा सकता है।
- लोक अदालतें सभी दीवानी वादों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, विभाजन / संपत्ति विवाद, श्रम विवाद तथा समाधान करने योग्य आपराधिक वादों आदि का निपटान कर सकती हैं।

महत्व

- लोक अदालतें लंबित प्रकरणों का भार कम करने में न्यायपालिका की सहायता कर सकती हैं।
- लोक अदालतें परीक्षण के बिना त्वरित समाधान प्रदान कर सकती हैं।

1.14. फिल्मों की पूर्व सेंसरशिप हो या नहीं?

(Pre-Censorship of Films or Not?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- फिल्मों के प्री-सेन्सरशिप के संबंध में सिने अभिनेता अमोल पालेकर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने **केंद्र सरकार एवं सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC)** से उत्तर मांगा है।
- **SC** ने **CBFC** से श्याम बेनेगल समिति की अनुशंसाएं लागू करने के लिए भी कहा है।

पृष्ठभूमि

- फिल्म सेंसरशिप के प्रावधान **सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952** और **सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) रूल्स, 1983** द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने ***K.A.अब्बास बनाम भारत संघ, 1970*** मामलें में निर्णय दिया था कि थिएटर में सिनेमैटोग्राफी फिल्म्स जनसंपर्क का सबसे प्रभावशाली माध्यम हैं जो सामाजिक मानस को प्रभावित करती हैं, इसलिए सिनेमैटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत सेंसरशिप का प्रयोग वैध और आवश्यक है।
- केंद्र सरकार ने 1991 में नियामकीय संरचना के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार CBFC अपने कार्यों का निर्वहन करता है।
- इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित **श्याम बेनेगल समिति** ने अप्रैल 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

श्याम बेनेगल समिति की अनुशंसाएं

- CBFC द्वारा फिल्मों में संशोधनों का सुझाव देने की वर्तमान प्रणाली बंद कर दी जानी चाहिए और इसे केवल प्रमाणीकरण का कार्य करना चाहिए।
- इस समिति के अनुसार 1991 के दिशानिर्देश CBFC के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार समिति ने दिशानिर्देशों का एक नया समुच्चय तैयार किया:

✓ वस्तुनिष्ठ मापदंडों के माध्यम से फिल्म निर्माताओं की कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए।

✓ दर्शकों को सूचित सामग्री को देखने और उस संबंध में उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है।

✓ प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

- दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि आवेदक जिस हेतु प्रमाणीकरण चाहता है, उसका वह उल्लेख करे तथा उसे अपने लक्षित दर्शकों का भी उल्लेख करना चाहिए।
- इसने एक नई "***एडल्ट विद कॉशन***' श्रेणी तथा *यूनिवर्सल अंडर एडल्ट सुपरविज़न (Universal under Adult Supervision)* के तहत दो वर्गीकरण अर्थात् U/A रेटिंग- U/A 12+ और U/A 15+ की अनुशसा की थी।
- CBFC को स्वयं को निम्नलिखित सीमा तक सीमित करना चाहिए:

✓ फिल्म उद्योग के रुझानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाली वार्षिक रिपोर्ट तक, जिसे CBFC को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, और जिसे प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है;

✓ क्षेत्रीय अधिकारियों तथा रीजनल एडवाइजरी पेनल्स और सेंट्रल एडवाइजरी पेनल्स के कार्यों की समीक्षा करने तक,

✓ फिल्मों के प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा करने तक, आदि।

उठाए गए मुद्दे

- अमोल पालेकर द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्मों की प्री-सेंसरशिप के परिणामस्वरुप फिल्मों की काट-छांट, दृश्य हटाना और फिल्मों का प्रमाणीकरण नहीं देने जैसे कार्य किए जाते हैं, और ऐसा करना **कलाकारों के साथ-साथ दर्शकों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन** है।
- फिल्मों की प्री-सेंसरशिप को सेंसर रहित इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में अप्रासंगिक माना जाता है।
- डॉक्यूमेंट्रीज को प्री-सेंसरशिप के अधीन करना, संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन हैं। समाचारों और वास्तविक घटनाओं का प्रसारण प्री-सेंसरशिप के अधीन नहीं है।
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 (2) के अंतर्गत "भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में" युक्तियुक्त प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

- फिल्मों के प्री-सेंसरशिप के मामले में इन प्रतिबंधों को वापस ले लिया जाना चाहिए या नहीं, यह एक बहस का मुद्दा है।

1.15. रियल एस्टेट (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2016

{Real Estate (Development and Regulation) Act, 2016}

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद द्वारा मार्च **2016** में रियल एस्टेट (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2016 पारित किया गया। यह कानून मई, **2017** से पूरी तरह से प्रभावी हो गया है।
- केवल **13** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस मॉडल कानून के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर के नियमन हेतु नियम अधिसूचित किए है। यह इस एक्ट के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक चिंता का विषय है।

अधिनियम के प्रावधान

- कम से कम **500** वर्ग मीटर क्षेत्र या आठ फ्लैट्स वाली परियोजनाओं का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज (**RERA**) के तहत **अनिवार्य पंजीकरण।**
- नियामक की वेबसाइट में प्रत्येक परियोजना से संबंधित विवरणों का आवश्यक रूप से सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।
- परियोजना विकासकर्ताओं के लिए अब निर्माण लागत को पूरा करने के लिए एक पृथक एस्क्रौ अकाउंट में भूमि की कीमत सहित अपना कम-से-कम **70%** फंड जमा करना आवश्यक होगा।
- अपीलीय अधिकरण के आदेशों के उल्लंघन पर प्रमोटर्स को **3** वर्ष तथा एजेंट्स और खरीददारों को **1** वर्ष तक के कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया है।
- कार्पेट एरिया की स्पष्ट परिभाषा तय की गयी है तथा खरीददारों से कार्पेट एरिया के लिए शुल्क लिया जाएगा न कि सुपर बिल्ट-अप एरिया के लिए।
- अपीलीय अधिकरण वादों का न्यायनिर्णयन करेंगे तथा नियामक प्राधिकरण **60** दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करेंगे।
- भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, नियामकीय प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों से परे विकसित की जाने वाली परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकते हैं; मंजूरी प्राप्त करने हेतु सिंगल-विंडो सिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं तथा परियोजनाओं और प्रमोटर्स का श्रेणीकरण भी कर सकते हैं। उन्हें गठन के तीन महीने के भीतर नियमों का प्रारूप भी तैयार करना होगा।
- इस एक्ट के तहत वाणिज्यिक और आवासीय दोनों परियोजनाओं को विनियमित किया जाएगा। साथ ही रियल एस्टेट गतिविधियों का निरीक्षण करने हेतु राज्य स्तरीय नियामकीय प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
- खरीददार को संपत्ति हस्तांतरित करने के पांच वर्ष बाद तक बिल्डर्स, संरचनात्मक कमियों को ठीक करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
- 30 जुलाई, 2017 से पहले सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स और एजेंट्स को अपने संबंधित राज्य प्राधिकरणों में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

महत्व

- इस एक्ट के प्रावधानों से इस क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी।
- इस एक्ट से इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित होगा।
- यह एक्ट उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगा।

1.16. सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार में गिरावट

(Declining Corruption in Public Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **CMS -इंडिया करप्शन स्टडी 2017** के अनुसार, सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के मामलों में 2005 के बाद से उल्लेखनीय गिरावट आई है (2016 की तुलना में)।

अध्ययन के बारे में

- इस अध्ययन में 20 राज्यों के 200 से अधिक ग्रामीण और शहरी समूहों के 3,000 परिवारों को सम्मिलित किया गया है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बिजली, स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा, जल आपूर्ति, बैंकिंग, पुलिस, न्यायिक सेवाएं, आवास और कर सेवाओं** सहित 10 आम सार्वजनिक सेवाओं को इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

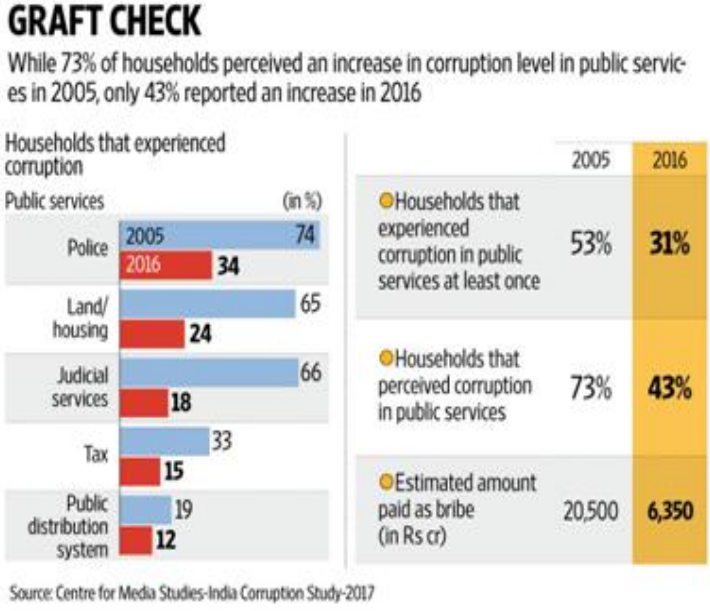

महत्व

- रिपोर्ट प्रशासन में सुधार को दर्शाता है।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार रिश्वत देने के प्राथमिक कारण एक समान रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जमीनी स्तर के मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है।

1.17. वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में EVMs (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) में उपयोग किये जाने हेतु **वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (Voter Verifiable Paper Audit Trails: VVPATs)** की 16.15 लाख इकाईयां खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने **चुनाव आयोग** को 3,174 करोड़ रुपये के आबंटन की अनुमति दे दी है।
- यह निर्णय 2017 के हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान EVMs के साथ छेड़छाड़ किए जाने के आरोपों के बीच लिया गया।

पृष्ठभूमि

- EVMs वस्तुतः मतदान के लिए मतपत्र के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रानिक उपकरण हैं।
- **1982 में पहली बार केरल विधानसभा चुनाव में** EVM का प्रयोग किया गया था, जबकि **लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार इसका प्रयोग 1992** किया गया था।
- EVMs के प्रयोग से मतदान की प्रक्रिया सरल हो गई है। इससे चुनावी धांधली जैसे- मतपत्रों की हेराफेरी, मतपत्र पेटिका को क्षति पहुंचाना आदि में भारी कमी आई है।
- पेपर ट्रेल के साथ EVM की संपुष्टि के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में VVPATs का भी उपयोग किया गया है।
- **सुब्रह्मण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग, 2013** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि VVPATs 'निःशुल्क और निष्पक्ष चुनावों के लिए अपरिहार्य हैं' और साथ ही, इसने चुनाव आयोग को चरणबद्ध तरीके से VVPATs के प्रयोग का निर्देश दिया था।

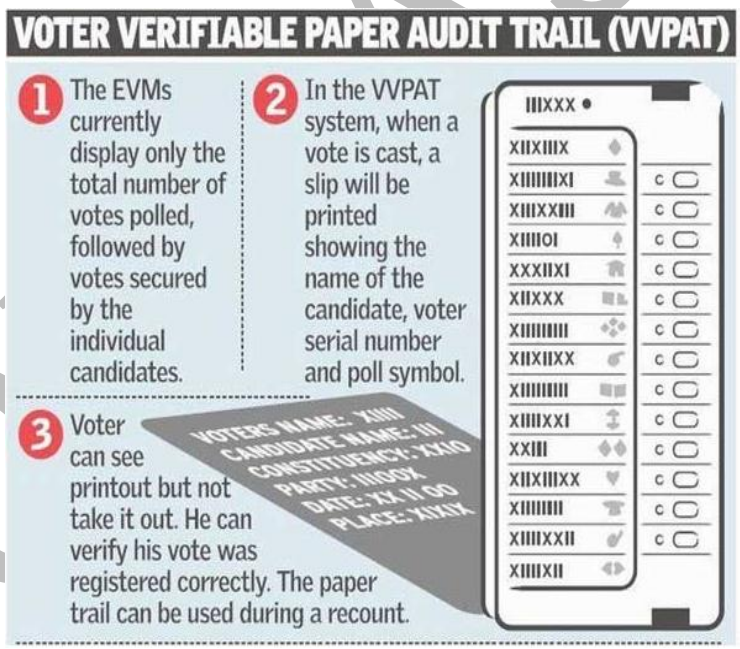

लाभ

- चुनाव प्रक्रिया में VVPATs मशीन सम्मिलित कर लेने से कागजी ऑडिट द्वारा EVM परिणामों की क्रॉस-चेकिंग या दोबारा जांच संभव हो जाती है, जिससे स्वदेश-उत्पादित मशीनों की जवाबदेही में एक और स्तर जुड़ जाता है।
- यह मत बदलने या नष्ट करने के प्रयासों में अतिरिक्त बाधा के रूप में कार्य करता है।

1.18. इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय (Right to Internet Access: Supreme Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है और किसी भी सूरत में इसमें कटौती नहीं की जा सकती।

न्यायालय का निर्णय

- साबू मैथ्यू जार्ज द्वारा सर्च इंजन याहू, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के विरुद्ध दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायलय ने यह निर्णय सुनाया था। यह याचिका पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (PCPNDT) अधिनियम, 1994 {Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (PCPNDT) Act, 1994} के खंड 22 के सख्त अनुपालन के लिए दायर की गई थी।
- न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार तब तक स्वीकार्य है, जब तक कि यह **'गैर-क़ानूनी तौर पर अपनी सीमा का अतिक्रमण' (encroaches into the boundary of illegality)** नहीं करता।
- न्यायालय ने कहा कि यदि कोई भारत में चिकित्सा पर्यटन की जानकारी के लिए इंटरनेट का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, और ऐसा करने का अधिकार उसे तब तक है जब तक कि वह PCPNDT अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत विहित प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता।

वर्तमान स्थिति

- इन तीनों इंटरनेट सर्च इंजनों ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि PCPNDT अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों का न तो वे विज्ञापन देंगे और न ही उन्हें प्रायोजित करेंगे।
- इन इंटरनेट सर्च इंजनों के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके संस्थानिक विशेषज्ञ अवैध विषय-वस्तु की पहचान कर उन्हें हटाएं।
- अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन करने वाली आक्रामक सामग्री की पहचान के लिए नेट पर दृष्टि बनाए रखने हेतु राज्य-स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार

- 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट तक पहुँच को मानवाधिकार के रूप में घोषित किया।
- मार्च 2017 में, हर नागरिक के लिए इंटरनेट को मूलभूत अधिकार के रूप में घोषित करने वाला केरल पहला राज्य बना।

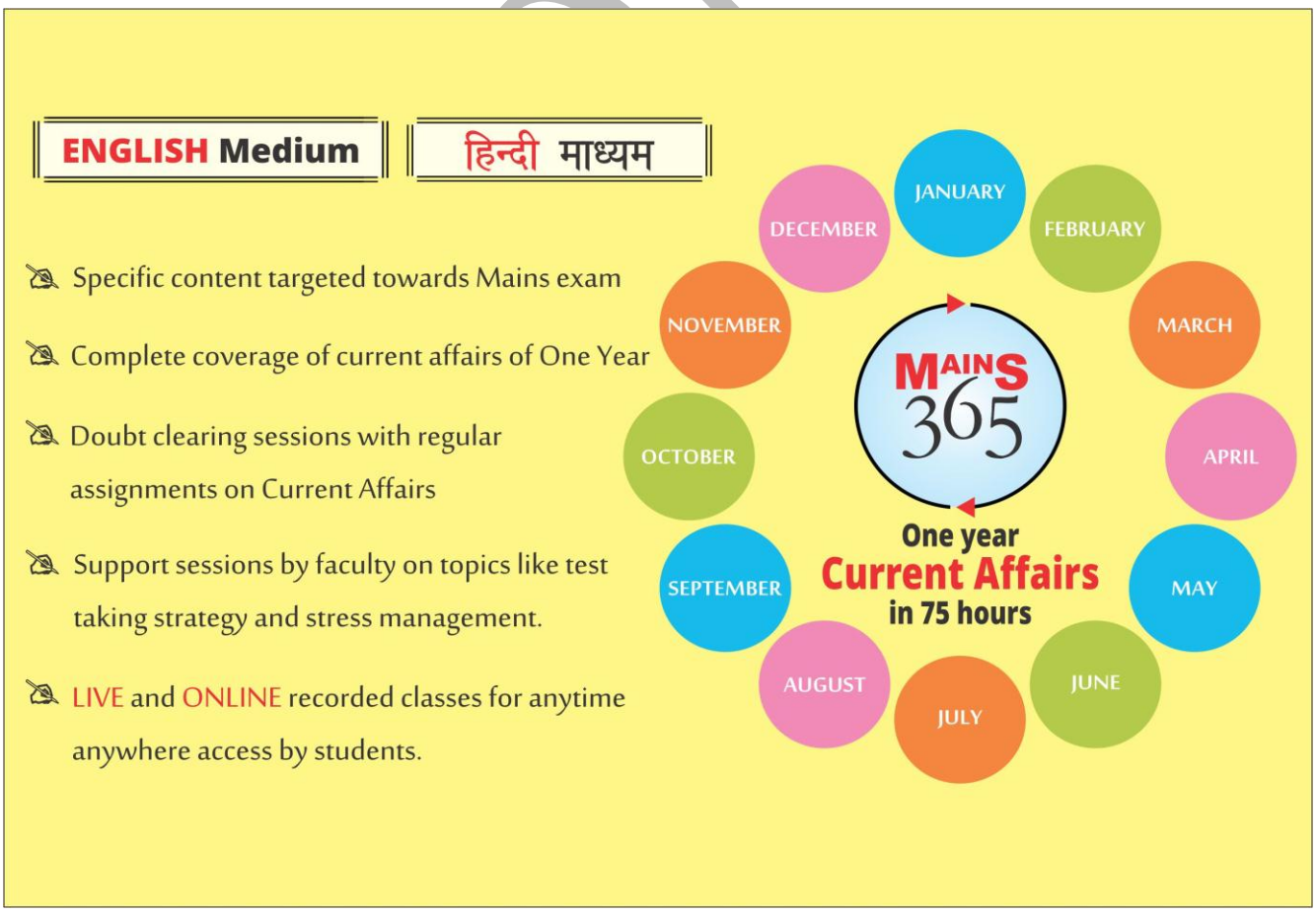

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत और विश्व

(INTERNATIONAL / INDIA AND WORLD)

2.1. भारत-बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने विभिन्न क्षेत्रों में 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जैसे- रक्षा, परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा आदि।

समझौतों की सूची निम्नलिखित है:

रक्षा संबंधी समझौते

भारत और बांग्लादेश ने रक्षा सहयोग से जुड़े एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह बांग्लादेश के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देगा जहां पर चीन का पर्याप्त रूप से प्रभावशाली बन रहा है। बांग्लादेश के लगभग 80 प्रतिशत सैन्य उपकरण चीन से मंगाए जाते हैं, जिनमें पनडुब्बियों जैसे सामरिक खरीद भी शामिल हैं।

- रक्षा सहयोग संरचना पर समझौता ज्ञापन।
- दोनों देशों के रक्षा महाविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन।
- 500 मिलियन डालर के रक्षा ऋण विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन। इस समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डालर के मूल्य के भारतीय रक्षा उपकरण खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। यह बांग्लादेश की चीन पर निर्भरता कम करने की योजना है।

सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर समझौता

सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समझौते की संरचना के अंतर्गत भारत द्वारा बांग्लादेश में परमाणु रिएक्टर स्थापित करना संभव होगा।

- **न्यूक्लियर एनर्जी** के शांतिपूर्ण उपयोग पर समझौता।
- परमाणु सुरक्षा और विकिरण संरक्षण के विनियमन में तकनीकी जानकारी और सहयोग के आदान-प्रदान के लिए समझौता।
- बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजनाओं के संबंध में सहयोग पर अंतर-अभिकरण (अंतर-एजेंसी) समझौता।

तीस्ता नदी जल साझाकरण मुद्दा

दीर्घ काल से लंबित तीस्ता नदी समझौते पर इस बार भी हस्ताक्षर नहीं हुए। हालांकि, भारतीय प्रधानमंत्री ने जल संधि को अंतिम रूप देने के सरकार के मजबूत संकल्प को दोहराया, लेकिन केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को साथ लिए बिना समझौते के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं है।

तीस्ता के बारे में

तीस्ता नदी सिक्किम में **पहुनरी (या तीस्ता कांगसे) ग्लेशियर** से निकलती है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों के मध्य से बहती हुई यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आगे जाकर यह ब्रह्मपुत्र नदी (या बांग्लादेश में जमुना) में विलीन हो जाती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश के धान उत्पादक ग्रेटर रंगपुर क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। भारत और बांग्लादेश में 54 नदियां बहती हैं, लेकिन तीस्ता को लेकर बांग्लादेश में जिस तरह का भावावेश या उन्माद है, वैसा और किसी अन्य नदी के लिए नहीं है।

- गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना (GBM) नदी प्रणाली के बाद, तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है।
- 1983 में, तीस्ता नदी के जल के बंटवारे पर एक तदर्थ व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% जल मिलना था। शेष 25% जल के लिए कोई आवंटन तय नहीं हुआ था। लेकिन, यह अस्थायी समझौता कार्यान्वित नहीं किया जा सका।
- बांग्लादेश की मांग है कि 1996 की गंगा जल संधि की भांति ही तीस्ता के जल का भी न्यायसंगत वितरण हो।
- 2011 में भारत और बांग्लादेश ने एक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया, जिसके अंतर्गत भारत के लिए 42.5% और बांग्लादेश के लिए 37.5% जल आवंटित किया गया था। नदी में न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखने के लिए शेष 20% जल का आवंटन नहीं किया गया था। लेकिन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विरोध के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका था।

तीस्ता समझौते का महत्व

- तीस्ता पर समझौते की सफलता दोनों सरकारों के लिए एक राजनीतिक आवश्यकता माना जाता है।
- यह समझौता बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, एक अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत (नई दिल्ली) को अधिक राजनीतिक लाभ उठाने में मदद करेगा। भारत इसे अत्यन्त आवश्यक मानता है।
- बांग्लादेश में ऐसी आम धारणा बन गई है कि भारत, बांग्लादेश को उसके हिस्से का जल नहीं देना चाहता और उनके देश के अधिकारों का हनन कर रहा है। इस कारण ने वहां भारत-विरोधी भावनाओं को हवा दी है। भारत पर क्षेत्रीय दादागीरी का आरोप लगाया जा रहा है।

VISION IAS

- यह समझौता शेख हसीना की छवि एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करेगा जो अपने देश के हितों की सुरक्षा करने में सक्षम हैं और जो भारत के हाथों का मोहरा नहीं हैं। इसलिए, यह समझौता बांग्लादेश के 2018 के आम चुनावों में सत्ता में उनके बने रहने के अवसरों को मजबूती देगा।
- भारत के विरुद्ध बांग्लादेश में बढ़ते रोष के कारण देश के कई प्रभावशाली वर्ग, जैसे बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (BNP), नौकरशाही, सेना और सिविल सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा चीन के साथ मजबूत सम्बन्ध बनाने की मांग कर रहे हैं।
- BNP भारत के हितों के प्रतिकूल रहा है और उसका सहयोगी, जमात-ए-इस्लामी, भारत-विरोधी और मुखर आलोचक रहा है।

अन्य समझौता ज्ञापन (**Other MoUs**)

- बाहरी क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग।
- थर्ड लाइन ऑफ़ क्रेडिट (Third Line of Credit-LoC) का विस्तार।
- ✓ भारत ने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 4.5 बिलियन डालर की रियायती ऋण की एक नई श्रृंखला की घोषणा की।
- सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग
- सीमा के पार सीमा हाट की स्थापना।
- द्विपक्षीय न्यायिक क्षेत्र सहयोग।
- जन संचार के क्षेत्र में सहयोग।
- खुलना-कोलकता मार्ग पर मोटर वाहन यात्री यातायात के नियमन के लिए समझौता।
- सिराजगंज से डाइखोवा और आशुगंज से जकीगंज तक भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर जलमार्ग (जहाज का रास्ता) का विकास।
- बांग्लादेश में 36 सामुदायिक निदानशाला (कम्युनिटी क्लीनिक) के निर्माण के लिए वित्तपोषण समझौता।

2.2. भारत-तुर्की

(India-Turkey)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एरदोगन ने भारत की राजकीय यात्रा की। तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में यह एरदोगन की पहली यात्रा थी।

यात्रा के प्रमुख बिन्दु

प्रधानमंत्री मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में संपन्न प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय वार्ता के उपरांत भारत और तुर्की ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- वर्ष 2017-2020 के लिए सांस्कृतिक विनिमय (cultural exchange) कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ़ इण्डिया एवं डिप्लोमेसी अकेडोमी ऑफ़ तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के सन्दर्भ में एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए I
- दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के 6.5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2020 तक 10 बिलियन डॉलर करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, औषध (फार्मास्यूटिकल्स), स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग पर भी सहमत हुए हैं।

यात्रा का महत्व

- चूंकि तुर्की मध्य पूर्व में अस्थिर पड़ोसियों का सामना करता है, इसलिए एरदोगन की इच्छा भारत जैसे नए साथी खोजने की है जो तुर्की की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा दे सकें एवं इसकी विदेश नीति को अधिकाधिक गहराई प्रदान करें।
- भारत के लिए, तुर्की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय देश है जिसे भारत की मध्यपूर्व नीति के वर्तमान पुनर्लेखन में सकारात्मक रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- भारत को उम्मीद है कि निरंतर संपर्क संबंध को इस प्रकार बनेंगे जो साझा चिंताओं को प्रतिबिम्बित करेंगे और साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंधों से प्रभावित नहीं होंगे , जैसा भारत संयुक्त अरब अमीरात एवं सऊदी अरब के मामले में करने में सफल रहा है।

तुर्की से संबद्ध महत्वपूर्ण मुद्दे

भारत और तुर्की कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों की धारणा को अत्यधिक प्रभावित करते रहते हैं।

कश्मीर समस्या

- तुर्की के राष्ट्रपति ने **कश्मीर के प्रश्न का समाधान करने के लिए "बहुपक्षीय वार्ता"** का पसमर्थन किया।
- भारत ने एक लाल रेखा खींची कि **कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक "द्विपक्षीय" समस्या है**। यह इस विवाद को पाकिस्तान द्वारा बढ़ावा दिए जाने वाले "सीमा पार एवं राज्य प्रायोजित आतंकवाद" के रूप में देखता है।

पाकिस्तान-तुर्की संबंध

- पाकिस्तान को इस्लामिक नेतृत्व के देश के रूप में जाना जाता है जो इसे तुर्की में लोकप्रिय समर्थन प्रदान करता है।
- तुर्की सरकार द्वारा पाकिस्तान को एक सीधे-सादे देश के रूप से स्वीकार करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है, भले ही वहाँ सत्ता में धर्मनिरपेक्ष सेना हो या वर्तमान इस्लामी नेतृत्व।

आतंकवाद

- एरदोगन ने सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ पूर्ण एकजुटता के साथ खड़े रहने का दावा किया। यद्यपि उन्होंने सुकमा में नक्सली हमले की विशेष रूप से निंदा की, लेकिन सीमा-पार आतंकवादी हमलों के बारे में कुछ nahin कहा।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) सदस्यता

- तुर्की **NSG** का सदस्य है। तुर्की इस बात को मानता करता रहा है कि **NSG** को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के प्रवेश पर विचार करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।
- तुर्की भारत एवं पाकिस्तान दोनों को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यता

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु भारत के प्रयास का समर्थन करने पर तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणियाँ अन्य देशों को सम्मिलित किए जाने के संशोधन के साथ प्रस्तुत हुई हैं।

द्विपक्षीय संबंध

भारत-तुर्की का संबंध कई शताब्दियों पुराना है: मुगल शासकों एवं तुर्क साम्राज्य के सुल्तानों द्वारा कूटनीतिक मिशनों का आदान-प्रदान किया गया। यहाँ के प्रसिद्ध **कवि रूमी** एवं सूफी आंदोलन ने भक्ति और सूफ़ी आंदोलन के प्रित सरल सहक्रियता का प्रदर्शन किया है। 20वीं शताब्दी में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने तुर्की के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था।

- दोनों देशों के बीच लगभग 6.5 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन यह भारत के पक्ष में अधिक है।
- तुर्की की कम्पनियों ने लगभग 212 मिलियन यू.एस.डॉलर का निवेश किया है जबकि तुर्की में भारतीय निवेश लगभग 100 मिलियन यू.एस.डॉलर है।

2.3. भारत-साइप्रस

(India-Cyprus)

साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति, निकोस अनास्तासीड्स ने 25-29 अप्रैल, 2017 के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा की।

इस यात्रा के मुख्य बिन्दु

भारत एवं साइप्रस ने वायु सेवाओं, मर्चेंट शिपिंग, कृषि समेत चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

भारत के लिए साइप्रस का महत्व

भारत एवं साइप्रस ऐतिहासिक संबंधों को साझा करते हैं। भारत ने साइप्रस के पुनःएकीकरण प्रयासों में सदैव उसका सहयोग किया है। बदले में, साइप्रस ने प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय फोरम एवं कश्मीर मुद्दे पर सदैव भारत का समर्थन किया है।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता

- साइप्रस 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का सदस्य है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने NSG सदस्यता के लिए भारत के दावे के प्रति अपने देश के समर्थन की पुनर्पुष्टि की है।
- साइप्रस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत के प्रवेश का भी समर्थन करता है।

यूरोपीय संघ के साथ संबंध

- साइप्रस के यूरोपीय संघ एवं ग्रीस, मिस्र और इसराइल जैसे पड़ोसी देशों के साथ उत्कृष्ट संबंध है, अतः यह भारत के हितों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है।
- साइप्रस यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को सुविधाजनक (facilitate) बनाने में भारत की सहायता भी करना चाहता है।

व्यापार और निवेश

- 8.5 बिलियन डॉलर से अधिक के FDI के साथ साइप्रस भारत के लिए आठवां सबसे बड़ा निवेशक है। हालांकि, इसे निवेशों को मार्ग प्रदान करने के लिए टैक्स हेवन के रूप में माना जाता था और भारत ने इसे गैर-सहयोगी देश के रूप में ब्लैकलिस्ट किया था।
- भारत और साइप्रस ने नवंबर, 2016 में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए संशोधित संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
- तब से, भारत ने साइप्रस के संबंध में अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र (notified jurisdictional area) या ब्लैकलिस्ट के टैग को भी हटा दिया है।
- साइप्रस यूरोपीय बाजारों में प्रवेश हेतु इच्छुक भारतीय कंपनियों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है।

साइप्रस के बारे में

- यह पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में एक द्वीपीय देश है एवं भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है।
- यह 1974 के बाद से विभाजित रहा है जब द्वीप पर एथेंस सरकार द्वारा समर्थित सैन्य तख्तापलट की प्रतिक्रिया में तुर्की ने उत्तरी भाग पर आक्रमण किया।
- यह द्वीप प्रभावी रूप से दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसके उत्तरी एक तिहाई भाग में तुर्क मूल की साइप्रस आबादी एवं दक्षिणी दो-तिहाई भाग में ग्रीक मूल की साइप्रस आबादी निवास करती है।
- राष्ट्रपति निकोस अनास्तासीड्स ने कहा है कि तुर्की के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण भारत पुन:एकीकरण के प्रयास में साइप्रस की सहायता कर सकता है।

2.4. भारत-आर्मीनिया

(India-Armenia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और आर्मीनिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति ने आर्मीनिया की आधिकारिक यात्रा सम्पन्न की।

- आर्मीनिया 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आया। हालांकि, आर्मीनिया भारत में अपरिचित नहीं है ,क्योंकि कोलकाता में एक ऐतिहासिक आर्मीनियाई चर्च का निर्माण किया गया था एवं शहर में आर्मीनियन स्ट्रीट और कब्रिस्तान भी है।
- भारत की ITEC छात्रवृत्ति आर्मेनिया में बहुत ही लोकप्रिय है एवं द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ है।

इस यात्रा के मुख्य बिन्दु

भारत और आर्मेनिया ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, युवा मामलों में सहयोग एवं सांस्कृतिक सहयोग पर 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

उपराष्ट्रपति ने अर्मेनियाई नरसंहार पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सिटसर्नकाबर्ड मेमोरियल (Tsitsernakaberd Memorial) का दौरा किया। 1915 में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के शासन के दौरान 1.5 मिलियन आर्मेनियाई मारे गए थे।

2.5. भारत-पोलैंड

(India-Poland)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उपराष्ट्रपति ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की।

इस यात्रा के प्रमुख बिन्दु

- भारत और पोलैंड ने कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- पोलैंड ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हेतु भारत को अपना समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया।

द्विपक्षीय संबंध

- पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। पिछले एक वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 25% बढ़ गया है।
- पोलैंड में भारतीय निवेश 3 बिलियन यू.एस. डॉलर है एवं भारत में पोलैंड का निवेश 600 मिलियन यू.एस. डॉलर है।

- पोलैंड ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कन्ट्रोल रिजीम (MTCR) हेतु भारत की सदस्यता का समर्थन किया था।
- भारत के संदर्भ में इसके राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खनन, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में, कई पोलिश प्रौद्योगिकियां अत्यिधक प्रासंगिक हैं।

2.6. भारत-ऑस्ट्रेलिया

(India-Australia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

द्विपक्षीय संबंध

व्यापार और निवेश

- वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवेश 10.9 बिलियन आस्ट्रेलियन डॉलर था एवं भारत में ऑस्ट्रेलियाई निवेश 9.8 बिलियन आस्ट्रेलियन डॉलर था।
- वित्तीय वर्ष 2012 (FY'12) में 18 बिलियन की उच्च सीमा प्राप्त करने के बाद भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार में गिरावट आई और FY'14 और FY'16 के दौरान यह 12-13 बिलियन डॉलर पर स्थिर बना रहा।

कॉम्प्रीहेन्सिव इकॉनोमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट (CECA)

- व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए CECA के कार्यान्वयन को तीव्र करने के प्रयास में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शीघ्र ही इस पर वार्ताओं के अगले दौर के आयोजन का निर्णय किया है।
- प्रस्तावित भारत-ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रीहेन्सिव इकॉनोमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर वार्ताएं मई 2011 में आरम्भ हुईं। इनका उद्देश्य द्विपक्षीय निवेश एवं वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का मार्ग प्रशस्त करना था। अब तक वार्ता के **नौ दौर** आयोजित किए गए हैं जिनमें से अंतिम दौर सितंबर 2015 में आयोजित किया गया था।

CECA में प्रमुख बाधाएं

- भारत शराब, डेयरी, फार्मास्यूटिकल्स, ताजा फलों और मांस पर शुल्कों (ड्यूटी) में अत्यधिक कमी करने/समाप्त करने की ऑस्ट्रेलिया की मांगों के प्रति सहमति हेतु अनिच्छुक रहा है।
- ऑस्ट्रेलिया ने वस्त्रों, ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट एवं ताजा फलों पर शुल्कों में कमी करने के साथ ही सेवा क्षेत्रक में कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या के लिए आसान आवाजाही सहित, और अधिक बाजार पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी भारत की मांग पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु समझौता

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर 2014 में नागरिक परमाणु समझौते (civil nuclear deal) पर हस्ताक्षर किए थे
- ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के लिए यूरेनियम की आपूर्ति हेतु कानून को 2016 में अनुमति प्रदान कर दी थी और अब इसके लिए "वाणिज्यिक वार्ताएं" जारी हैं।
- विश्व के यूरेनियम भंडारों का लगभग 40 प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया में है एवं यह वार्षिक रूप से लगभग 7,000 टन येलो केक (yellow cake) का निर्यात करता है।
- यद्यपि भारत के परमाणु बाजार का भाग बनने में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को रुचि है, तथापि उस देश में भारत में सुरक्षा विनियमों (सेफ्टी रेगुलेशन) के संबंध में चिंताएं हैं।

सुरक्षा

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत-प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत और उससे परे साझा सुरक्षा हितों का लंबा इतिहास है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद महासागर के सीमावर्ती हैं तथा नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता बनाये रखने में दोनों देशों के साझा हित हैं।

इस यात्रा के प्रमुख बिन्दु

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए

- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एवं अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का सामना।
- नागरिक उड्डयन सुरक्षा में सहयोग।
- पर्यावरण, जलवायु और वन्य जीवन।
- खेलों के क्षेत्र में सहयोग।
- भू-प्रेक्षण और सैटेलाइट नेविगेशन में सहयोग पर इसरो (ISRO) और जियोसांइस ऑस्ट्रेलिया के बीच कार्यान्वयन व्यवस्था।

VISION IAS

2.7. भारत-यूरोपीय संघ

(India-EU)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख **फेडेरिका मोघेरिनी** ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

इस यात्रा के मुख्य बिन्दु

- यूरोपीय संघ (EU) और भारत ने समुद्री सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए आतंक विरोधी सहयोग को और अधिक बढ़ाने का संकल्प किया।

द्विपक्षीय निवेश समझौते:

- कई यूरोपीय देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय निवेश समझौतों की अवधि समाप्त हो रही है और इसे उद्धृत करते हुए, यूरोपीय संघ द्वारा **EU-इंडिया ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA)** नामक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ने के लिए जोर दे रहा है।
- यूरोपीय संघ इस तर्क के आधार पर समाप्त हो रहे निवेश समझौतों को छह महीने तक और विस्तारित करने हेतु भी भारत पर जोर देता रहा है कि संधियों का अभाव व्यापार संबंधों और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- भारत द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के नए मसौदे के आधार पर इन समझौतों पर पुन: वार्ता करना चाहता है।
- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) मॉडल में सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दा **इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म** है ,क्योंकि यह कंपनियों को सभी घरेलू विकल्प समाप्त होने पर ही अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता हेतु प्रयास करने की अनुमति देता है।
- कराधान (taxation) को द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) की परिधि से हटाने की भी विदेशी भागीदारों द्वारा आलोचना की जा रही है।

EU-इंडिया ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA)

- जून 2007 में शुरू की गई इन समझौता-वार्ताओं ने कई बाधाओं का सामना किया है क्योंकि दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद हैं। BTIA वार्ताएं मई 2013 के बाद से स्थगित हैं।
- दोनों पक्षों को अभी भी टैरिफ एवं प्रोफेशनल्स के आवागमन संबंधी मुद्दों पर मतभेदों को समाप्त करना बाकी है।
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र में शुल्क में पर्याप्त कटौती की मांग के अतिरिक्त EU ,शराब, स्पिरिट और डेयरी उत्पादों में करों में कमी तथा मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था चाहता है।
- दूसरी ओर, भारत EU द्वारा **'डेटा सिक्योर नेशन'** का दर्जा प्रदान करने की मांग कर रहा है।
- यह मामला महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार उपलब्धता प्राप्त करने हेतु इच्छुक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

2.8. भारत-चीन

(India-China)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश में छह स्थानों के लिए "मानकीकृत" (standardised) आधिकारिक नामों की घोषणा की है।

- चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 14 अप्रैल को घोषणा की कि इसने 'दक्षिण तिब्बत' में चीनी वर्णों (Chinese characters), तिब्बती और रोमन वर्णमाला में छह स्थानों के नामों को मानकीकृत किया है। चीन 'अरुणाचल प्रदेश' को 'दक्षिण तिब्बत' कहता है।
- रोमन वर्णमाला का उपयोग करके छह स्थानों के आधिकारिक नाम वोगनीलिंग, मिला री, क्ओओइडएन्गर्बोरी, मेनक्काका, ब्यूमो ला और नमकापुब री (Wo'gyainling, Mila Ri, QoidêngarboRi, Mainquka, Bümo La and Namkapub Ri) हैं।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने इस कार्यवाही को अस्वीकृत कर दिया। भारत का कहना है कि अपने पड़ोसी देश के कस्बों को नए नाम देना अवैध प्रादेशिक दावों को वैध नहीं बनाता।
- बीजिंग की इस गतिविधि को, सरकार द्वारा दलाई लामा को तवांग मठ का दौरा करने की अनुमति प्रदान करने से क्रोधित हुए चीन द्वारा, तनाव की वृद्धि किए जाने के रूप में देखा जा रहा है।

2.9. भारत-पाकिस्तान

(India-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कुलभूषण जाधव, जिसके संबंध में पाकिस्तान का दावा है कि वह भारतीय जासूस और RAW का एजेंट है, को कोर्ट-मार्शल में दोषी ठहराया गया और मृत्युदण्ड दिया गया है।

- कथित रूप से 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान-अफगान सीमा पर बलूचिस्तान के चमन क्षेत्र में कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था।

- भारत ने कुलभूषण जाधव के सरकार के साथ किसी भी संबंध को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि नौसेना से "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" लेने के बाद ईरान के बंदरगाह शहर चाबहार में वह व्यापार कर रहे थे।
- भारत का मानना है कि कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था और पाकिस्तान में उनकी अनुवर्ती उपस्थिति कभी भी विश्वसनीय ढंग से नहीं प्रकट की गई।

भारत का उत्तर

भारत ने जाधव के विरूद्ध कार्यवाही को "हास्यास्पद" कहा है।

- यह तथ्य कि कांसुलर (Consular) संबंधों पर वियना कन्वेंशन में विशिष्ट प्रावधानों के बावजूद, भारत को जाधव तक ना पहुँचने देना, केवल इस बात की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि गिरफ़्तारी के स्थान और तरीके के संबंध में सत्यता प्रकट हो।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एजेंसियों ने भी पाकिस्तान की आलोचना की है। कुलभूषण जाधव पर मुख्यतः सिविल कोर्ट में और अपील के उपाय के साथ उचित ढंग से दोबारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि गुप्त सैन्य न्यायालय द्वारा उसके नागरिक को मृत्युदण्ड देना "पूर्वनियोजित हत्या" के सामान होगा।

विएना कन्वेंशन ऑन कांसुलर रिलेशन 1963

यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र राज्यों के बीच दूतावास संबंधों की रूपरेखा परिभाषित करती है।

सामान्यत: राजदूत दूसरे देश में दूतावास से कार्य करता है, और दो कार्य निष्पादित करता है:

(1) मेजबान देश में अपने देशवासियों के हितों की रक्षा करना, और

(2) दो राज्यों के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना।

पाकिस्तान और भारत ने 1963 का वियना कन्वेंशन स्वीकार किया है। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने बार-बार कुलभूषण जाधव तक भारतीय राजदूत को पहुंच देने से मना किया है।

आगे की राह

इससे द्विपक्षीय तनाव में तेजी से वृद्धि हो सकती है जिसे यह क्षेत्र नहीं बर्दाश्त कर सकता है। यह प्रकरण भारत की ओर से सक्रिय त्रि-आयामी (three-pronged)अनुक्रिया की मांग करता है:

- पाकिस्तान पर दबाव डालना कि मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए,
- दोषपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया के संबंध में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताना।
- ✓ भारत ने मृत्यु दण्ड के विरूद्ध तत्काल निषेधाज्ञा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का रूख किया है।
- ✓ भारत अनुच्छेद 36 द्वारा निर्धारित अधिकारों के आलोक में दोषसिद्धि और मृत्युदण्ड की "समीक्षा और पुनः विचार" की मांग कर सकता है।
- ✓ ICJ में लंबित वाद पाकिस्तान को मृत्युदण्ड देने से रोक देगा।
- श्री जाधव की सुरक्षित घर वापसी के लिए कूटनीति का पिछला दरवाजा खोलने के लिए वार्ताकारों को भेजना।

2.10. भारत-अमरीका

(INDIA-USA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एच.आर. मैकमास्टर ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

इस यात्रा की मुख्य विशेषताएं

- NSA मैकमास्टर ने अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों के महत्व पर बल दिया और प्रमुख रक्षा साझीदार के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि की।
- रक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग बढ़ाने में अपने साझा हित सहित दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान, पश्चिम एशियाई क्षेत्र और कोरियाई प्रायद्वीप पर उनके साथ वार्ता की।
- अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र और भारत की मैकमास्टर की यात्रा इसलिए भी उल्लेखनीय है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच संबंधों में अंतर करने की नीति का ध्यान में रखते हुए एक ही यात्रा के दौरान इस्लामाबाद और नई दिल्ली की यात्रा करने से परहेज किया है।

2.11. तुर्की का जनमत संग्रह

(Turkey Referendum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तुर्की के संविधान में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं इस पर अप्रैल में तुर्की में संवैधानिक जनमत संग्रह कराया गया।

- तुर्की के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करने वाला प्रारूप संविधान मात्र **51%** से कुछ अधिक मतों के कम अंतर से स्वीकृत हुआ।

संविधान में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन

जनमत संग्रह से पहले संविधान	जनमत संग्रह के बाद संविधान
• संसदीय शासन प्रणाली	• अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
• राष्ट्रपति के पास प्रतीकात्मक शक्तियां हैं।प्रधान मंत्री और सरकार सक्रिय निर्वाहक//निष्पादक हैं	• गणराज्य का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होगा। कार्यकारी शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वह उपराष्ट्रपतियों और मंत्रियों को नियुक्त और पदमुक्त करेगा।
• राष्ट्रपति किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होता है और किसी भी पार्टी का नेता नहीं हो सकता है	• राष्ट्रपति राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है
• तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के चुनाव हर चार साल पर आयोजित किए जाते हैं।	• नेशनल असेंबली और राष्ट्रपति पद के चुनाव हर पांच साल पर और एक साथ आयोजित किए जाएंगे।

2.12. अफगानिस्तान पर वैश्विक सम्मेलन

(Global Conference on Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफगानिस्तान में संघर्ष समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 15 अप्रैल को रूस ने अफगानिस्तान पर शांति सम्मेलन की मेजबानी की।

- मास्को ने ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन और पांच मध्य एशियाई राज्यों को आमंत्रित किया। अमेरिका इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं है।
- यह बीते पांच महीनों में अफगानिस्तान पर मास्को में आयोजित तीसरा सम्मेलन है।

अफगानिस्तान में रूस की भूमिका

रूस की "बड़ी शक्ति" के दर्जे की अभिलाषा और आतंकवाद और मादक द्रव्यों पर उसकी बढ़ती चिंता ने उसे अफगान संघर्ष में पुनः शामिल होने के लिए विवश किया है।

- अब रूस का मानना है कि इस संघर्ष में तालिबान एक "वैध हितधारक" है, जिसे सम्मिलित किया जाना चाहिए और यह अफगानिस्तान में **इस्लामिक स्टेट / दाएश बलों** की तुलना में "छोटी बुराई"(lesser evil) है।
- मास्को ने अफगानिस्तान में दाएश के विरूद्ध प्रयासों का समन्वय करने के लिए तालिबान के साथ संबंध स्थापित किया है।
- भारत और अफगानिस्तान जो कि यह मानते हैं कि पाकिस्तान समस्या का हिस्सा है, और जिन्होंने मास्को सम्मेलन में अपनी चिंताएं भी प्रकट की, वहीं इसके विपरीत रूस और चीन का मानना है कि वह समाधान का हिस्सा है।
- रूसी नीति निर्माताओं ने निम्नलिखित चार सामरिक कारणों से तालिबान की ओर अपना हाथ बढ़ाया है।

✓ पहला, तालिबान के साथ संबंध बनाए रखकर, रूस ने पश्चिम को याद दिलाया है कि वह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफगानिस्तान एजेंडे के विचार-विमर्श में मास्को के हितों की उपेक्षा न करें।

✓ दूसरे, तालिबान का समर्थन करके,रूस इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए बाधाएं खड़ी करना चाहता है।

✓ तीसरे, रूस अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में इस्लामिक स्टेट (ISIS) से, विशेषकर अफगानिस्तान के उत्तर में मध्य एशिया और रूस में इसके विस्तार से खतरा महसूस करता है।

✓ चौथे, अफगानिस्ताएन की अफ़ीम मास्को के लिए एक और बड़ी समस्या है। अफगानिस्तान विश्व के 90% अवैध अफीम की आपूर्ति करता है। अधिकांशत: इसका उत्पादन तालिबान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में होता है।

अफगान शांति प्रक्रिया में भारत का रुख

भारत अफगानिस्तान का प्रमुख विकास साझेदार रहा है और युद्धग्रस्त देश के लिए अफगानिस्तान की अगुवाई वाली और अफगान स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है।

- अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के लिए भारत इस क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग का समर्थन करता है।
- भारत ने सुलह-समझौते के प्रयासों में तालिबान को सम्मिलित करने के रूस, चीन और पाकिस्तान के प्रभुत्वपूर्ण दृष्टिकोण का विरोध करते हुए कड़ा रूख अख्तियार किया।
- रूस द्वारा तालिबान के समर्थन से अफगानिस्तान के भविष्य पर असंख्य प्रभाव होंगे। इससे काबुल में केंद्र सरकार कमजोर हो जाएगी, जिससे सीरिया जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

अफगानिस्तान में रूस की भूमिका के संबंध में अमेरिका का संशय

- अमेरिका का मानना है कि रूस के उद्देश्य स्पष्ट हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की उपस्थिति नियोजित रूप से बढ़ा चढ़ा कर बताना , इसका उद्देश्य अमेरिका को कमजोर करना और सफल अमेरिकी-अफगान आतंकवाद प्रतिरोधी प्रयासों को बदनाम करना है।

- अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को संदेह है कि रूस की शांति कूटनीति NATO को कमजोर बनाने की दिशा में लक्षित है और मास्को पर तालिबान का शस्त्रीकरण करने का आरोप लगाया है।

2.13. 457 वर्किंग वीजा में परिवर्तन

(The 457 Working Visa Changes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया ने देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए 95,000 से अधिक अस्थायी विदेशी श्रमिकों, जिनमें से अधिकांश भारतीय हैं, द्वारा उपयोग किया जाने वाला वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है।

- 457 वीजा के रूप में जाना जाने वाला यह कार्यक्रम, व्यापारों को ऐसे कुशल रोजगारों में चार वर्ष तक की अवधि के लिए विदेशी श्रमिक रखने की अनुमति देता है जिनमें ऑस्ट्रेलियाई श्रमिकों की कमी है।
- 457 वीज़ा कार्यक्रम वह मार्ग है जिसका कई भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रोजगार पाने के लिए उपयोग करते हैं।
- नए नियम के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई वीजा दो रूपों में प्रदान किया जाएगा: अल्पावधि की दो वर्ष की प्रवेश की अनुमति और मध्यम अवधि की दो वर्ष की प्रवेश की अनुमति

✓ नए सुधारों के अंतर्गत, आवेदक को कम से कम चार वर्ष तक स्थायी निवासी होना चाहिए – जो वर्तमान की तुलना में तीन वर्ष अधिक है - और "ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों" को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

✓ भावी नागरिकों को **स्टैंडअलोन** अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

विश्लेषण

- भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि इस कदम का दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते - व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) - पर चल रही वार्ता पर प्रभाव पड़ सकता है।
- नई वीजा व्यवस्था से कुशल श्रमिकों के आवागमन पर अंकुश लगाने हेतु विकसित विश्व में संरक्षणवादी उपायों के उभार का पता चलता है। न्यूजीलैंड ने भी कुशल प्रवासियों के लिए अपनी वीजा शर्तों को कड़ा कर दिया है।
- इस महीने के आरभ में, ब्रिटेन ने अल्पकालिक 'टीयर 2' वीज़ा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका मुख्य रूप से ब्रिटेन में परियोजनाओं पर काम करने के लिए इंजीनियरों को भेजने के लिए भारतीय IT सेवा कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता था।
- विश्लेषकों का मानना है कि बड़े देशों के संरक्षणवादी कदमों का भारतीय IT सेवा कंपनियों के मार्जिन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो पहले ही कम हो रहा है।

2.14. यूरेशियाई आर्थिक संघ

(Eurasian Economic Union-EAEU)

भारत यूरेशियाई आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार है।

- 1 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान FTA पर संयुक्त वक्तव्य जारी होने की संभावना है।

भारत के लिए FTA का महत्व

- भारत और पांच यूरेशियाई देशों के बीच व्यापार लगभग 11 बिलियन डॉलर का है।
- FTA से 37 से 62 बिलियन डॉलर की व्यापार क्षमता वाला एक बड़ा बाजार खुलने की संभावना है।
- यूरेशियाई बाजार मसालों, समुद्री उत्पादों, कॉयर और रबर जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त केरल के लिए चिकित्सा पर्यटन, आईटी और आईटी क्षम सेवाओं में नई निर्यात संभावनाओं के द्वारा खोल सकता है।

यूरेशियाई आर्थिक संघ

- यूरेशियाई आर्थिक संघ में रूस, बेलारूस, अर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान सम्मिलित हैं।
- यूरेशियाई आर्थिक संघ का 183 मिलियन लोगों का एकीकृत एकल बाजार और 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (PPP) से अधिक का सकल घरेलू उत्पाद है।

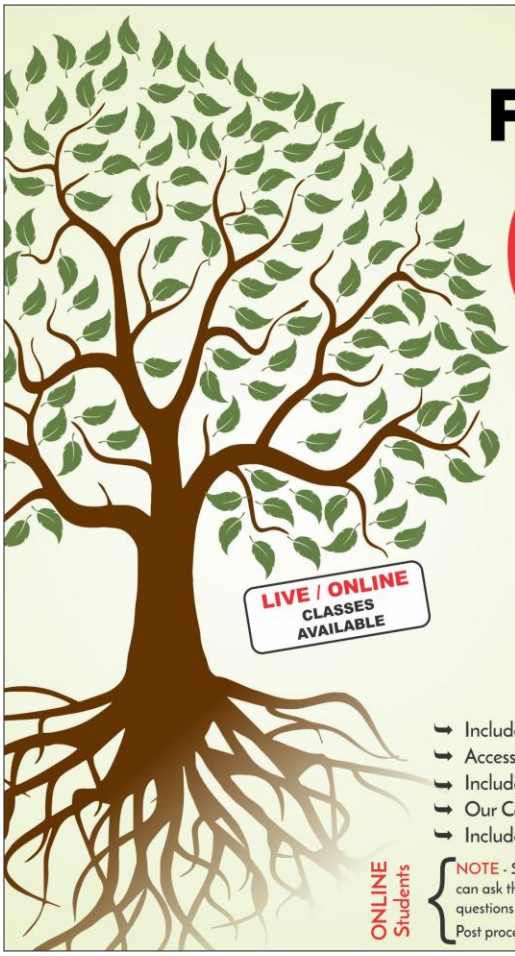

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE

GS PRELIM cum MAINS 2018

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

DELHI

Regular Batch		Weekend Batch
7 June 9 AM	22 June 1 PM	24 June 9 AM

JAIPUR	HYDERABAD	PUNE
22nd June	14th June	3rd July

- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS mains , GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
- Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2018 (Online Classes only)
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

ONLINE Students

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.

Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र

by

ANOOP KUMAR SINGH

Classroom Features:

- ☑ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- ☑ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- ☑ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- ☑ Effective Answer Writing
- ☑ Printed Notes
- ☑ Revision Classes
- ☑ All India Test Series Included

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध

Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

Daily Tests:

- ☑ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
- ☑ Focus on Concept Building & Language
- ☑ Introduction-Conclusion and overall answer format
- ☑ Doubt clearing session after every class

Mini Test:

- ☑ After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
- ☑ Copies will be evaluated within one week

Classes at Jaipur & Pune

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1 कृषि विपणन

(Agricultural Marketing)

3.1.1. कृषि विपणन पर मॉडल कानून का मसौदा

(Draft Model Law on Agricultural Marketing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने '**कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम' (APLM), 2017 {Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitating) Act (APLM), 2017}** नामक एक मॉडल कानून के मसौदे का अनावरण किया, जो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, 2003 का स्थान लेगा।
- कृषि **'राज्य'** का विषय है, इसलिए इसके प्रावधानों को आंशिक या पूर्ण रूप से अपनाना राज्यों पर निर्भर करता है।

उद्देश्य

- **एकल कृषि बाजार** बनाना जहां एकल लाइसेंस के साथ किसी व्यक्ति द्वारा कृषि-उपज के साथ-साथ पशुधन का व्यापार किया जा सकता है।
- किसानों के लिए बेहतर **मूल्य की प्राप्ति।**
- 2022 तक **किसानों की आय को दोगुना** करना।

इस मॉडल अधिनियम के मौसौदे में शामिल प्रावधान

- एकल शुल्क का भुगतान कर **अंतर्राज्यीय व्यापार** की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- व्यापारी जल्दी ख़राब हो जाने वाले वस्तुओं जैसे फल और सब्जियों की बिक्री मौजूदा मंडियों (थोक बाजारों) से बाहर करने में समर्थ होंगे।
- ड्राफ्ट कानून उपज को थोक बाजार में लाए जाने के बाद **किसान द्वारा देय बाजार शुल्क और कमीशन प्रभारों पर** ऊपरी सीमा आरोपित करने का प्रस्ताव रखता है।
- फलों और सब्जियों के लिए बाजार शुल्कों के उदग्रहण पर 2% (बिक्री मूल्य की) एवं खाद्यान्नों हेतु 1% की ऊपरी सीमा प्रस्तावित की गयी है।
- मालगोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज विनियमित बाजारों की तरह कार्य करेंगे।
- सभी प्रकार की **विनियामक शक्तियाँ राज्य में कृषि विपणन निदेशक के पद में निहित होंगी,** जो व्यापारियों एवं नए निजी प्रतिभागियों को लाइसेंस भी जारी करेगा। अब तक ये शक्तियाँ निदेशक बोर्ड द्वारा प्रबंधित मंडियों में निहित होती हैं।
- किसान थोक क्रेताओं को अपने उपज की सीधी बिक्री कर सकते हैं।

महत्व

- यह एक ट्रेडर लाइसेंस (अंतर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस) के आधार पर **अवरोध-मुक्त एकीकृत कृषि बाजार** का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह निजी प्रतिभागियों को थोक बाजारों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करेगा, जिसके फलस्वरूप पारंपरिक 'मंडियों' का एकाधिकार समाप्त होगा।
- व्यापारियों के बीच बढ़ी प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप **बेहतर फार्म-गेट मूल्य** प्राप्त होंगे।
- नया कानून **कृषि उपज के अपव्यय** को भी कम करेगा।
- इससे **इलेक्ट्रॉनिक व्यापार** को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

3.1.2. नीति आयोग द्वारा अनुशंसित कृषि विपणन सुधार

(NITI Aayog Agriculture Marketing Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture cooperation and Farmer welfare: DAC&FW) ने नीति आयोग के परामर्श से कृषि विपणन से संबंधित सुधारों का एक समुच्चय निर्धारित किया है, जो राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (APMC) अधिनियमों में आवश्यक होते हैं।

VISION IAS

सुधार

- निर्धारित सुधारों में सम्मिलित हैं:

✓ **3 अनिवार्य सुधार - ई-व्यापार हेतु प्रावधान, एकीकृत व्यापार लाइसेंस एवं बाजार शुल्क का एकल बिन्दु उदग्रहण**, जो ई-नाम (ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार; e-NAM) पर राज्य बाजारों के एकीकरण को सक्षम बनाएगा।

✓ उत्पादकों एवं क्रेताओं के बीच मध्यस्थों को कम करने के लिए **निजी क्षेत्रक में बाजारों (निजी मंडियों) की स्थापना करना एवं प्रत्यक्ष विपणन**।

✓ राज्यों को, अनुपूरक आय हेतु कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों द्वारा अपनी भूमि पर उगाए गए वृक्षों को **काटने एवं पारगमन करने (transit) संबंधी नियमों** को उदार बनाने का परामर्श दिया गया है।

✓ संपूर्ण राज्य में व्यापारियों के लिए एकल लाइसेंस।

✓ **भूमि पट्टा बाजार का उदारीकरण–** नीति आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु पहले ही एक मॉडल भूमि पट्टा कानून लाया गया है।

✓ **फलों और सब्जियों को APMC अधिनियम** से बाहर करना।

✓ व्यापारियों के पंजीकरण के लिए स्थान की उपलब्धता की अनिवार्य आवश्यकता के प्रावधान को असंबद्ध (delink) करना।

{कृषि उपज विपणन समिति (APMC) के मूलभूत तथ्यों पर और अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए कृपया विजन आईएएस फ़रवरी 2017 के समसामयिकी मॉड्यूल का संदर्भ लीजिए}

3.2. कृषि ऋण माफी

(Farm Loan Waiver)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 1 लाख रुपए से कम ऋण लेने वाले किसानों के लगभग 36,000 करोड़ रुपए मूल्य के कृषि ऋण को माफ कर दिया।

शामिल मुद्दे

- RBI के गवर्नर ने कृषि ऋण माफी को लोकप्रियतावादी एवं आर्थिक रुप से अकुशल कदम बताते हुए आगाह किया है।
- किसान मानसून की अनियमितता एवं दयनीय कृषि नीतियों का सामना करते हैं। इसलिए कुछ लोगों का विश्वास है कि किसानों को कृषि व्यवसाय के प्रति प्रेरित रखने के लिए ऋण माफी एक अनिवार्य बुराई (necessary evil) है।

कारण

- किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है; जैसे अनियमित मानसून, जल स्तर एवं मृदा की गुणवत्ता में और अधिक गिरावट, इनपुट की बढ़ती लागतें इत्यादि। कुछ अन्य कारणों सहित ये कारण कृषि ऋण की माफी में समाहित कारक थे।

चुनौतियां

- मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार को कृषि ऋणों की माफ करने का परामर्श दिया है एवं हाल ही में सूखे का सामना करने वाले महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे कई राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं।
- ऋण माफी **गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों** तथा अवसंरचना एवं निजी वित्तपोषण के क्राउडिंग आउट के प्रमुख कारण हैं।
- इसके परिणामस्वरुप **राज्यों द्वारा अपने FRBM लक्ष्यों का उल्लंघन भी किया जा सकता है,** जिससे वे **राजकोषीय रूप से गैर जिम्मेदार** एवं राज्य के खजाने को हानि पहुंचाने वाले बन सकते हैं।
- कृषि ऋणों की माफी भविष्य में नैतिक खतरा (moral hazard) सिद्ध हो सकती है क्योंकि संभव है कि माफी की आशा में किसानों द्वारा पहली बार में ऋणों का भुगतान नहीं किया जाए।

कृषि संकटों का समाधान

- अनौपचारिक महंगे ऋण पर निर्भरता को कम करने के लिए किसानों हेतु **प्रतिबद्ध संस्थागत ऋण प्रणाली** की आवश्यकता है।

- मानसून की अनियमितता के विरुद्ध **कृषि प्रणाली को किसानों के अनुकूल बनाने** की आवश्यकता है; जैसे -
- ✓ कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुसार फसल प्रतिमानों में परिवर्तन करना। जैसे कि जल की कमी वाले क्षेत्र में दालों को उगाना।
- ✓ छिड़काव और ड्रिप सिंचाई जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर जोर देकर सिंचाई अवसंरचना का सुधार करना, जैसा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- सरकार को फसल कटाई के उपरांत होने वाली हानियों को कम करने के लिए **अपनी भंडारण अवसंरचना का सुधार करने** की भी आवश्यकता है।
- भिन्न-भिन्न स्थानों में एवं भिन्न-**भिन्न फसलों के लिए उचित अधिप्राप्ति एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली।**
- किसानों को फसल कटाई के उपरांत होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान से सुरक्षित करने के लिए, विशेष रुप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बीमा का व्यापक आच्छादन होना चाहिए।
- किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए -
- ✓ **एग्रीकल्चर मार्केटिंग (कृषि विपणन) में सुधार एवं रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी** की आवश्यकता है।
- ✓ विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए पारंपरिक कृषि के साथ **पशुपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों (Allied sectors) को** प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3.3. कागज क्षेत्रक

(Paper Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कागज निर्माण उद्योग के लिए बेकार कागज, पुनर्चक्रित (recycled) कागज जैसे कच्चे माल का मूल्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ता रहा है।

कागज उद्योग के समक्ष चुनौतियां

- भारत में मुख्य रूप से कृषि वानिकी की कम प्रचलित परम्परा के कारण लकड़ी की लुग्दी जैसे **कच्चे माल का अभाव।**
- **नवीन प्रौद्योगिकी के कारण खपत प्रतिमानों में परिवर्तन -** कंप्यूटर और दूरसंचार ने 1980 के दशक से कागज के उपयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है। उदाहरण के लिए स्टोरेज डिवाइस।
- भारत अभी भी **बेकार कागज और पुनर्चक्रित कागज के आयातों पर निर्भर है**, क्योंकि विकसित देशों की तुलना में भारत में **कागज अपशिष्टों से कागज पुन:प्राप्त करने की दर अत्यधिक कम है।**
- हालांकि श्रम और ईंधन की दृष्टि से भारत को लागत संबंधी लाभ प्राप्त है लेकिन निम्न श्रम उत्पादकता एवं कोयले की गुणवत्ता में विभिन्नता इसे कम कर देते हैं।
- लुगदी और कागज उद्योग को अत्यधिक प्रदूषणकारी भी माना जाता है और इसलिए कार्बन फुटप्रिंट के संदर्भ में भारत में हाल ही के औद्योगिक वर्गीकरण में इस उद्योग को **'लाल श्रेणी'** (Red category) में रखा गया है।
- मजबूत करेंसियों और बेहतर प्रौद्योगिकियों के कारण चीन जैसे देशों द्वारा सस्ते आयात।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में **लुग्दी निर्माण के लिए सब्सिडी की वापसी**। इसके कारण कच्चे माल महंगे हो गए हैं।

पृष्ठभूमि

- **कागज एवं लुग्दी उद्योग की अवस्थिति** निम्नलिखित मापदण्डों पर आधारित है-
- ✓ कच्चे माल की उपलब्धता (विशाल वन क्षेत्र)
- ✓ परिवहन (निकटवर्ती नदी)
- ✓ विशाल परिमाण में ऊर्जा की उपलब्धता
- ✓ सस्ता श्रम
- ✓ बाजार की पर्याप्त उपलब्धता
- इसलिए भारत का अधिकांश कागज एवं लुग्दी उद्योग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय की तलहटी के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों इत्यादि में संकेंद्रित है।
- **मिलों द्वारा कई प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है;** जैसे- लकड़ी/बांस (24%), बेकार कागज/ पुनर्चक्रित फाइबर (65%) एवं खोई तथा गेहूं का पुआल और चावल की भूसी जैसे कृषि-अवशेष।
- **इस उद्योग के विकास के मुख्य चालक हैं:** शहरीकरण और बदलती जीवन शैलियाँ, शिक्षा पर बल, संगठित खुदरा बाजार में वृद्धि एवं बेहतर गुणवत्ता वाली पैकेजिंग की मांग जैसे औषधीय पैकेजिंग।

कागज उद्योग का महत्व

- कागज उद्योग बड़ी संख्या में (लगभग 0.5 से 1 मिलियन) रोजगार प्रदान करता है।
- कागज उद्योग का उपयोग तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (FMCGs) से लेकर औषधियों के **पैकेजिंग प्रयोजनों हेतु किया जाता** है।
- पैकेजिंग के अतिरिक्त, कागज उद्योग **लेखन एवं मुद्रण उद्देश्यों** हेतु भी कागज का उत्पादन करती है।

VISION IAS

कागज उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहलें

- 1997 में, कागज उद्योग को डि-लाइसेंस किया गया था एवं इसमें 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई थी।
- प्रिंट मीडिया में 26% FDI की अनुमति है, जो कागज उद्योग के लिए मुख्य अंतिम उपयोग क्षेत्रक है।
- सरकार द्वारा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गयी है।
- सरकार **राष्ट्रीय वन नीति** एवं **राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (2014)** भी लेकर आई है जो कच्चे माल की कमी को पूरा करने में सहायता कर सकती है।

राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014

- कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत तंत्र की स्थापना करना।
- कृषि वानिकी उपज के संचयन एवं परिवहन के लिए सरल विनियामक तंत्र (वर्तमान में कई एजेंसियों द्वारा विनियमन अधिरोपित किए जाते हैं)।
- किसानों को कच्चे माल एवं ऋण की सुलभता।
- समर्थ डेटाबेस और सूचना प्रणाली का विकास करना एवं शोध में निवेश।

आगे की राह

- कागज उद्योग को अपनी क्षमताओं में विशाल वृद्धि करने के स्थान पर लुग्दी निर्माण एवं कागज **मशीन प्रौद्योगिकी** में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।
- बेकार कागज को पुन:प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी भी सहयोगी हो सकती है परन्तु वर्तमान में प्रौद्योगिकी का प्रयोग अत्यधिक निम्न है।
- नवीनतम प्रौद्योगिकी उन्हें हरित उत्सर्जन मानदंडों के अनुकूल बनने में भी सहायता करेगी।

3.4. पॉवरटैक्स इंडिया

(PowerTex India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यह विद्युत करघा क्षेत्रक (Powerloom Sector) के विकास हेतु एक व्यापक योजना है जिसे हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा तीन वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है।

पृष्ठभूमि

- दूसरी पंचवर्षीय योजना ने **बुनाई की क्षमता के विस्तार** को प्रोत्साहित किया और इस प्रकार 1980 के दशक और 1990 के दशक तक, कई हथकरघों को विद्युत करघों में परिवर्त्तित कर दिया गया था।
- अभी भी अधिकाधिक रूप से हथकरघों पर निर्भर पूर्वी भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर, अधिकतर राज्यों में विद्युत करघे ही व्याप्त हैं।
- विद्युत करघों की तीव्रतम वृद्धि **केवल 3 राज्यों** - महाराष्ट्र (भारत का सर्वाधिक विशाल विद्युत करघा उद्योग), **तमिलनाडु और गुजरात** में हुई।

विद्युत करघा

वस्त्र विनिर्माण हेतु विद्युत शक्ति की सहायता से संचालित करघों को **विद्युत करघे** कहा जाता है, जबकि विद्युत शक्ति की सहायता के बिना संचालित करघों को **हथकरघे** कहा जाता है।

इस योजना का प्रावधान

- इसका उद्देश्य **सामान्य अवसंरचना एवं विद्युत करघा क्षेत्रक के आधुनिकीकरण** को बढ़ावा देना है।
- इसके **नौ प्रमुख अवयव** हैं; जैसे- ग्रुप वर्कशेड स्कीम (GWS), यार्न बैंक स्कीम, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC), टेक्सटाईल वेंचर कैपिटल फण्ड इत्यादि। हाल ही में **दो नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया है**-

✓ विद्युत करघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना।
✓ विद्युत करघा हेतु सौर ऊर्जा योजना।

- **ग्रुप वर्कशेड स्कीम** के लिए आवश्यक करघों की न्यूनतम संख्या को 48 से कम करके 24 कर दिया गया है।
- कुछ **मौजूदा योजनाओं** जैसे यार्न बैंक एवं साधारण विद्युत करघों के स्वस्थानी उन्नयन को संशोधित किया गया है।

विद्युत करघे पर अन्य सरकारी योजनाएं

- भारत सरकार ने **विद्युत करघा क्षेत्रक के लिए सब्सिडी वाली विभिन्न योजनाओं** को लॉन्च किया है, जैसे कि–

✓ संशोधन प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (o Amended Technology Up-gradation Fund Scheme: A-TUFS)।
✓ प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए साधारण विद्युत करघों हेतु स्वस्थानी उन्नयन योजना (In-situ Up-gradation Scheme)।
✓ विद्युत करघा क्षेत्रक हेतु वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता देने के लिए ग्रुप वर्कशेड स्कीम।

✓ क्रेता-विक्रेता मिलन के रूप में विपणन समर्थन हेतु विस्तारित सहायता प्रदान करने के लिए विद्युत करघा क्षेत्रक विकास हेतु एकीकृत योजना (Integrated Scheme for Powerloom Sector Development: ISPSD)।

विद्युत करघा क्षेत्रक से संबंधित चुनौतियाँ

- **विपणन**: यह क्षेत्रक बिचौलियों पर अधिक निर्भर हैं, जो इससे प्राप्त होने वाले लाभों को हड़प जाते हैं।
- **वित्तपोषण:** इस क्षेत्रक के लिए समर्पित वित्तपोषण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता में कमी है।
- **कच्चा माल:** यह उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव होता रहता है।
- **प्रौद्योगिकी:** अधिकतर विद्युत करघे पुराने और अप्रचलित हैं। इसलिए, उत्पाद की उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- उद्यमिता कौशलों (**entrepreneurial skills**) का अभाव।

3.5. रेलवे क्षेत्रक में विकास

(Developments in Railway Sector)

3.5.1. रेलवे विकास प्राधिकरण

(Railway Development Authority)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से 50 करोड़ रुपए के आरंभिक कोष के साथ एक रेल विकास प्राधिकरण (RDA) की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है। इसका प्राधिकरण दिल्ली में अवस्थित होगा।

आवश्यकता

- केन्द्र सरकार किरायों का निर्धारण अधिकतर राजनीतिक विचारों के आधार पर करती रही हैं। इसके कारण **तिर्यक सब्सिडी (क्रास-सब्सिडी) दिए जाने एवं मालभाड़ा क्षेत्रक को घाटे होने की अवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं।**
- **इस पहल पर विभिन्न समितियों द्वारा जोर दिया गया है**, जैसे:

✓ राकेश मोहन विशेषज्ञ समूह (2001)।

✓ राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (NTDPC) (2014)।

✓ प्रमुख रेल परियोजनाओं एवं रेल मंत्रालय के पुनर्गठन हेतु संसाधनों के संघटन पर बिबेक देबरॉय समिति(2015)।

इस प्राधिकरण के कार्य

- इसके प्राथमिक कार्य होंगे:

✓ लागतों के अनुरूप **प्रशुल्क की अनुशंसा** करना।

✓ **सामाजिक सेवा दायित्व** के लिए सिद्धांतों को विकसित करना।

✓ **निजी निवेश के लिए नीतियों** का सुझाव देना।

✓ दक्षता मानक तय करना एवं किसी भी प्रकार के रियायत समझौतों के संबंध में विवादों का समाधान करना।

✓ रेल क्षेत्रक के संबंध में सूचना एवं सांख्यिकी का संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रसार करना।

- यह रेलवे अधिनियम 1889 के मानदंडों के अंतर्गत कार्य करेगा एवं रेल मंत्रालय को यात्री और माल भाड़ा किरायों के संबंध में अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
- यह स्वतंत्र निकाय होगा। पृथक बजट एवं नियुक्ति तथा पदच्युति की प्रक्रिया के प्रावधान इसकी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने में सहायता करेंगे।

प्राधिकरण की संरचना

- इसका **एक अध्यक्ष एवं तीन सदस्य** होंगे जिनमें से प्रत्येक का नियत कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
- केंद्र सरकार **खोज और चयन समिति (search and selection committee) द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से चयन करके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगी।** इस खोज और चयन समिति में सम्मिलित होंगे -

✓ कैबिनेट सचिव (अध्यक्ष)

✓ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष

✓ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव

✓ कैबिनेट सचिव द्वारा नामित केन्द्र सरकार के किसी भी विनियामक निकाय का अध्यक्ष।

- उन्हें दिवालियापन, दोषसिद्धि, कदाचार इत्यादि आधारों पर सरकार द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा।

महत्व

- यह यात्री किरायों की अनुशंसा करेगा एवं रेल संचालनों के लिए कार्य-निष्पादन मानदंड निर्धारित करेगा। **इस प्रकार यह निजी क्षेत्र प्रतिभागिता के लिए एक समान स्तरीय नीति** उपलब्ध करायेगा।

VISION IAS

- यह कदम **यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करेगा** एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि करेगा।
- यह प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा एवं बाजार विकास को प्रोत्साहित करेगा।

चुनौती

- इसकी अनुशंसाएं **बाध्यकारी नहीं होंगी।** यह केवल रेल मंत्रालय को अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेगा जो निर्णय लेने हेतु अंतिम प्राधिकरण होगा। इसलिए, यह कदम प्रतीकवाद तक सीमित रह सकता है।
- क्योंकि इसे कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया गया है। यह इसकी वैधता को कम कर देता है और इसे **राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति प्रवण** (**prone to political interference**) बनाता है।

आगे की राह

- रेल क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु सहायता करने के लिए RDA की स्थापना कर सरकार ने स्वागत योग्य कदम उठाया है। लेकिन यदि प्राधिकरण को स्वतंत्र, स्वायत्त एवं वैधानिक नहीं बनाया जाता है तो यह निरर्थक बन सकता है।

3.5.2. भारतीय रेलवे की पर्यटन नीति का मसौदा

(Draft Tourism Policy of Indian Railways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रेलवे के व्यापार को रूपान्तरित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में पर्यटन नीति का एक प्रारूप तैयार किया है।
- रेलवे के यात्री खंड में घाटा हो रहा है और इस प्रारूप से इस खंड की आय बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

नीति की विशेषताएँ

- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए **समर्पित ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ करना**।
- पर्यटकों के लिए होटल में ठहरने और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण जैसी सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए, IRCTC सहित कई सेवा प्रदाताओं को सम्मिलित करना।
- टूर ऑपरेटरों के लिए **समर्पित पर्यटक कोच** (dedicated tourist coaches) की बोली लगाने की अनुमति देना।
- हिल स्टेशनों में संचालित किए जाने हेतु भाप से चलने वाली ट्रेनों को पुन: प्रचालित करना और **PPP मॉडल द्वारा पर्वतीय रेल के वित्त में सुधार** लाना।
- आम लोगों के लिए किफायती दरों के साथ **'भारत दर्शन ट्रेन'** लॉन्च की जाएगी।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना:

✓ **आस्था सर्किट ट्रेन**: रेलवे द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर संचालित की जाएगी।

✓ **राज्य तीर्थ ट्रेन**: राज्य सरकारों के अनुरोध पर एवं उनके व्यय पर चलाई जाएगी।

- विदेशी पर्यटकों के लिए प्रभावी रूप से अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए एक वर्ष अग्रिम में सीटों की बुकिंग।
- भारत समृद्ध पर्यटकों के लिए लक्जरी और अर्ध-लक्जरी पर्यटक ट्रेनों का शुभारंभ करके लक्जरी ट्रेन खंड में भी अपना स्थान बनाएगा।

IRCTC

- यह एक **सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम** (PSE) है जिसे 1999 में प्रारंभ किया गया था।
- यह **मिनी रत्न श्रेणी 1** का PSE है।
- इसके कार्यों में सम्मिलित हैं::

✓ स्टेशन पर, रेलगाड़ियों में और अन्य स्थानों पर खान-पान और आतिथ्य सेवाओं का उन्नयन और प्रबंधन।

✓ बजट होटल, विशेष टूर पैकेज, सूचना और व्यावसायिक प्रचार और वैश्विक आरक्षण प्रणाली का विकास।

✓ रेल यात्रियों के लिए बोतलबंद पेयजल का विनिर्माण।

3.5.3. अव्यवहारिक मार्गों के लिए अनुदान

(Aid for Unviable Routes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रेल मंत्रालय आर्थिक रूप से अव्यावहारिक सामरिक और राष्ट्रीय महत्व की रेल लाइनों के संचालन के लिए वित्त मंत्रालय से क्षतिपूर्ति चाह रहा है।

आवश्यकता

- रेलवे बजट के केंद्रीय बजट में विलय के बाद **अव्यावहारिक मार्गों के लिए वार्षिक सब्सिडी (लगभग 4000 करोड़ रुपये) देने की प्रथा बंद कर दी** गई है।

- हाल ही में 2 संसदीय निकायों - रेलवे पर स्थायी समिति और प्राक्कलन समिति – ने अनुशंसा की है कि सामरिक लाइनों पर होने वाले घाटे के लिए वित्त मंत्रालय को रेलवे की भरपाई जारी रखनी चाहिए।

आगे की राह

- सीमावर्ती क्षेत्रों में और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रेल परिचालन सामाजिक रूप से वांछनीय परियोजनाएं होती हैं। जोकि सामान्यत: आर्थिक रूप से हानिप्रद होती हैं इसलिए रेल क्षेत्र के राजस्व में अकुशलताओं के निर्माण से बचने के लिए सब्सिडी की आवश्यकता होती है।
- रेलवे की राष्ट्र निर्माण में विशिष्ट भूमिका है और इसलिए यह सब्सिडी न्यायसंगत मानी जाती है।

3.6. अवसंरचना वित्तपोषण

(Infrastructure Funding)

3.6.1. दीर्घावधिक वित्त बैंक

(Long Term Finance Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- RBI के एक परिचर्चा पत्र में विशेषकर अवसंरचना और उद्योगों की ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के वित्तीयन हेतु 1,000 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के साथ दीर्घावधिक वित्त बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

आवश्यकता

- वर्तमान विकास स्तर को बनाए रखने या इस स्तर को बढ़ाने के लिए अगले 10 वर्षों में भारत को अवसंरचना क्षेत्र में 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।
- भारत दबावग्रस्त बैंकों और अति-ऋणग्रस्तता से जूझने वाली कंपनियों के कारण दोहरे-तुलनपत्र (Twin Balanced sheet) की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए समर्पित मार्ग (dedicated paths) इस समय की आवश्यकता हैं।
- अवसंरचना ऋणों की अवधि बहुत लंबी होती है और इसलिए इसके प्रति बैंक जैसे संस्थान प्रोत्साहित नहीं होते हैं। इसलिए पृथक अवसंरचना बैंकों की आवश्यकता है।

RBI का प्रस्ताव

- होलसेल एंड लॉन्गटर्म फाइनेंस बैंक (Wholesale and Long-term Finance Bank-WLTFB) के प्रवर्तकों के लिए पात्रता मानदंड, ऑन-टैप यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के समान होंगे। उदाहरण के लिए,
  - ✓ बैंकिंग और वित्त में 10 वर्षो का अनुभव रखने वाला, कम से कम 5,000 करोड़ रूपए की कुल परिसंपत्ति और अपनी कुल आय का 40 प्रतिशत से कम गैर-वित्तीय स्रोतों से प्राप्त करने वाला कोई भी व्यापार समूह या व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं,
  - ✓ बड़े औद्योगिक घराने इन बैंकों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं।
  - ✓ इन बैंकों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने से छूट दी जाएगी और कृषि और समाज के कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
- WLTF बैंकों को रुपये के मूल्य वर्ग वाले बंधपत्रों, वाणिज्यिक बैंक उधारी और जमाराशि का प्रमाण पत्र बेचकर धन जुटाने की अनुमति होगी।
- उन्हें नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बनाए रखना होगा लेकिन अवसंरचना बंधपत्रों के माध्यम से उठाए गए फंडों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा।
- WLTF बैंकों को सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

3.6.2. राज्यों को विदेशी ऋण के लिए अनुमति

(States Allowed Overseas Loans)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्य सरकार की संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से सीधे वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से बाह्य विकास सहायता भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित हेतु प्राप्त की जाती है
  - ✓ केंद्रीय क्षेत्र में परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए
  - ✓ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए
  - ✓ राज्य सरकारों की ओर से राज्य सरकार या स्थानीय निकायों और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए
- वर्तमान दिशानिर्देश राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा बाह्य एजेंसियों से सीधे उधार लेने की अनुमति नहीं देते हैं।

आवश्यकता

- राज्य संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क करना पड़ता है और ऐसा कोई भी वित्तपोषण राज्य के उधारी बजट में सम्मिलित किया जाता है जिससे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम का उल्लंघन होता है।

प्रस्ताव

- 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व वाली और 5,000 करोड़ रूपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं पर काम करने वाली राज्य संस्थाओं को द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता साझेदारों (bilateral Official development assistance partners) से सीधे धन प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।
- संबंधित राज्य सरकार ऋण के लिए गारंटी प्रदान करेगी और भारत सरकार ऋण के लिए काउंटर गारंटी प्रदान करेगी।

महत्व

- इससे राज्यों को बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निवेश प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- राज्य के सरकारी खजाने पर बोझ डाले बिना और राज्य के FRBM लक्ष्यों में व्यवधान डाले बिना राज्य केंद्र सरकार की गारंटी के आधार पर ऋण उठाने में सक्षम होंगे।
- इससे राज्य के बजट पर दबाव कम हो जाएगा और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक व्यय करना संभव होगा।

3.7. FRBM की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशें

(FRBM Review Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- NK सिंह की अध्यक्षता में भविष्य के FRBM रोडमैप पर अनुशंसाएं करने के लिए गठित FRBM समीक्षा समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

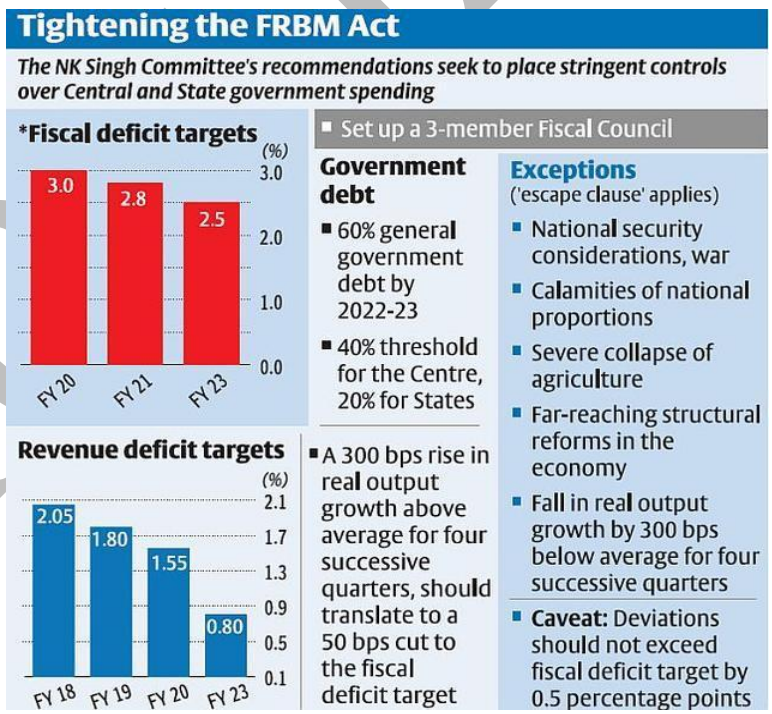

पृष्ठभूमि

- 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उधार लिए गए धन पर अतार्किक सार्वजनिक व्यय था।
- संविधान के अनुच्छेद 268 के अंतर्गत सरकार द्वारा उधार लेने के अधिकार को सीमित करने के लिए FRBM कानून (2003) बनाया गया था।
- FRBM कानून ने 2008-09 तक GDP के 3% के बराबर राजकोषीय घाटे को लाने की परिकल्पना की थी, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट और पिछले कुछ वर्षों के दौरान संशोधनों के कारण यही लक्ष्य अब 2017-18 तक निर्धारित किया गया है।
- सरकार ने 2017-18 में GDP के 3.2% के बराबर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है।

इस समिति की सिफारिशें

- 2019-20 तक GDP के अनुपात के 3% के बराबर राजकोषीय घाटा बनाए रखते हुए राजकोषीय समेकन (उदाहरण के लिए निकट अवधि के लिए वित्तीय विस्तार अपनाना) के संदर्भ में केंद्र सरकार के लिए नम्यता प्रदान की गयी है। इसके बाद, यह समिति राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में कमी की अनुशंसा करता है (बाक्स देखें)।
- समिति ने एक एस्केप क्लॉज़ की अनुशंसा की है, जिसके अंतर्गत सरकार को किसी विशेष वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य छोड़ने की अनुमति दी गयी है। (बॉक्स देखें)
- वर्तमान FRBM अधिनियम रद्द कर दिया जाना चाहिए और एक नया ऋण और राजकोषीय दायित्व अधिनियम (Debt and Fiscal Responsibility Act) अंगीकृत किया जाना चाहिए।
- इसने एक वित्तीय परिषद (Fiscal Council) के गठन का भी सुझाव दिया है जो:

✓ केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बहु-वर्षीय वित्तीय पूर्वानुमान तैयार करेगी।
✓ केंद्र सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करेगी।
✓ एस्केप क्लॉज़ रद्द करने से पहले सरकार को परिषद से अवश्य परामर्श करना चाहिए।

- राजकोषीय और राजस्व घाटे की संख्याओं की बजाय, सरकार को 2023 तक GDP के अनुपात के रूप में 60% (वर्तमान में 68%) तक सार्वजनिक ऋण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह दिवालिएपन का सरल पैमाना है, जिसका रेटिंग एजेंसियों द्वारा भी उपयोग किया जाता है।
- यह राजकोषिय प्रबंधन में संस्थागत सुधारों की अनुशंसा करता है जैसे-

✓ राज्य उधारियों के लिए केंद्र द्वारा सहमति देना (अनुच्छेद 293 के अनुसार)

✓ RBI द्वारा प्रत्येक सरकार द्वारा बंधपत्र और ऋण निर्गमन के लिए समेकित दस्तावेज जारी करना

जैसा कि FRBM में है, राजकोषीय और राजस्व घाटे के लिए वर्ष दर वर्ष लक्ष्यों के अतिरिक्त ऋण सीमा (दीर्घकालिक वित्तीय एंकर के रूप में कार्य करना) की स्थापना करना।

महत्व

- विमुद्रीकरण के बाद, समिति ने एस्केप क्लॉज़ की अनुशंसा की है और साथ ही राजकोषीय समेकन लक्ष्य में कमी करने पर सरकार को नम्यता भी दी है।
- इसके साथ ही, अप्रत्याशित परिस्थितियों की स्थिति में सरकार को लचीलापन प्रदान करने की भी आवश्यकता थी जो नए अधिनियम में उपलब्ध होगी। इससे राजकोषिय और मौद्रिक विस्तार और संकुचन संरेखित करने में भी सहायता मिलेगी।

चुनौतियां

- यह महत्वपूर्ण है कि राज्यों से परामर्श किया जाए, क्योंकि 60% ऋण लक्ष्य में उनके खाते में 20% सम्मिलित है। कुछ राज्यों की वित्तीय स्थिति फिर से बिगड़ती जा रही है जैसे उनमें से कुछ राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी।

3.8. जनरल एंटी-अवॉयडेंस रूल्स

(General Anti-Avoidance Rules: GAAR)

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने GAAR को प्रभाव में लाने का आश्वासन दिया था, जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होता।

पृष्ठभूमि

- GAAR का सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कर संहिता 2009 में प्रस्ताव किया गया था।
- 2012 के बजट भाषण (आयकर अधिनियम में संशोधन द्वारा) में इसे पुन: प्रस्तावित किया गया था जो अप्रैल 2014 तक किया जाना था।
- विरोध के बाद GAAR के प्रावधानों की अनुशंसा करने के लिए पार्थसारथी सोम समिति (2012) का गठन किया गया था ।
- 2016 के बजट में, इसे लाए जाने की तिथि 1 अप्रैल 2017 निर्धारित की गई थी।

सरकार द्वारा स्वीकार की गई पी. सोम समिति की अनशसाएं थीं-

- ऐसे लेनदेनों के लिए अप्रयोज्यता जहां वित्तीय वर्ष में कर लाभ 3 करोड़ रूपए से कम है
- FII को छूट
- GAAR के अंतर्गत कर लाभ के लिए अनुमोदन करने वाले पैनल में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी और कर और व्यापार पद्धतियों का विशेषज्ञ होगा।

आवश्यकता

- हाल के दिनों में ट्रांस्फर प्राइसिंग, राउंड ट्रिपिंग (कम कर क्षेत्राधिकार में पैसा रखना और FDI या FII के रूप में रीरूटिंग करना) आदि जैसी पद्धतियों के कारण कर परिहार की घटनाएं देखने को मिली हैं। जैसे कि, वोडाफोन प्रकरण।
- ऑक्सफ़ैम की रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि कर परिहार आर्थिक असमानताओं का प्रमुख कारण है।

GAAR के अवयव

- GAAR नियमों / रूपरेखाओं का एक ऐसा समुच्चय है जो राजस्व अधिकारियों की यह निर्धारित करने में सहायता करता है:

✓ कि क्या किसी विशेष लेनदेन में वाणिज्यिक सामग्री है या नहीं

✓ वास्तविक लेनदेन से जुड़ा कर दायित्व।

- यह सरकार को स्थानीय परिसंपत्तियों से संबंधित विदेश में हुए सौदों पर कर लगाने की अनुमति देता है।

- GAAR के प्रावधान उन लोगों पर लागू होंगे जो 3 करोड़ रुपये से अधिक के कर लाभ का दावा करते हैं।
- छूटें:
✓ यदि लिमिट्स ऑफ़ बेनिफिट (LOB) क्लॉज़ पर्याप्त रूप से कर परिहार को अपने में शामिल करती है, तो GAAR का प्रावधान लागू नहीं होगा।
✓ न्यायालय द्वारा स्वीकृत व्यवस्था GAAR से बाहर रखी जाएगी।
✓ यदि प्राधिकरण द्वारा अग्रिम नियमों के लिए व्यवस्था की अनुमति दी जाती है, तो GAAR लागू नहीं होगा

विभिन्न कर कटौती उपाय
- कर शमन (Tax mitigation) - यह वह स्थिति है जिसमें करदाता कर का बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त कर छूट जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, कर लाभ लेने के लिए SEZ में व्यापार स्थापित करना।
- कर परिहार (Tax Avoidance) - यह वह स्थिति है जिसमें करदाता कर दायित्व कम करने के के लिए कानून की कमियों का लाभ उठाने का प्रयास करता है, अन्यथा उसे कर देना पड़ता।
✓ कर परिहार वस्तुतः पूरी तरह से कर लाभ उठाने के लिए किया जाता है।
✓ जैसे, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के माध्यम से कंपनी के भीतर लाभ हस्तांतरित करना।
- कर नियोजन (Tax Planning): यह सेवानिवृत्ति योजना आदि जैसे विकल्पों का उपयोग करके कर भुगतान को न्यून करने की एक योजना है।

महत्व
- इससे कर अधिकारियों को ऐसे दरवाजे बंद करने एवं कर परिहार की रोकथाम करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार सरकार का कर राजस्व बढ़ सकता है।
- GAAR के माध्यम से, सरकार P-नोट्स के प्रचलन पर अंकुश लगा सकती है जो औपचारिक भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन का निवेश करने का एक उपकरण बन गया है।
- यह मुक्त और निष्पक्ष निवेश को बढ़ावा देने वाला एवं दीर्घकाल में इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस की दिशा में एक सफल कदम होगा।
- भारत ऐसे अन्य विकसित देशों के दर्रे पर आ जाएगा जो पहले ही GAAR लागू कर चुके हैं।

चुनौतियां
- GAAR के संबंध में राजस्व अधिकारियों की शक्तियां और उत्तरदायित्व अभी भी अपरिभाषित हैं और इससे वैध कर नियोजन का उत्पीड़न हो सकता है।
- कर शमन और कर परिहार पद्धतियों के बीच अंतर करने में व्यक्तिपरकता है।

आगे की राह
- सरकार ने पहले से ही कर परिहार से बचने के लिए कदम उठाना आरंभ कर दिया है। इसने एडवांस प्राइसिंग रूल्स, दोहरे कर परिहार समझौतों में लिमिट्स ऑफ़ बेनिफिट क्लॉज़ आदि प्रचलित की है। GAAR के प्रचलन से कर संग्रह बेहतर बनाने के लिए पहले से ही उठाए गए कदम सुदृढ़ होंगे।
- सरकार को कर परिहार रोकने और इससे निपटने के लिए पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन खड़ा करने के बीच संतुलन बनाना होगा

3.9. तकनीकी वस्त्र
(Technical Textiles)

तकनीकी/ कार्यात्मक वस्त्र
- वस्त्रों का एक ऐसा समूह है, जिसका उपयोग सौन्दर्यात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं अपितु उसके व्यवहारिक या प्रयोजनमूलक गुणों के लिए किया जाता है।
- ये बुने हुए या बुनाई रहित हो सकते हैं।
- उदहारण के लिए जिओ (Geo) वस्त्र पारगम्य वस्त्र होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी के साथ किया जाता है और उनमें पृथक्करण और निथारने की क्षमता होती है।

सुर्ख़ियों में क्यों?
- टेक्नो-टेक्स 2017 का हाल ही में मुम्बई में शुभारम्भ किया गया जिसका मूल विषय था "टेक्निकल टेक्सटाइल्स : टूवार्ड्स फ्यूचर"।
- इसका आयोजन वस्त्र मंत्रालय और FICCI द्वारा किया गया था।

आवश्यकता:
- तकनीकी वस्त्रों को सनराइज क्षेत्रक समझा जा रहा है क्योंकि उनका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। ग्राहकों की उच्च प्रयोज्य आय के कारण भी इस प्रकार के तकनीकी वस्त्रों की मांग में वृद्धि होती है।

- यद्यपि चीन तकनीकी पहलुओं में और इसके उत्पादन में आगे है, परन्तु इसका मूल्य बहुत ही ऊंचा होता जा रहा है।

पृष्ठभूमि:

- सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के विकास और प्रगति के लिए योजना (SGDTT) आरम्भ की थी (2007-2010), इसके तीन घटक थे:
  - ✓ तकनीकी वस्त्र उद्योग का डाटाबेस बनाने के लिए आधारिक सर्वेक्षण।
  - ✓ आधारभूत ढांचा सहयोग के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना जैसे जिओ-वस्त्रों के लिए BTRA, कृषि वस्त्रों के लिए SASMIRA, सुरक्षात्मक वस्त्रों के लिए NITRA और चिकित्सा वस्त्रों के लिए SITRA
  - ✓ उद्यमियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना।
- इसके उपरांत, तकनीकी वस्त्र उद्योग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने तकनीकी वस्त्रों पर तकनीकी मिशन (Technology Mission on Technical Textiles) (2010-2014) का शुभारम्भ किया। इसके दो मिनी मिशन हैं:
  - ✓ मिनी मिशन–I: मानकीकरण के लिए, सामान्य परीक्षण सुविधाएं बनाना, प्रोटोटाईप से स्वदेशी विकास और IT आधारित संसाधन केंद्र।
  - ✓ मिनी मिशन–II: यह घरेलू और निर्यात बाजार के विकास के लिए स्टार्ट अप्स को सहायता, अनुबंध अनुसन्धान और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने पर केन्द्रित है।
- सभी तकनीकी वस्त्र आधारित मशीनरी को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत लाया गया है।

महत्त्व:

- तकनीकी वस्त्रों के अनेक लाभ हैं, जैसे:
  - ✓ कृषि वस्त्रों का उपयोग छाया करने एवं घास व कीट नियन्त्रण के लिए किया जाता है।
  - ✓ पर्यावरण सरंक्षण– जिओ वस्त्र जैसे बुनाई रहित थैलों में रेत भर कर भू-क्षरण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है।
  - ✓ मेडिटेक उत्पादों के उपयोगों में स्वच्छता, व्यक्तिगत देखभाल और शल्यचिकित्सा अनुप्रयोग सम्मिलित हैं, उदहारण के लिए डायपर आदि।
  - ✓ औद्योगिक वस्त्रों का उपयोग औद्योगिक उत्पादों जैसे फिल्टर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (circuit boards) आदि।
- तकनीकी वस्त्र निर्यात राजस्व का एक सम्भावित स्रोत्र हो सकता है।

चुनौतियाँ:

- वर्तमान में, यह विभिन्न छोटे और मध्यम उद्योगों की एक विखंडित सरंचना है।
- तकनीकी वस्त्रों पर कार्यरत इकाइयों के डाटाबेस का आभाव है।
- उपभोक्ताओं और उद्यमियों में जागरूकता बहुत ही कम है।
- तकनीकी वस्त्रों के कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति और विवेकशून्य कीमतें।
- चीन, बंगलादेश आदि पड़ोसी देशों की प्रतिस्पर्धा।

3.10. रत्न और आभूषण क्षेत्रक

(Gems and Jewellery Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमन्त्री ने हाल ही में भारत को रत्न और आभूषण का हब बनाने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया है।

आवश्यकता:

- सरकार का लक्ष्य वैश्विक आभूषण निर्यात बाजार को लगभग 50% तक बढ़ाना है। वर्तमान में इस पर इटली, जर्मनी, तुर्की और हांगकांग के निर्माताओं का वर्चस्व है।

पृष्ठभूमि:

- यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व भर में बेचे गए 14 हीरों में से 12 हीरों की कटाई या पॉलिश भारत में की जाती है।
- वैश्विक हीरा बाजार में भारत का भाग मूल्य के अनुसार 60% और परिमाण के अनुसार 90% है।
- उच्च कुशल श्रमिक, कम लागत, प्रौद्योगिकी और बाजार की उपलब्धता से इस उद्योग का वितरण निर्धारित होता है।
- भारत के आभूषण उद्योग का केंद्र मुम्बई में है -
  - ✓ यहाँ पर देश के अधिकांश सोने और कच्चे हीरों का आयात होता है।
  - ✓ यहाँ पर कई आधुनिक, अर्ध-स्वचालित कारखाने और SEZs में लेजर से कटाई करने वाली इकाइयां हैं।
- हीरा प्रसंस्करण अधिकांशतः गुजरात में (प्रमुखतः सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और भुज) और राजस्थान (जयपुर) में किया जाता है।
- कोलकता और त्रिचुर हल्के भार के सपाट स्वर्ण आभूषणों के लिए लोकप्रिय हैं।
- आंध्रप्रदेश में हैदराबाद बहुमूल्य और अर्ध-मूल्य वाले जड़ित आभूषणों का केंद्र है। आंध्रप्रदेश का ही नेल्लोर हस्तनिर्मित आभूषणों का केंद्र है।

VISION IAS

विभिन्न श्रेणियों के अनुसार भारत का 2015-16 में निर्यात इस प्रकार रहा है:

- कटाई और पॉलिश किये गये हीरे: US$ 20 बिलियन
- स्वर्ण मेडल और सिक्के: US$ 5.2 बिलियन
- चांदी के आभूषण: US$ 3 बिलियन

चुनौतियाँ:

- कच्चे माल जैसे खुरदुरे (कच्चा) हीरे की उपलब्धता बहुत कम है।
- विश्व स्तर पर मांग और खपत के स्वरूप परिवर्तित हो गए हैं। अब भारी जड़ाऊ आभूषणों के स्थान पर फैशन के आभूषणों की मांग अधिक है, यहीं मांग भारतीय ग्राहकों की भी है।
- विदेशियों द्वारा मांग किए जाने वाले कारीगर डिजाइनों की क्षमता का अभाव। उदहारण के लिए भारतीय निर्माताओं की 22 और 20 कैरट के स्वर्ण आभूषण बनाने में विशेषज्ञता है परन्तु निर्यात बाजार में 8 या 10 कैरेट के आभूषणों की मांग है।
- विदेशों से आने वाली बड़ी मात्रा में आभूषणों की मांग को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर मशीनरी का अभाव।
- सरकारी प्रलेखन (Government documentation) इस क्षेत्र के निर्यात में बाधक हैं।

सरकार द्वारा उठाये गए कदम:

- "खुरदरे (कच्चे) हीरों" को प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रमुख रूसी कम्पनी अलरोसा के साथ लॉबिंग कर रही है।
- निर्यात प्रोत्साहन के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र को फोकस क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्वचालित रूट के अंतर्गत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है।
- मुम्बई स्थित रत्न और आभूषण संस्थान (IIGJ) को पूरे देश भर में क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए सशक्त किया जा रहा है।
- वाणिज्य मन्त्रालय की सहायता से GJEPC कर्नाटक के उडुपी में एक गोल्ड क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट स्थापित कर रहा है जो स्थानीय कारीगरों को पुन: कौशल प्रदान करके आभूषणों के दक्षिण कन्नड़ क्लस्टर को पुनर्जीवित करेगा।
- भारतीय निर्यातकों ने एक निर्यात प्रोत्साहन रणनीति तैयार की है और पांच वर्ष में 60 बिलियन डालर के निर्यात का लक्ष्य रखा है, जोकि पिछले वर्ष 35 बिलियन डॉलर था।

आगे की राह:

- उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार कौशल विकास आवश्यक है।
- वर्तमान में भारतीय निर्माता बिना ब्रांड के उत्पादों का निर्यात करते हैं, जिन्हें आयातक अपने ब्रांड के साथ जोड़ लेते हैं और प्रीमियम मूल्य वसूलते हैं। भारतीय आभूषण निर्माताओं को भी बेहतर लाभ के लिए बिना ब्रांड के आभूषणों को ब्रांड वाले आभूषणों में परिवर्तित कर लेना चाहिए।

3.11. पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि करना

(Increase Oil Palm Production)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मन्त्रिमण्डल ने हाल ही में भारत में पाम ऑयल क्षेत्र एवं इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न उपायों की स्वीकृति दी है।

आवश्यकता:

- देश में खाद्य तेल का कुल उत्पादन लगभग 9 लाख मीट्रिक टन है जबकि घरेलू आवश्यकता लगभग 25 लाख मीट्रिक टन है। इस अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जिसका आयात मूल्य 2015-16 में लगभग 68,000 करोड़ रूपए था।
- निजी उद्यमियों को पाम ऑयल उत्पादन क्षेत्र में अपशिष्ट भूमि या बेकार भूमि को पट्टे/किराये पर दिया जा सकता है। हालांकि NMOOP के अंतर्गत वित्तीय सहायता अधिकतम 25 हेक्टेयर तक ही उपलब्ध है।

पृष्ठभूमि :

- वनस्पति तेल के आयात में पाम ऑयल का हिस्सा लगभग 70% है। प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादकता के कारण सबसे सस्ते तेलों में एक है।
- मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड और कोलम्बिया पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक हैं।

प्रस्तावित परिवर्तन:

- मन्त्रिमण्डल ने NMOOP के अंतर्गत 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सहायता के लिए भूमि की उच्चतम सीमा में ढील दी है।
- रोपण सामग्री, देखरेख, अंतर-फसल और बोर वेल के लिए सहायता के मानदंडों में ढील दी गई है।
- राज्य की वार्षिक कार्य योजना को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन (NMOOP):

- इसका लक्ष्य 2016-17 के अंत तक पाम ऑयल की खेती के अंतर्गत 1.25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाना है।
- तिलहन के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र में 26% से 38% तक वृद्धि करना।
- कम उपज देने वाली दलहन की फसलों से तिलहन फसल के क्षेत्र का विविधिकरण करना।
- तिलहनों का अंतर-फसल और बंजर भूमि का उपयोग पाम ऑयल के कृषि विस्तार हेतु करना।
- तिलहनों के संग्रह और खरीद में वृद्धि करना।

महत्व :

- निजी उद्यमियों और सहकारी संस्थाएं पाम ऑयल कृषि के निवेश में रूचि दिखाएंगे और 100 प्रतिशत FDI से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- इससे पाम ऑयल के उत्पादन के लिए आर्द्र भूमि के उपयोग में सहायता मिलेगी।
- लागत मानदंडों में संशोधन से किसानों को पाम ऑयल उत्पादन को अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

चुनौतियाँ:

पाम ऑयल की मांग में वृद्धि होने से पाम ऑयल की कृषि के लिए स्थान सृजन हेतु उष्णकटिबंधीय वनों के बड़े क्षेत्रों को साफ़ किया जा रहा है। इससे पारिस्थितिकी तन्त्र से प्राप्त सेवाओं के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है।

3.12. स्टार्ट-अप्स बौद्धिक सम्पदा सरंक्षण योजना

(Start-Ups Intellectual Property Protection Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने मार्च 2020 तक स्टार्ट-अप्स बौद्धिक सम्पदा सरंक्षण योजना (SIPP) को तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। प्रारम्भ में इसे प्रायोगिक आधार पर जनवरी 2016 से मार्च 2017 तक आरम्भ किया गया था।

- सरकार ने स्टार्ट-अप्स को इस प्रकार परिभाषित किया है:
- स्टार्ट-अप्स का अर्थ एक ऐसी इकाई (entity) से है जो भारत में पांच वर्ष से पहले निगमित या पंजीकृत नहीं हुई थी, जिसका वार्षिक टर्नओवर किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं है और नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवोन्मेष, विकास, विनियोजन या व्यवसायीकरण के लिए कार्य कर रही हैं जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से संचालित होते हैं।

योजना के बारे में:

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्टार्ट-अप्स के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का सरंक्षण और बढ़ावा देना है तथा इसके सम्बन्ध में जागरूकता का प्रसार करना है एवं उनके बीच रचनात्मकता तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है।

- इसके कार्यान्वन के लिए, DIPP ने कई समन्वयकों को सूचीबद्ध किया है, जो स्टार्ट-अप्स को IPR से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करेंगे। समन्वयक किसी भी स्टार्ट-अप्स से कोई शुल्क नहीं लेंगे क्योंकि इसकी सुविधा की लागत सरकार वहन करेगी।
- समन्वयकों को कंट्रोलर जनरल ऑफ़ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स (CGPDTM) द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा।

- Controller General of Patents, Designs and Trade Marks: CGPDTM
- यह DIPP के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और सरंक्षण) अधिनियम, 1999 और डिजाइन अधिनियम, 2000 को प्रशासित करता है और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर सरकार को परामर्श भी देता है।

3.13. बिजनेस रिफार्म ऐक्शन प्लान 2017

(Business Reform Action Plan 2017)

सुर्खियों में क्यों?

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं विश्व बैंक समूह ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के द्वारा कार्यान्वयन हेतु एक बिजनेस रिफार्म ऐक्शन प्लान (BRAP) 2017 जारी किया है।

BRAP, 2017 के बारे में:

- इसमें विनियामक प्रक्रियाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं के सुधारों के लिए 405 सिफारिशें सम्मलित हैं, जिनका प्रसार 12 क्षेत्रों में है उनमें श्रम विनियमन, अनुबंध प्रवर्तन, सिंगल विंडो सिस्टम, भूमि उपलब्धता और आंवटन आदि सम्मलित हैं।
- इस वर्ष (405 में से) 103 नये सुधार किये गये हैं, जिनमें केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली, ऑनलाइन भूमि आंवटन व्यवस्था, निर्माण परमिट के लिए ऑनलाईन सिंगल विंडो सिस्टम, अंतर-राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम (RE&CS) 1979 आदि पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

- BRAP में दो नए क्षेत्र भी सम्मिलित किये गये हैं – स्वास्थ्य सेवा और आतिथ्य सत्कार (Hospitality)।
- इन सुधारों को लागू करने की अंतिम तिथि 31.10.2017 है।

DIPP (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

- इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ इसका पुनर्गठन किया गया था।

DIPP की भूमिका:

- औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति और रणनीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन।
- औद्योगिक विकास की निगरानी, जिसमें उद्योग और तकनीकी के सभी मामलों में परामर्श सम्मिलित है।
- FDI नीति निर्माण, प्रोत्साहन, अनुमोदन और FDI का समन्वय।
- उद्यम स्तर पर विदेशों से तकनीकी सहयोग के लिए नीति का निर्माण और प्रोत्साहन।
- पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक के क्षेत्रों में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अंतर्गत नीति निर्धारण और बनाये गये विनियमनों, नियमों का प्रशासन।
- औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 का प्रशासन।
- औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना।

3.14. ED ने 300 शेल (छद्म) फर्मों पर कड़ी कार्यवाही की

(ED Cracks Down on 300 Shell Firms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर मनी लांड्रिंग और विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन की आशंका पर देश के 16 राज्यों की 300 शेल (छद्म) कम्पनियों के विरुद्ध तलाशी अभियान चलाया।

शेल (छद्म) कम्पनियां क्या हैं?

शेल (छद्म) कम्पनी सक्रिय व्यवसाय संचालन या महत्त्वपूर्ण परिसम्पत्तियों रहित एक फर्म है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED):

- यह विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 (FEMA) और मनी लांड्रिंग निरोधक अधिनियम (PML) के कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है।
- यह निदेशालय परिचालन प्रयोजनों के लिए राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अंतर्गत है; फेमा के नीतिगत पक्ष, इसके कानून और उनके संशोधन आर्थिक मामलों के विभाग के सीमा क्षेत्र में आता है।

3.15. ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स

(Global FDI Confidence Index)

On which of the following factors does India perform best in terms of its FDI environment?

Rank	Factor	Percent
1	Cost of labor	32%
2	Domestic market size	24%
3	Talent and skill level of labor pool	17%
4	Technological and innovation capabilities	17%
5	Domestic economic performance	14%

On which of the following factors does India perform worst in terms of its FDI environment?

Rank	Factor	Percent
1	Regulatory transparency and corruption	22%
2	General security environment	18%
3	Quality of transportation infrastructure	18%
4	Quality of electricity infrastructure	17%
5	Efficiency of legal and regulatory processes	17%

Note: The top five of 20 factors are shown here. Numbers do not add up to 100 because respondents could select up to three choices.
Source: 2017 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index

The 2017 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index: Glass Half Full 1

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने 2017 के **A.T. Kearney FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स** में एक स्थान की छलांग लगाई है। अब यह **आठवें स्थान** पर पहुँच गया है।

भारत की रैंकिंग

- लगातार दूसरी बार भारत ने शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया है।

3.16. विदेशी फर्मों के साथ विलय के नियम सरल किए गए

(Rules eased: Merger with Foreign Firms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय** द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार भारतीय कम्पनियों को आउटबाउंड विलय सम्पन्न करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मुख्य विशेषताएं

- आउटबाउंड विलय अनुमेय होने के साथ, भारतीय कम्पनियों को **अपतटीय शेयर बाजारों में अधिग्रहण, पुनर्गठन या सूचीबद्ध होने के अवसर** प्राप्त होंगे।
- यह विलय **कंपनी अधिनियम, 2013** का अनुपालन करते हुए होगा और इसे **भारतीय रिजर्व बैंक** की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।
- सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए से कम मूल्य की कंपनियों को विलय हेतु उद्यत होने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की पूर्व अनुमति प्राप्त करने से छूट दी है।

आउटबाउन्ड विलय (Outbound Merger)

- आउटबाउन्ड विलय एवं अधिग्रहण का संदर्भ भारतीय मूल की किसी कम्पनी द्वारा विदेश आधारित कम्पनी में निवेशों से होता है।
- कम्पनी अधिनियम, 1956 में आउटबाउंड विलयों हेतु कोई प्रावधान नहीं हैं (केवल इनबाउन्ड विलय)। इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

3.17. नया कर्मचारी पेंशन योजना

(New Employee Pension Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने **प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)** के अंतर्गत **नए कर्मचारियों (new employees)** के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) हेतु नियोक्ता द्वारा मूल वेतन के 8.33 प्रतिशत के योगदान को वहन करने की घोषणा की, भले ही कंपनी या फर्म द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जा रहा हो।

- एक "नए कर्मचारी" को ऐसे कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं किया हो अथवा जिसके पास पहले से अर्थात 1 अप्रैल 2006 से पूर्व सार्वभौमिक खाता संख्या हो।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

- यह योजना 2016-17 के बजट में घोषित की गई थी।
- इस योजना को नए रोजगारों के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जहां भारत सरकार नए नियोजन के लिए नियोक्ता के 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना योगदान का भुगतान करेगी।
- नियोक्ता को प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के नियोजन आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- कर्मचारियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ संगठित क्षेत्रक के सामाजिक सुरक्षा लाभों की उपलब्धता के रूप में प्राप्त होता है।

3.18. यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक

(Travel and Tourism Competitive Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **विश्व आर्थिक फोरम** के नवीनतम **यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक (TTCI)** में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और यह **40वें स्थान** पर पहुँच गया है।

सूचकांक के संबंध में

- यह ऐसे कारकों को एवं नीतियों का मापन करता है जो देश के विकास में योगदान करते हुए, यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के संधारणीय विकास को सक्षम करते हैं।
- इसे द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और यह 136 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस रिपोर्ट की थीम *'अधिकाधिक संधारणीय एवं समावेशी भविष्य हेतु मार्ग प्रशस्त करना'* ***(Paving the Way for a More Sustainable and Inclusive Future)*** है।
- भारत 2016 से सुधार करते हुए 12 स्थान आगे बढ़कर 40वें स्थान पर आ गया है और इसने 2013 से 25 स्थानों का सुधार किया है।
- संपूर्ण बोर्ड भर में विशेष रूप से सांस्कृतिक संसाधनों (9), प्राकृतिक संसाधनों (24), मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ (10), अंतर्राष्ट्रीय खुलापन (55) एवं यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्रक (29) में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है।

पर्यटन क्षेत्रक के सुधार के लिए सरकार की पहल

- **प्रसाद (PRASAD) योजना:** प्रसिद्ध धार्मिक और तीर्थयात्रा शहरों में एवं इनके चारों ओर पर्यटन अवसंरचना का विकास।
- **स्वदेश दर्शन योजना** का उद्देश्य विशिष्ट थीम के आधार पर सम्पूर्ण परिपथ का विकास करना है।
- **ई-वीजा की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया**। 161 देशों के नागरिकों को आच्छादित करते हुए एवं व्यापार एवं चिकित्सा उपचार हेतु दौरों की अनुमति प्रदान करना।
- हिंदी एवं अंग्रेजी सहित विश्व की 12 भाषाओं में पर्यटकों को सहायता एवं सूचना प्रदान करने के लिए **अतुल्य भारत पर्यटक हेल्पलाइन** लॉन्च की गई थी (2016)।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा **'वेलकम कार्ड'** लॉन्च किया गया- यह ई-पर्यटक वीजा पर भारत आने वाले सभी पर्यटक के लिए निशुल्क SIM कार्ड है जिसमें प्रीलोडेड टॉकटाइम तथा डाटा होता है।
- **क्रूज पर्यटन** हेतु कार्यबल एवं **चिकित्सा और कल्याण पर्यटन संवर्धन बोर्ड** की स्थापना की गई थी।

3.19. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग

(Geo-Tagging of Assets Created Under RKVY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **ISRO की एक शाखा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)** एवं कृषि मंत्रालय के प्रभाग **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह क्या है?

- सरकार ने सभी परिसंपत्तियों (RKVY के अंतर्गत 80 प्रकार की परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है) जैसे- कृषि से संबंधित तालाबों, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं बीज गोदामों को उनका बेहतर उपयोग करने के लिए जियो-टैग करने का निर्णय किया है।

जियो-टैगिंग के लाभ

- यह भूधृति का भौगोलिक स्थान एवं आकार प्रदान करेगी एवं सरकार को अवसंरचना परियोजनाओं की वैज्ञानिक योजना निर्माण में सहायता करेगी।
- यह फसल का नुकसान होने के मामले में प्रमाण के रूप में फसल-वार विवरण प्रदान करेगी एवं सूखे का सामना करने के लिए आकस्मिक योजना निर्माण करने में सहायता करेगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

- RKVY राज्यों को कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रकों में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना** है।
- इसे 2007 में **राष्ट्रीय विकास परिषद** की अनुशंसा पर लॉन्च किया गया था।

जियो टैगिंग क्या है?

- यह **फोटो एवं वीडियोग्राफी प्रक्रिया से सुसज्जित अक्षांश एवं देशांतर जैसी भौगोलिक जानकारी संबद्ध करने की प्रक्रिया** है।
- यह उपयोगकर्ताओं को विस्तृत एवं विविधतापूर्ण स्थान विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने में सहायता कर सकती है।

भू-मानचित्रण क्या है?

- यह **जिओ-टैगिंग की गई परिसंपत्तियों के भौगोलिक स्थान का दृश्य निरूपण है**, जिसे मानचित्र या उपग्रह छवि के ऊपर स्तरित किया जाता है।
- दोनों ही विशेषताएं सरकार के स्वामित्व वाले **'भुवन'** (Bhuvan) में दृश्यमान होंगी, जिसे ISRO द्वारा विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को पृथ्वी की सतह के द्विआयामी/त्रिआयामी (2D/3D) निरूपण का अन्वेषण करने की अनुमति प्रदान करता है।

VISION IAS

3.20. आउटकम बजट

(Outcome Budget)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिल्ली का आउटकम बजट दस्तावेज जारी हुआ। इसे "सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही आरंभ करने हेतु एक ऐतिहासिक नवोन्मेष" वाला बजट कहा गया।

आउटकम बजट क्या है?

- आउटकम का संदर्भ सरकार की पहलों एवं हस्तक्षेपों के अंतिम परिणाम से है।
- अतः, **आउटकम बजट** इसका मापन करता है कि किसी नीति को कितनी कुशलता से कार्यान्वित किया गया है।
- आउटकम बजट का एक विशेष लक्षण यह है कि यह केवल रुपयों या निधि के उपयोग के संबंध में अंतिम परिणामों का मापन नहीं करता अपितु भौतिक इकाइयों के सम्बन्ध में भी करता है, उदाहरण के लिए: कितने किलो वाट ऊर्जा उत्पन्न की गई है।
- इसे भारत में पहली बार **2005-06** में आरंभ किया गया था। **2007-08** से **निष्पादन बजट** (Performance Budget) के साथ इसका विलय कर दिया गया है।
- आउटकम बजट पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष में एवं अनुमानित (अगले) वर्ष के दौरान लक्षित कार्य निष्पादन के वास्तविक भौतिक कार्य निष्पादन को इंगित करते हुए वित्तीय बजट के भौतिक आयामों का प्रदर्शन करता है।

Link between Public Spending, Outputs, Outcomes & Long-Term Goals

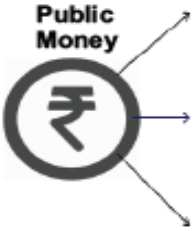

PROGRAMME/ PROJECT	OUTPUTS	OUTCOMES	LONG TERM GOALS
Building Toilets	Toilets Built	People are using Toilets; find it clean	Open-defecation free city
Providing Skill Training/ Education	Skill training courses conducted	Youth attend the training; receive certification	Improved employment
Building Mohalla Clinics	Mohalla Clinics are built	People are using Mohalla clinics; feel satisfied with its service	Improved health care

3.21. गत्यात्मक ईंधन मूल्य निर्धारण

(Dynamic Fuel Pricing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने ईंधन के खुदरा विक्रेताओं को वैश्विक कीमतों के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रतिदिन परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

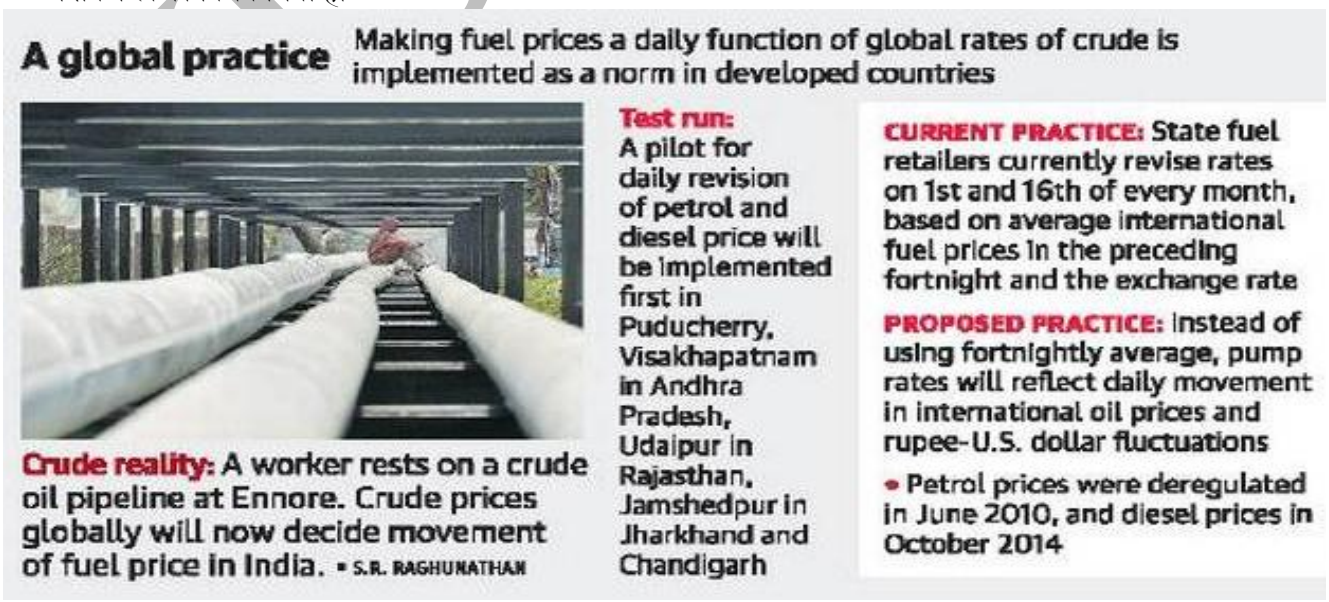

प्रस्तावित परिवर्तन के प्रभाव

- **राजनीतिक हस्तक्षेप** कम से कम होगा।
- **ग्राहकों को कोई भय नहीं होगा** क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में दैनिक आधार पर व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव नहीं होते हैं।
- **मुद्रास्फीति पर प्रभाव,** क्योंकि इस नई परिपाटी से खाद्य पदार्थों, अनाज, फल और सब्जियों जैसी दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के मूल्य में हमेशा परिवर्तन की संभावना बनी रहेगी।
- तेल विपणन कंपनियों की लेखा बहियाँ मूल्य उतार-चढ़ाव को तत्काल प्रतिबिंबित करेंगी, जो उन्हें घाटों को कम करने या ईंधन की बिक्री और खरीद से होने वाले घाटों या लाभों हेतु दैनिक आधार पर प्रावधान निर्मित करने की अनुमति देगा।

3.22. भारतीय रिजर्व बैंक की संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

(RBI Revised Prompt Corrective Action)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- RBI ने अस्वस्थ बैंकों (ailing banks) के लिए अनिवार्य तौर पर आवश्यक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action; PCA) योजना के लिए पूर्व में जारी अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निश्चय किया है।

PCA क्या है?

- PCA यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया या तंत्र है कि बैंक चौपट न हो जाएं।
- इस प्रकार, RBI ने कमजोर एवं विपत्तिग्रस्त बैंकों के आकलन, निगरानी, नियंत्रण एवं सुधारात्मक कार्रवाईयों के लिए कुछ उत्प्रेरक बिंदु नियत किए हैं।
- PCA सर्वप्रथम वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा 1980 एवं 1990 के दशक के दौरान वित्तीय संस्थानों की विफलता के कारण, विशाल मात्रा में घाटे सहने के उपरांत आरंभ की गई थी।
- नवीनतम PCA योजना के अनुसार, बैंकों का आकलन तीन मानदंडों पर किया जाता है ये मानदंड हैं:

✓ पूंजी अनुपात (Capital ratios)

✓ परिसम्पत्ति गुणवत्ता (Asset Quality)

✓ लाभप्रदता (Profitability)

- पूंजी, परिसम्पत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता निगरानी हेतु योग्य संकेतक क्रमश:, जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)/ कॉमन इक्विटी टीयर 1 अनुपात, नेट गैर निष्पादित परिसम्पत्ति (NPA) अनुपात एवं परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल हैं।
- किसी भी जोखिम सीमा का उल्लंघन PCA के आह्वान के रूप में परिणामित होगा।

- **जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात** हेतु परिवर्णी शब्द **CRAR** का उपयोग किया जाता है, यह बैंकों के तुलनपत्र क्षमता के मापन के लिए मानक मैट्रिक है।
- **ROA** का अर्थ परिसम्पत्ति पर प्राप्त प्रतिफल होता है। यह औसत कुल परिसंपत्ति के संबंध में उत्पन्न निवल आय का प्रतिशत होता है।
- **कॉमन इक्विटी टीयर 1 अनुपात**: बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार इसे RBI द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है:- कुल जोखिम भारित परिसंपत्ति के प्रति कोर इक्विटी पूंजी, निवल विनियामक समायोजनों का प्रतिशत।
- **निवल गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्ति अनुपात (NNPA Ratio)**: निवल गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्ति के प्रति निवल अग्रिमों का अनुपात।
- **टियर 1 लीवरेज रेशियो (Leverage Ratio)**: लीवरेज रेशियो पर RBI के दिशानिर्देशों में इसे इस तरह परिभाषित किया गया है:- पूँजी उपाय के प्रति जोखिम उपाय का प्रतिशत।

VISION IAS

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1.डिफेन्स प्रोक्योरमेंट आर्गेनाइजेशन

(Defence Procurement Organisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रीतम सिंह समिति ने **डिफेन्स प्रोक्योरमेंट आर्गेनाइजेशन**(DPO) का निर्माण करने का सुझाव दिया है।

DPO की आवश्यकता

सैन्य उपकरणों के अधिग्रहण की गित निरंतर मंद रही है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:

- बजट का कम आवंटन किया जाता रहा है। यह संबंधित मंत्रालयों एवं व्यापक रूप से जनता के बीच एक प्रकार की सूचना असममिति (इनफार्मेशन एसिमिट्री) का कारण बनता है।
- भ्रष्टाचार ने भी कई सौदों को विफल किया है।
- रक्षा मंत्रालय के पास विशाल मात्रा में अप्रयुक्त निधियां पड़ी हुई है।
- बहु-स्तरी निर्णय निर्माण प्रक्रिया।

DPO के लाभ

- यह अधिग्रहण प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा एवं भ्रष्टाचार को रोकने तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसमें नियंत्रणों और संतुलनों की स्व-विनियमन प्रणाली होगी।
- यह वांछित उपकरणों का समय पर वितरण सुनिश्चित करते हुए जोखिम को न्यूनतम करेगा।

अन्य सुधार

- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने रक्षा मंत्री की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी हैं।
- रक्षा मंत्री पूर्वनिर्धारित 500 करोड़ के स्थान पर 2000 करोड़ तक के सौदों की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- रक्षा सचिव को भी 500 करोड़ तक के सौदे संपन्न करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

4.2. सीमा प्रबंधन और संघर्ष विराम उल्लंघन

(Border Management and Ceasefire Violations)

भारत की स्थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है जो 17 राज्यों में 92 जिलों से होकर गुजरती है एवं इसकी तटरेखा 5,422 किलोमीटर की है जो 12 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को स्पर्श करती है। भारत की प्रमुख सीमा सुरक्षा चुनौतियां इस प्रकार हैं:

- सीमा पार आतंकवाद,
- सशस्त्र आतंकवादियों और विद्रोहियों की घुसपैठ और निकासी,
- नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी;
- अवैध प्रवसन;
- बाहरी शक्तियों से सहायता प्राप्त अलगाववादी आंदोलन
- पशु तस्करी
- सरंध्र सीमा जैसे - भारत म्यांमार बॉर्डर।

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मामलों पर संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह विशेष रूप से उजागर किया है कि 1971 के पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की सीमाएं कभी भी इतनी सुभेद्य नहीं रही जितनी अब हैं।

समिति की अनुशंसाएं

भू-सीमा प्रबंधन

- सीमा अवसंरचना विकास, जिसमें सम्मिलित है: सीमा चौकियां, बाड़ लगाना, सीमा सड़कें (विशेष रूप से पाकिस्तान सीमा के साथ), सीमा सुरक्षा ग्रिड और फ्लडलाइटिंग इत्यादि।
- भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी से निपटने के लिए सीमा से 15 किलोमीटर तक के आंतरिक भाग में लोगों के आवागमन एवं पशुओं के व्यापार को निषिद्ध किया जाना चाहिए।
- भारत म्यांमार सीमा के लिए बेहतर प्रबंधन हेतु असम राइफल्स के स्थान पर सीमा रक्षक बलों (BGF) को नियंत्रण का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।

सामान्य सीमा प्रबंधन

- सीमा सुरक्षा ग्रिड शब्द का उपयोग सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए भौतिक अवरोधों के साथ-साथ तकनीकी उपकरणों/इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से सीमा को सील करने के लिए किया जाता है।
- इसमें कांटेदार तार बाड़, दीवारों, फ्लडलाइटिंग, लेजर बीम, कैमरे, अलार्म सिस्टम आदि शामिल है।

सीमा रक्षक बलों (BGF) से जुड़े मुद्दे

- जवानों को अत्यधिक कार्य करना पड़ता है और इसलिए वे पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान थके हुए होते हैं।
- सीमा चौकियों (BOPs) पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होती है और अपने परिवारों के साथ संपर्क करने के लिए सैटेलाइट फोन ही एकमात्र साधन होते हैं।
- आंतरिक सुरक्षा कारणों से सीमा सुरक्षा के स्थान पर सीमा रक्षक बलों की बटालियनों को अन्यत्र परिनियोजित किया जाना।
- हाथ में रखकर उपयोग किए जाने वाले थर्मल इमेजर जैसे कुछ निगरानी उपकरणों की कमी, जो रात्रि के दौरान निगरानी करने के लिए आवश्यक होते हैं।
- सीमा पर नियुक्त कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं गंभीर रूप से अपर्याप्त हैं। यहां तक कि आधारिक उपचार के लिए भी कार्मिकों को सीमांत मुख्यालय स्थानांतरित करना पड़ता है।
- सेना की तुलना में वेतन और भत्तों में असमानता।

अनुशंसाएं

- अतिरिक्त बटालियनों की संख्या बढ़ाने संबंधी सीमा रक्षक बलों के प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।
- टेलीफोन, चिकित्सा सुविधाओं आदि से युक्त समग्र सीमा चौकियां विकसित की जानी चाहिए।
- परिनियोजन क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थितियों के आधार पर दुर्गम क्षेत्र भत्ता विशेष रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और यह सभी बलों के कार्मिकों के लिए एक समान होना चाहिए भले ही वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हों या सेना से।

तटीय सुरक्षा

- तटीय सुरक्षा योजना के द्वितीय चरण को विस्तारित किया जाना चाहिए और यथासंभव शीघ्रतापूर्वक पूर्ण किया जाना चाहिए।
- तटीय सुरक्षा के संदर्भ में स्पष्ट कमांड चेन और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियायें होनी चाहिए।
- सुभेद्य द्वीपों की सुरक्षा और विकास के लिए द्वीप सूचना प्रणाली भू-पोर्टल एवं समग्र द्वीप विकास योजना का शीघ्र प्रवर्तन।

तटीय सुरक्षा योजना

- इसका उद्देश्य सभी तटीय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के समुद्री पुलिस बल को मजबूत बनाना है।
- इसे तटीय क्षेत्रों विशेष रूप से तट के निकट स्थित उथले क्षेत्रों की गश्त और निगरानी के लिए तैयार किया गया है।
- प्रथम चरण, 9 तटीय राज्यों एवं 4 तटीय संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय पुलिस व्यवस्था हेतु उनकी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए लागू किया गया था।

संस्थागत समर्थन

- नेटग्रिड के लिए प्रभावी कोष आवंटन एवं संचालन।
- मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) में कम भागीदारी पर केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श।
- राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) का निर्माण करने हेतु प्रभावी कदम।

मल्टी एजेंसी सेंटर

यह प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक खुफिया एजेंसी आदि कई एजेंसियों से विभिन्न खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म है।

राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC)

आवश्यकता

- 26/11 हमलों के बाद, सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक अलग निकाय स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की।
- राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) को अमेरिकी राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) एवं ब्रिटेन के संयुक्त आतंकवाद विश्लेषण केंद्र के आधार पर तैयार किया गया है।
- राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 से अपनी शक्तियाँ व्युत्पन करेगा।
- मूल विचार खुफिया सूचनाओं के संबंध में होने वाले भ्रम को समाप्त करना है।

कार्य

- इसे भारत के किसी भी भाग में खोज और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह आतंकवाद पर डेटा का संग्रह, संकलन और प्रसार करेगा।
- यह आतंकवादी एवं उनके परिवारों सहित उनके सहयोगियों के डेटाबेस को भी बनाए रखेगा।
- संक्षेप में, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) एकल एवं प्रभावी नियंत्रण एवं सभी आतंकवाद निरोधक उपायों के समन्वय बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

VISION IAS

- राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र की स्थायी परिषद में राज्यों में विद्यमान आतंकवाद विरोधी एजेंसियां सम्मिलित होंगी।
- इस निकाय में खुफिया जानकारी के संग्रह और प्रसार, विश्लेषण और संचालनों से व्यवहार करने के लिए 3 प्रभाग होंगे।

मुद्दे

- कुछ राज्यों का आरोप है कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) की प्रकृति गैर-संघीय है। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) को लूप में सम्मिलित राज्य सरकार, पुलिस या विरोधी आतंकवाद दस्ते को सूचित किए बिना लोगों की खोज और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- इसके कार्य NIA के साथ अतिव्याप्त होते हैं।

4.3. सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम

(Armed Force Special Power Act:AFSPA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- AFSPA के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 2016 के एक निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार ने एक उपचारात्मक (curative) याचिका दायर की।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी भी अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बलों द्वारा हुई हर मौत की (चाहे वह किसी आम व्यक्ति की हो या फिर किसी विद्रोही की) पूरी जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मौत न्यायेतर तो नहीं थी।
- इसका तात्पर्य यह है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को अशांत क्षेत्रों में भी **पूर्ण प्रतिरक्षा** प्राप्त नहीं है।

AFSPA का परिचय

1958 में अधिनियमित सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम (**AFSPA**) अशांत क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सशस्त्र बलों को अतिरिक्त शक्तियां और प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

इनमें से कुछ अतिरिक्त शक्तियां इस प्रकार हैः

- चेतावनी देने के बाद अशांत क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चलाने की अनुमति।
- बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति।
- संदेह होने पर किसी भी वाहन या पोत को रोक कर उसकी तलाशी लेने की शक्ति।
- सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके कार्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है।
- वर्तमान में AFSPA पूर्वोत्तर के 6 राज्यों और जम्मू-कश्मीर में प्रवर्तित है। त्रिपुरा ने हाल ही में AFSPA को हटाने का निर्णय लिया।

AFSPA के विरोध में तर्क

- आरोप है कि अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली प्रतिरक्षा के कारण सशस्त्र बलों को इस अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करने, जैसे नकली मुठभेड़ और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध करने की छूट मिल जाती है।
- यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों और स्वतंत्रता के निलंबन का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे लोकतंत्र कमजोर पड़ता है।
- आलोचकों का तर्क है कि लगभग 50 वर्षों से अस्तित्व में होने के बाद भी अधिनियम अशांत क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के अपने उद्देश्य में विफल रहा है।
- **न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी** और रेड्डी कमेटी, दोनों ने ही AFSPA के अंतर्गत मिलने वाली पूर्ण प्रतिरक्षा हटाने की सिफारिश की है।

AFSPA के पक्ष में तर्क

- उग्रवाद और आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सशस्त्र बलों के लिए यह आवश्यक है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों ने अशांत क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा हुई है।
- विद्रोहियों और आतंकवादियों के हाथों सैकड़ों सशस्त्र बल कर्मियों ने अपने प्राण गवाएं हैं। ऐसे में, उन्हें सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। अधिनियम को हटाने से उनका मनोबल कमजोर होगा।

4.4. वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा

(Cyber Security of Financial Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की उप-समिति ने वित्तीय क्षेत्र के लिए एक कंप्यूटर आपातकालीन अनुक्रिया दल (कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम-CERT-Fin) की आवश्यकता पर चर्चा की है।

पृष्ठभूमि

- 2017-18 के बजट में वित्तीय क्षेत्र से संबंधित खतरों से निपटने के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया था।

CERT-Fin की आवश्यकता

- डिजिटल भुगतानों में तेज वृद्धि और कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ने के कारण वित्तीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की नए सिरे से आवश्यकता महसूस की गई।
- बैंक और वित्तीय संस्थान विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों और धोखाधड़ी की दृष्टि से असुरक्षित हैं।
- इसके अतिरिक्त, ATM और खुदरा बैंकिंग के भी साइबर क्राइम की चपेट में आने की आशंका है।
- 2017 में मोबाइल धोखाधड़ी भी 60-65 प्रतिशत तक बढ़ने की आशंका है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- बैंकों को साइबर धमकियों और संभावित **'साइबर-स्वच्छता'** उपायों से निपटने के लिए एक **सुरक्षा नीति** कार्यान्वित करने का निर्देश दिया।
- **RBI** ने **साइबर सुरक्षा ढांचा (साइबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्क)** को भी अधिसूचित किया था। इसके अनुसार, बैंकों को तत्काल एक सशक्त साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने और लगातार मुस्तैदी को सुनिश्चित करना चाहिए ।
- बैंकों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत IT परीक्षण आयोजित करने, किसी तरह की चूक की पहचान करने और उपचारात्मक उपायों की प्रगति की निगरानी करने के लिए रिजर्व बैंक पहले ही एक **विशेष सेल (C-SITE)** का निर्माण कर चुका है।

4.5. रासायनिक हथियार

(Chemical Weapons)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सीरिया के इडलीब प्रांत में सरीन गैस हमले में 80 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें कई बच्चे भी सम्मिलित थे।

रासायनिक हथियार क्या हैं?

- रासायनिक हथियार वे विशेष युद्ध सामग्रियां हैं जो ऐसे रसायन वातावरण में मुक्त करते हैं जिनसे होने वाली रासायनिक क्रियाओं से मनुष्यों की मृत्यु तक हो जाती है या फिर उन्हें गहरी चोट पहुंचती है।
- मस्टर्ड गैस, क्लोरीन, नर्व एजेंट सरिन व VX आदि सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ रासायनिक हथियार हैं।

वर्तमान दृष्टान्त

सरीनः विद्रोहियों के नियंत्रण वाले दमिश्क उपनगर में सैकड़ों लोगों की मौत के पीछे कारण के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने सरीन गैस के प्रयोग किए जाने की पुष्टि की थी।

VX : इस वर्ष फरवरी में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के सौतेले भाई किम जोंग-नाम की हत्या में कथित तौर पर इसी स्नायु कारक का प्रयोग किया गया था।

रासायनिक हथियार के उपयोग के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं फोरम

- **1925 का जिनेवा प्रोटोकॉलः** यह कन्वेंशन इन रसायनों के उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर मौन है।
- **1993 का रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC) –** इस कन्वेंशन ने उपर्युक्त कमियों को दूर किया। इसने उत्पादन के साथ-साथ रासायनिक हथियारों के संचय पर पाबंदी लगाई। 192 देश इसे मानने हेतु सहमत हुए हैं- UN के 4 सदस्य राष्ट्र इस कन्वेंशन में सम्मिलित नहीं हैं: इज़रायल, मिस्र, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान।
- CWC, OPCW (ओर्गनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल विपन्स) संगठन द्वारा प्रशासित होता है। इस संगठन को 2013 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था।
- **ऑस्ट्रेलियाई समूह** (AG) विभिन्न देशों का एक अनौपचारिक फोरम है। निर्यात नियंत्रण में तालमेल द्वारा इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात से रासायनिक या जैविक हथियारों का विकास न हो।

VISION IAS

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1. ड्राफ्ट गंगा मॉडल लॉ

(Draft Ganga Model Law)

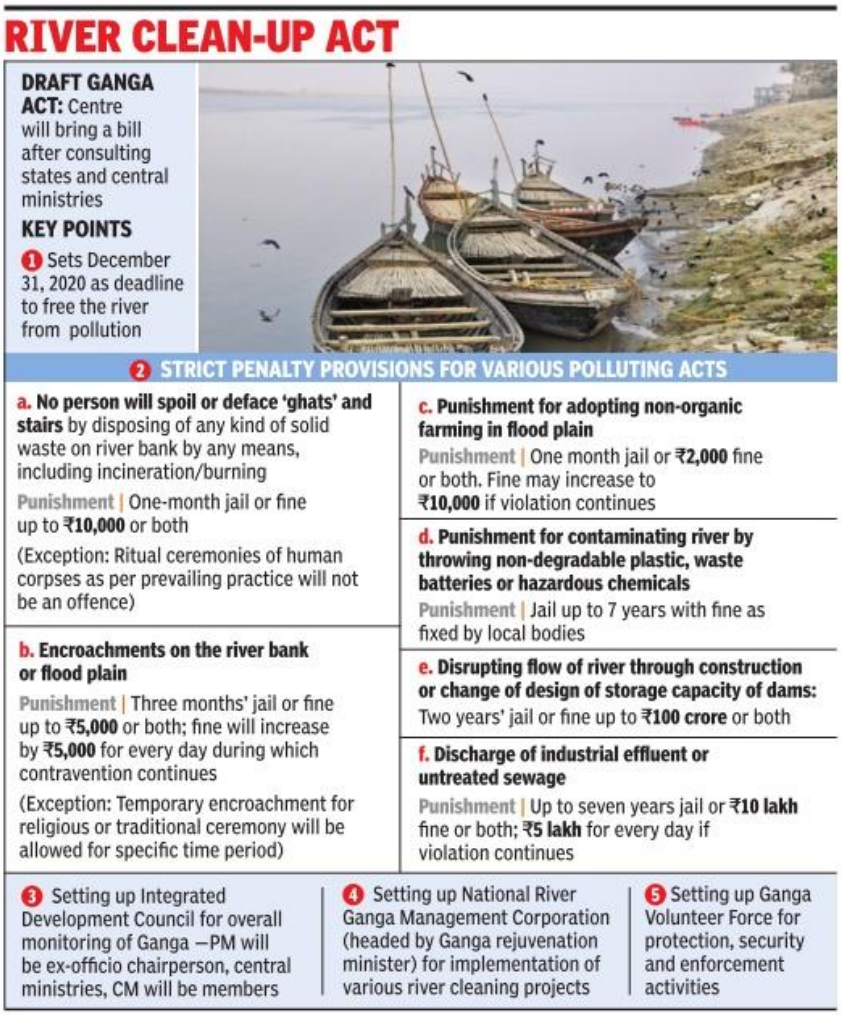

सुर्ख़ियों में क्यों?

- न्यायमूर्ति **गिरधर मालवीय** की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने हाल ही में गंगा और इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता पर सरकार के मॉडल लॉ के मसौदे (draft model law) को प्रस्तुत किया है।

पृष्ठभूमि

- 2016 में, सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने तथा समुचित कानून की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दो समितियों का गठन किया था।
  - ✓ **गिरधर मालवीय समिति** को स्वच्छ और निर्बाध प्रवाह युक्त गंगा हेतु एक मसौदा कानून तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया।
  - ✓ भीमगौड़ा (उत्तराखंड) और फरक्का (पश्चिम बंगाल) के बीच गंगा नदी से अवसादों को हटाने (डी-सिल्टिंग) के लिए दिशा-निर्देश बनाने हेतु **माधव चितले समिति** का गठन किया गया था।
- हाल ही में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को '**जीवित मानव**' का दर्जा प्रदान किया है, जिसके तहत नदियों की ओर से किसी को भी याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है।

समिति के निष्कर्ष

- समिति ने उन चुनौतियों की पहचान की है जो गंगा की निर्मलता (स्वच्छता) और अविरलता (निर्बाध प्रवाह) को समग्र रूप से बनाए रखने में बाधक हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं:
  - ✓ घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जल की अत्यधिक मांग
  - ✓ धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक और सामाजिक विश्वास को बनाए रखना,
  - ✓ बढ़ती माँग की तुलना में नदी के मार्ग में जल की उपलब्धता में वृद्धि न होना,
  - ✓ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की आशंका।
- समिति ने एक मॉडल कानून के एक मसौदे को भी प्रस्तुत किया है (बॉक्स में प्रावधान देखें)।

गंगा की सफाई हेतु उठाये गए कदम

सरकार ने 2020 तक 20 हज़ार करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ **नमामि गंगे** कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

संस्थागत तंत्र

- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga:NMCG) और राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (State Program Management Groups:SPMG) द्वारा लागू किया जाएगा।
- परियोजना निगरानी के लिए एक त्रिस्तरीय तंत्र कार्यरत है:
  - ✓ राष्ट्रीय स्तर पर NMCG द्वारा सहायता प्राप्त, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है।
  - ✓ राज्य स्तर पर SPMG द्वारा सहायता प्राप्त, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
  - ✓ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का निर्माण।

VISION

- **शासन प्रबंध:**

✓ केंद्र न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए परिसंपत्तियों के संचालन और रख-रखाव की व्यवस्था करेगा (पिछले गंगा एक्शन प्लान के विपरीत)

✓ प्रदूषण हॉटस्पॉट्स के लिए PPP/SPV दृष्टिकोण को अपनाना।

✓ केंद्र की 4 **गंगा ईको-टास्क फोर्स** बटालियन व एक क्षेत्रीय सेना इकाई स्थापित करना तथा एक कानून के निर्माण की योजना है जिसका लक्ष्य प्रदूषण को रोकना होगा।

✓ प्रदूषण न्यूनीकरण हस्तक्षेपों यथा जैव-उपचार के माध्यम से अपशिष्ट जल का अवरोधन, मार्ग परिवर्तन (diversion) तथा उपचार, समुचित इन सीटू (in-situ) उपचार,नवीन प्रौद्योगिकियाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (sewage treatment plant:STP) और एफ्लूअन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (effluent treatment plant:ETP) पर ध्यान केंद्रित करना।

- गंगा बेसिन के प्रदूषण की रोकथाम की निगरानी हेतु गंगा प्राधिकरण आदेश 2016 के अंतर्गत **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी परिषद (National Council for River Ganga)** की स्थापना की गई है।
- मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित गंगा महासभा, गंगा संरक्षण आंदोलन के साथ जुड़ी है जो गंगा नदी की सफाई के लिए एक सिविल सोसाइटी के नेतृत्व में जारी आंदोलन है।

महत्व

- गंगा को प्रदूषित करने के व्यक्तिगत कृत्यों के लिए निर्धारित दंड से युक्त एक कानून प्रदूषणकारियों को नदी में प्रदूषण फैलाने से रोकेगा।
- **विशिष्ट समयबद्ध लक्ष्य,** सरकार को नदियों की सफाई की योजना बनाने में प्रभावी रूप से सक्षम बनाएगा।
- उच्च न्यायालय के लिविंग रिवर्स घोषित करने वाले निर्णय के साथ जुड़कर यह क़ानून संयुक्त रूप से सरकार को गंगा की सफाई हेतु उत्तरदायी ठहराने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सरल करेगा।

चुनौतियाँ

- मसौदा कानून कुछ अपवाद निर्धारित करता है जिनकी व्यक्तिनिष्ठता (subjectiveness) के कारण उनकी निगरानी करना कठिन हो सकता है।
- सिविल सोसाइटी को भी निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया में भागीदारी करनी चाहिए। इस विषय पर ड्राफ्ट कानून में स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं किए गए है।

आगे की राह

- वर्तमान सरकार द्वारा गंगा स्वच्छता के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। इसने योजनाओं के वित्तीयन को पिछले 3 दशकों के दौरान किए गए कुल खर्च की तुलना में चार गुना तक बढ़ा दिया है।
- किन्तु, संस्थागत तंत्र एवं कानून, पूर्व में भी नदियों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। बेहतर क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति वर्तमान समय की आवश्यकता है जो नदियों की स्वच्छता के भविष्य की दिशा को निर्धारित करेगा।
- सरकार के अलावा, गंगा की तटरेखा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों में खुले में शौच, कृषि में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग आदि पर जागरूकता के सन्दर्भ में विशेष रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

5.2. पौधों और बीज के क्षेत्र में व्यापार को सुरक्षित करने हेतु नए वैश्विक मानक को अपनाया गया

(New Global Standard Adopted for Making Trade in Plants and Seeds Safer)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन **(IPPC)** के प्रशासक निकाय - *दी कमीशन ऑन फाइटोसेनेटरी मेज़र्स* (CPM) ने पौधों और बीजों को सुरक्षित रखने हेतु एक नया वैश्विक मानक अपनाया है।

नए मानकों की आवश्यकता

- बीजों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयोजनों जैसे भोजन, जैव ईंधन, फाइबर और औषधीय उपयोगों के लिए परिवहन होता है। इसके साथ ही इनका अन्य कार्यों जैसे अनुसंधान, प्रजनन और बीज गुणन (seed multiplication) हेतु भी उपयोग किया जाता है।
- बीजों को जब नए वातावरण में उपयोग में लाया जाता है तो यह बीज कीटों के प्रति जोखिम दर्शा सकते है। इनमें शामिल हैं:

✓ खराब भंडारण स्थितियों के कारण फसल कटाई से पहले और बाद के स्तरों पर बीजों का एन्थ्रोपोड्स से प्रभावित होना।

✓ कवकीय संक्रमण।

✓ जीवाणु और वायरस जो बीज भ्रूणों को प्रभावित करते हैं।

- अक्सर, बीज के उत्पादन और अंतिम गन्तव्य तक उसके निर्यात के मध्य काफी समय लग जाता है।

नए मानक

- कीटनाशक के जोखिम का मूल्यांकन तथा फाइटोसेनेटरी उपायों का निर्धारण करते समय, राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (National Plant Protection Organisations; NPPOs) को बीज का लक्षित उपयोग करने पर विचार करना चाहिए अर्थात यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसका उपयोग अनुसंधान के लिए किया जाएगा अथवा बीजों का रोपण प्रतिबंधित शर्तों के तहत या प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाएगा।

- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बीज कीटनाशकों के प्रवेश और प्रसार को अनुमति देते हैं, एक पेस्ट रिस्क अस्सेस्मेंट (PRA) किया जाना चाहिए।
- रोपण से पूर्व, फसल के तैयार होने के दौरान एवं फसल कटाई के बाद अपनाये जाने हेतु विशिष्ट फाईटोसेनेटरी उपायों को अनुमति दी गई है।
- एक आयात विनियामक तंत्र के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा लकड़ी की पैकेजिंग सामग्रियों में कीटों को प्रवेश करने से रोकने एवं फ्रूट फ्लाई के हमले से साइट्रस फ्रूट्स के बचाव के लिए पर्याप्त प्रबंध किये गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण अभिसमय (International Plant Protection Convention: IPPC)

- यह 1951 की एक बहुपक्षीय संधि है जिसका पर्यवेक्षण खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य पादप तथा पादप उत्पादों में कीटों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए समन्वित, प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करना है।
- कन्वेंशन प्राकृतिक पादपों एवं पादप उत्पादों की सुरक्षा से लेकर कल्टीवेटेड प्लांट्स की सुरक्षा से परे भी विस्तृत है।
- यह कीटों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हानि को ध्यान में रखता है, इसलिए इसमें खर-पतवार भी शामिल हैं।
- कन्वेंशन ने विभिन्न पक्षों को मिलाकर एक शासी निकाय बनाया है, जिसे कमीशन ऑन फाइटोसेनेटरी मेज़र्स (CPM) के रूप में जाना जाता है।
- कन्वेन्शन को वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन्स के अग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ़ सेनेटरी एंड फाइटोसैनटरी मेज़र्स (SPS अग्रीमेंट) के द्वारा पादप स्वास्थ्य के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- IPPC में अनुसंधान सामग्रियां, बायोलॉजिकल कण्ट्रोल ऑर्गनिज्म्स, जर्मप्लाज्म बैंक, रोकथाम की सुविधा, खाद्य सहायता, आपातकालीन सहायता तथा वह सभी कुछ शामिल है जो पादप कीटों के प्रसार के लिए वाहक की भांति कार्य करते हैं जैसे- कंटेनर, पैकेजिंग सामग्री, मृदा, वाहन, जलयान और मशीनरी इत्यादि।

5.3. हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल

(Hydrogen Fuel Vehicles)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में '**टोयोटा मोटर नार्थ अमेरिका इंक**' ने "प्रोजेक्ट पोर्टल" का अनावरण किया,जो हैवी ड्यूटी ट्रक के इस्तेमाल के लिए डिजाईन किया गया, 'हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम' है।

ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के लाभ

- हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है किन्तु सभी ईंधनों में प्रति इकाई भार के अनुसार इसमें सर्वाधिक उर्जा होती है।
- इसका उर्जा घनत्व पेट्रोल की तुलना में तीन गुना अधिक होता है।
- हाइड्रोजन का निष्कर्षण गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधनों सहित लगभग किसी भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक से किया जा सकता है।
- वाहनों में हाइड्रोजन से प्राप्त अपशिष्ट उत्पाद केवल जल वाष्प और गर्म हवा होती है।

चुनौतियाँ

- सामान्यतः हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। आमतौर पर ये ऑक्सीजन और कार्बन के साथ पाया जाता है।
- हाइड्रोजन का भंडारण एक चुनौती है क्योंकि हाइड्रोजन को कॉम्पैक्ट तरीके से संग्रहित करने के लिए उच्च दबाव, निम्न तापमान या रासायनिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।
- वर्तमान में हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहनों की उत्पादन लागत अधिक है।

फ्यूल सेल

- एक फ्यूल सेल स्वच्छ और कुशल विद्युत उत्पादन हेतु हाइड्रोजन या किसी अन्य ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। यदि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में मात्र विद्युत, जल एवं ऊष्मा प्राप्त होती है।
- फ्यूल सेल बैटरी की तरह काम करते हैं, किन्तु न ये समाप्त होते हैं और न ही इन्हें रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। जब तक ईंधन आपूर्ति की जाती है तब तक ये विद्युत और ऊष्मा उत्पादित करते रहते हैं।
- फ्यूल सेल युक्त वाहन पारंपरिक वाहनों से पूर्णतः भिन्न प्रणोदन प्रणाली का प्रयोग करते हैं जो दो से तीन गुना अधिक दक्ष हो सकते हैं।

5.4. सिटी कम्पोस्ट पॉलिसी

(City Compost Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में रसायनों तथा उर्वरकों पर संसद की स्थायी समिति ने सरकार को सिटी कम्पोस्ट संबंधी नीति (2016) की प्रगति की समीक्षा करने का सुझाव दिया।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

- इस नीति के अंतर्गत प्रति टन सिटी कम्पोस्ट (शहरी कचरे से बनने वाली खाद) पर बाज़ार विकास सहायता के रूप में 1500 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सिटी कम्पोस्ट के उत्पादन और उपयोग में वृद्धि करना है।
- पर्यावरण अनुकूल गुणवत्तायुक्त सिटी कम्पोस्ट सुनिश्चित करने के लिए **ईको-मार्क मानक** अनिवार्य कर दिए गए हैं।
- उर्वरक कंपनियां रासायनिक उर्वरकों के साथ **सिटी कम्पोस्ट का भी विपणन** करेंगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और सरकारी विभागों में बागवानी और उससे संबंधित प्रयोजनों हेतु सिटी कम्पोस्ट का उपयोग अनिवार्य बनाया गया है।
- किसानों के मध्य सिटी कम्पोस्ट के लाभों और इसके उपयोग के प्रति जागरूकता बढाने हेतु विभिन्न अभियान प्रारम्भ करना।

समिति की अनुशंसाएँ

- सम्बंधित एजेंसियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए नीति की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा करना।
- कचरे को अलग करने के लिए (segregation of waste) अनौपचारिक क्षेत्र से अपशिष्ट इकठ्ठा करने वालों तथा कचरा बीनने वालों को शामिल करना।
- केंद्र को राज्यों के साथ इस मुद्दे का संज्ञान लेना होगा ताकि निष्क्रिय सिटी कम्पोस्ट संयंत्रों का संचालन पुनः आरम्भ किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त इस समिति ने **सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी** (CIPET) की भागीदारी हेतु अनुशंसा की ताकि सिटी कम्पोस्ट के उचित विपणन और किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मल्टीमीडिया अभियान चलाए जा सकें।

5.5. शाहतूश व्यापार

(Shahtoosh Trade)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति ने कश्मीर में शाहतूश व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की।

पृष्ठभूमि

- **1975 में शाहतूश व्यापार पर** वैश्विक स्तर पर **कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन्डैन्जर्ड स्पीशीज (CITES)** के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- शाहतूश ऊन तिब्बती ऐन्टलोप (Tibetan antelope), चिरू से प्राप्त किया जाता है। ये गर्मियों में तिब्बत से लद्दाख की ओर प्रवास करते हैं।
- यह भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की **अनुसूची I** में सूचीबद्ध है। इसका IUCN दर्जा **नियर थ्रेटन्ड** है।
- समिति ने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की है क्योंकि शाहतूश का व्यापार कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करता है।
- समिति ने यह सिफारिश भी की है कि **ऐन्टलोप** का पालन-पोषण करने का दायित्व सरकार को उठाना चाहिए जिससे व्यापार को विनियमित किया जा सके और शोषण को रोका जा सके।

CITES (इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है)

- यह संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं के संरक्षण हेतु एक बहुपक्षीय संधि है।
- यह 1963 में IUCN की एक बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था।
- इसे 1975 में लागू किया गया।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीव एवं वनस्पति के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन वन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न न कर सके।

5.6. वृक्षवासी केकड़े की प्रजाति

(TREE-LIVING CRAB SPECIES)

- वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में लंबे पैर वाले, पेड़ पर रहने वाले केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की है।
- इस नई प्रजाति को **कनी मरनजंडू (Kani maranjandu)** नाम दिया गया है। इस प्रजाति को यह नाम केरल की स्थानीय कनी जनजाति के नाम पर दिया गया है। कनी आदिवासी समुदाय ने इस वृक्षवासी केकड़े को खोजने में मदद की।

- केकड़े के विशिष्ट लक्षणों में इसके ऊपरी कवच की कठोर संरचना, इसकी नर उदर संरचना (male abdominal structure) और प्रजनन अंग तथा लम्बे पैर शामिल हैं। ये विशेषताएं किसी भी अन्य प्रजाति में नहीं पायी जाती हैं। विशाल वृक्षों में जल धारण करने वाले कोटर इस अनूठी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं।

कनी जनजाति

- यह पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलाई पहाड़ियों के **उष्णकटिबंधीय** वनों में निवास करती है।
- इसकी आबादी लगभग 25,000 है। परंपरागत रूप से यह एक **खानाबदोश** जनजाति है।
- स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगली पौधों का उपयोग करना इस जनजाति की एक समृद्ध परंपरा है। इनके आदिवासी चिकित्सकों को **प्लाथी** कहते हैं। इन चिकित्सकों को पारंपरिक औषधीय ज्ञान होता है।
- उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण औषधीय पौधे को स्थानीय रूप से **'आरोग्यपचा' ('arogyapacha')** के रूप में जाना जाता है।

5.7. कांग्रेस घास

(Congress Grass)

- कांग्रेस घास तेजी से फैलने वाली एक वार्षिक खरपतवार है। इसे भारत में **'गाजर घास'** के रूप में भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम **'पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस'** है।
- यह उष्णकटिबंधीय **अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज की देशज प्रजाति** है।
- यह अधिक लम्बाई तक बढ़ने वाला, गहरी जड़ों वाला, बहुशाखित द्वि-बीजपत्री (dicotyledonous) पौधा है। इसकी ऊंचाई एक मीटर तक होती है।
- यह मेक्सिको से आयातित खाद्यान्न में मिले प्रदूषक के रूप में भारत में आया था। पहली बार 1956 में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी।
- वर्तमान में यह खरपतवार पहाड़ी राज्यों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में फ़ैल गई है।
- **एलीलोपैथिक** विशेषता के कारण कांग्रेस घास अपने आस-पास व्यापक रूप से फ़ैल जाती है।

नियंत्रण

- मैक्सिकन बीटल के माध्यम से जैविक नियंत्रण।
- ग्लाइफोसेट और मेट्रीब्यूज़िन जैसे कीटनाशक।

कांग्रेस घास के हानिकारक प्रभाव

- इसके पराग कण एलर्जिक होते हैं। इससे ब्रोन्काइटिस, अस्थमा, राइनाइटिस, कन्जंगक्टिवाइटिस (नेत्र शोथ), साइनसाइटिस आदि बीमारियां होती हैं।
- यह पशुओं के लिए हानिकारक और प्राणघातक भी है। पशु खुजली, शरीर के बाल गिरने, खाल के मलिन होने आदि समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं।
- कांग्रेस घास के पराग कणों की उपस्थिति बैंगन, टमाटर, मिर्च, सेम और मक्का के उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करती हैं।
- इससे दलहनी फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है।
- इनका कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं हैं अत: इनकी वृद्धि आम तौर पर अनियंत्रित होती है।

5.8.मेसोपेलेजिक मैपिंग

(Mesopelagic Mapping)

इस ज़ोन का महत्व

- मेसोपेलेजिक ज़ोन में रहने वाल प्राणियों का कुल वजन लगभग 10 बिलियन टन है। प्रत्येक वर्ष इनकी मात्र 1% क्रॉपिंग समुद्र से प्राप्त लाभों को दोगुना कर देगी। ये अत्यंत सूक्ष्म प्लावकों और पक्षियों एवं समुद्री स्तनधारियों जैसे बड़े शिकारियों के मध्य की योजक कड़ी हैं।
- यह ज़ोन कार्बन पंप के रूप में कार्य करता है: मेसोपेलेजिक जोन के जीव अपने साथ विशाल जल भंडार को तल से सतह पर और पुनः गहराई में सतत रूप से प्रवाहित करते रहते हैं। ये जीव रात्रि में भोजन के लिए सतह पर आते है तथा दिन में स्वयं की सुरक्षा के लिए जल की सतह के नीचे प्रवास करते रहते हैं।
- दिवाकाल में, इन जीवों द्वारा खाया गया भोजन अपशिष्ट रूप में त्याग दिया जाता है। कुछ जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। उत्सर्जित अपशिष्ट तथा जीवों का मृत शरीर नीचे की ओर गतिशील होकर तल की ओर गिरते हैं, जिन्हें **समुद्री बर्फ (marrine snow)** के रूप में जाना जाता है। ये नीचे तल पर एकत्रित होते रहते हैं।
- जीवों की प्रचुरता **'फाल्स बॉटम'** के रूप में कार्य करती है, जिससे इस क्षेत्र के नीचे स्थित पनडुब्बियों को सोनार द्वारा डिटेक्ट नहीं हो पाने में मदद मिल जाती है।

मेसोपेलेजिक मैपिंग

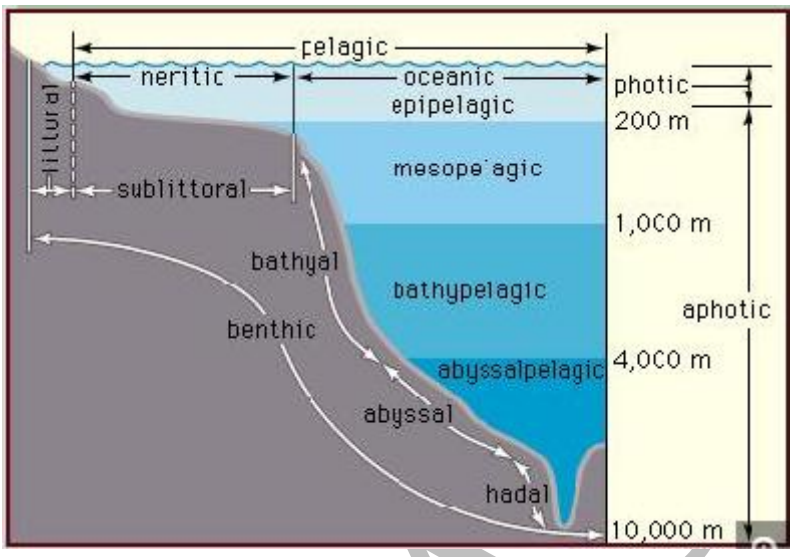

- अभी तक, मेसोपेलेजिक एक्टिविटी का सोनार द्वारा ही प्रभावी तरीके से अनुसंधान किया जाता रहा है।
- वर्तमान में मैपिंग के लिए रोबोट का उपयोग भी किया जा रहा है। इन उपकरणों में से सबसे बड़े उपकरण को **डीप सी (Deep See)** कहा जाता है। रिसर्च वेसल (Research vessels) डीप सी को मेसोपेलेजिक जोन से गुजारकर वाइड एंगल कैमरा फुटेज और एनवायरमेंटल डेटा एकत्रित किया जाएगा। यदि इस अनुसंधान में कोई संकेत प्राप्त होता है तो इसकी जांच करने हेतु दूसरा रोबोट रिसर्च वेसल से नीचे की ओर भेजा जाएगा।
- दूसरा उपकरण, **मेसोबोट है**। यह उपकरण ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे ये वाटर कॉलम में निलंबित अवस्था में रहेगा एवं साथ ही लम्बे समय तक मेसोपेलेजिक जीवन का निरीक्षण भी करता रहेगा ताकि इन जीवों के दैनिक प्रवास के दौरान ऊपर-नीचे की ओर की जाने वाली गति को ट्रैक किया जा सके।
- तीसरे प्रकार का मेसोपेलेजिक रोबोट एक डिस्पोजेबल प्रोब होगा। इनका नाम स्नोक्लोप्स (Snowclops) होगा। ये वाटर कॉलम में प्रवेश करते हुए विभिन्न गहराई पर स्थित मरीन स्नो की मात्रा का मापन करेंगे।
- भविष्य में, मेसोपेलेजिक ज़ोन में पर्यवेक्षण योग्य सामग्रियों का उपग्रह द्वारा मानचित्रण भी किया जा सकेगा।

मेसोपेलेजिक जोन

- यह महासागर की एक जलीय परत है जो सतह से लगभग 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक पायी जाती है तथा यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम प्रवेश कर पाता है, फलत: शैवाल का विकास नहीं हो पाता।
- यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में कशेरुकी प्राणी पाए जाते हैं, यहाँ पर ब्रस्टलेमाउथ्स, ड्रैगनफिश, स्क्वीड और सोर्ड फिश आदि मिलती हैं।

5.9. वन अधिकारों के विरुद्ध NTCA का आदेश

(NTCA Order Against Forest Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority: NTCA) ने '*क्रिटिकल टाइगर हैबीटैट्स*' (CTH) में वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के विरुद्ध आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि

- यह आदेश इस आधार पर दिया गया है कि *क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स* के भीतर वन अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट्स की अधिसूचना हेतु दिशानिर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों की परिकल्पना FRA, 2006 के तहत की गई थी।
- यह भ्रामक स्थिति है क्योंकि इन दोनों हैबिटेट्स की घोषणा दो भिन्न-भिन्न विधानों द्वारा संचालित की जाती है। जिसमे एक द्वि-चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाती है, पहला अभिनिर्धारण (identification)और दूसरा अधिसूचित करना (notification)।
- CTH, टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र हैं।

क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स (CTH) बनाम क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स (CWLH)

Critical 'tiger' habitats	Critical 'wildlife' habitats
Identified under the Wild Life Protection Act (WLPA), 1972	Defined only in the Forest Rights Act, 2006
Notified by state government in consultation with expert committee	Notified with the consent of the Gram Sabhas and affected stakeholder

- CTH की तरह, CWLH की पहचान वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर की जाती है।
- वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना बाघ संरक्षण उद्देश्य हेतु CTH क्षेत्रों को अक्षत रूप या **इन्वायोलेट क्षेत्र** (inviolate) रूप में बनाए रखने की आवश्यकता है। वन्य जीवों के संरक्षण के मामले में यही स्थिति CWLH के क्षेत्रों के सन्दर्भ में भी है, किन्तु CWLH में वन अधिकारों के मामलों का निपटारा अनिवार्य रूप से FRA के तहत किया जाना आवश्यक है।

'इन्वायोलेट (Inviolate) एक सामान्य शब्द है जो मानव बस्तियों और क्रियाकलापों की अनुपस्थिति को इंगित करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। CTHs को इन्वायोलेट (Inviolate) क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए उस क्षेत्र के लोगो को अनिवार्य रूप से विस्थापित करना पड़ेगा।

दिशानिर्देशों की आलोचना

- इस आदेश का कोई विधिक आधार नहीं है क्योंकि वनवासियों के अधिकार NTCA के क्षेत्राधिकार के तहत नहीं आते हैं।
- आदिवासियों के अधिकारों से समझौता तभी किया जा सकता है जब इस बात के साक्ष्य मौजूद हों कि ऐसे क्षेत्र में उनकी उपस्थिति से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।
- इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं कि आदिवासियों ने बाघों के संरक्षण में सहायता की है जैसे- कर्नाटक में बिलिगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिज़र्व में **सोलिगा आदिवासियों** द्वारा बाघ संरक्षण में की गई सहायता।
- कानून की कठोरता केवल लोगों (आदिवासियों) के प्रवेश या उनके द्वारा वन संसाधनों के उपयोग को रोकने पर आरोपित की जाती है, परन्तु वाणिज्यिक परियोजनाओं पर नहीं।

ऐसा ही एक आदेश

रामटेक के उप-डिवीजनल ऑफिसर (SDO) ने पेंच टाइगर रिजर्व के किनारे पर रहने वाले 425 वड़ंबा गांव वालों को सामुदायिक वन अधिकार (CFR) के तहत मछली पकड़ने की अनुमति दी थी, जो कि एक प्रकार का CTH है।

5.10 जलवायु परिवर्तन के कारण कनाडा की नदी की प्रवाह की दिशा में परिवर्तन: अध्ययन

(Climate Change Redirects Canadian River: Study)

- जलवायु परिवर्तन के कारण कनाडा के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक ग्लेशियर की बर्फ पिघलने (ग्लेशियर प्रत्यावर्तन) के कारण लगभग रातोंरात एक उत्तरी नदी का प्रवाह परिवर्तित हो गया है। नदी के प्रवाह में हुए परिवर्तन की इस घटना को शोधकर्ताओं ने क्लाइमेट चेंज जनित **"रिवर पायरेसी"** कहा है।

- सैकड़ों वर्षों से, **स्लिम्स नदी** ग्लेशियर का पिघला हुआ जल उत्तर की ओर अर्थात् विशाल कास्कवुल्श ग्लेशियर से बेरिंग सागर की ओर प्रवाहित करती थी।
- परन्तु 2016 की बसंत ऋतु में गर्मी के कारण ग्लेशियर के बहुत तेजी से पिघलने से जल का बहाव बहुत तीव्र हो गया, जल के तीव्र बहाव ने वर्षों से बह रही स्लिम्स नदी से अलग रास्ता बना लिया। वर्तमान में यह जल एक दूसरी नदी (अल्सेक नदी) के माध्यम से प्रवाहित होने लगी है।
- जिसके फलस्वरूप अल्सेक नदी स्लिम्स नदी की तुलना में काफी विशाल हो गयी। अल्सेक नदी के माध्यम से पिघला हुआ जल अलास्का की खाड़ी की ओर पुनः प्रवाहित हो रहा है।
- यह पाया गया कि एक ग्लेशियल बैरियर जो किसी समय में उत्तर में बेरिंग सागर की ओर प्रवाहित होता था, उसका वसंत ऋतु में अतिक्रमण हो गया।

5.11 विशिष्ट महुआ वृक्ष

(Unique Mahua Tree)

इस वृक्ष के बारे में

- 40 वर्षीय **इप्पा** या महुआ वृक्ष (*Madhuca indica*; मधुका इंडिका) में पत्ते निकलने के पहले महीने में दो-रंग का पत्ता दिखाई देता है।
- यह वृक्ष तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में **हीरापुर के पहाड़ी क्षेत्रों** में है।

इस विशिष्टता का कारण

- गुणसूत्र संबंधी असामान्यता (क्रोमोज़ोमल ऐबरेशन) के कारण विशिष्ट विशेषता प्राप्त हो सकती है।
- हरी पत्तियां पहले अंकुरित होती हैं और लगभग 15 दिन पहले परिपक्व हो जाती हैं, जबकि लाल रंग वाली पत्तियां कुछ दिन बाद हरे रंग की होती हैं।

संभावित खतरे

- हाल ही में, पेयजल परियोजना **मिशन भागीरथ** हेतु की जाने वाली खुदाई तथा बिजली के तार बिछाने के दौरान यह पेड़ कटते-कटते बच गया।

5.12. नवीकरणीय ऊर्जा: हाल में हुए विकास

(Renewable Energy: Recent Developments)

नवीकरणीय ऊर्जा: पृष्ठभूमि

लक्ष्य

- **पेरिस जलवायु सम्मेलन** में, भारत ने **2022** तक **175 GW** की **नवीकरणीय ऊर्जा** क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सौर ऊर्जा से 100 GW, पवन ऊर्जा से 60 GW, बायोमास से 10 GW और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 GW शामिल हैं।
- अगले तीन वर्षों के लिए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए लक्ष्य (मेगावाट में) निर्धारित किए गए हैं:

वर्तमान स्थिति:

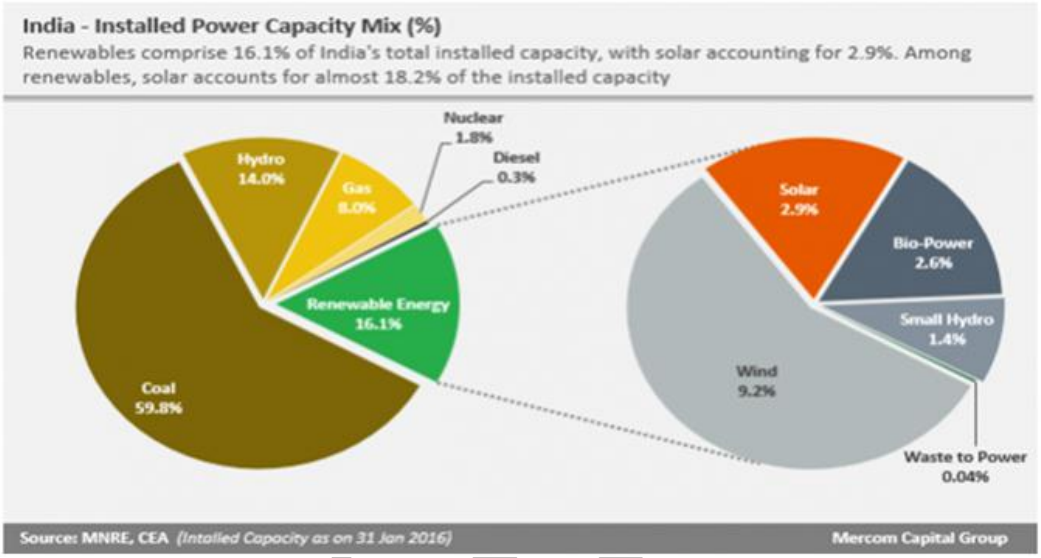

5.12.1 2016-17 में 5,400 मेगावाट रिकॉर्ड पवन ऊर्जा का उत्पादन

(Record 5,400mw Wind Power in 2016-17)

प्रासंगिक तथ्य

- भारत ने अपने 4,000 MW पवन ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए 2016-17 में 5,400 मेगावाट (MW) ऊर्जा उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया।
- प्रमुख राज्यों में 2,190 MW पवन उर्जा उत्पादन के साथ आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, तत्पश्चात गुजरात और कर्नाटक का स्थान था।
- फरवरी 2017 में, सोलर पावर टैरिफ 2.97 प्रति किलोवाट और पवन ऊर्जा टैरिफ 3.46 प्रति किलोवाट के साथ अत्यधिक कमी दर्ज की गई।
- वर्तमान में, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के सन्दर्भ में **भारत** विश्व स्तर पर चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद **चौथे स्थान पर** है।

5.12.2 पवन, सौर संसाधन: अवस्थिति

(Wind, Solar Resources: Location)

प्रेक्षण

- पवन संसाधन मुख्य रूप से पश्चिमी राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान) और दक्षिणी राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना) में केंद्रित हैं।
- सोलर फोटोवोल्टिक (PV) संसाधन कई राज्यों में वितरित हैं, परन्तु राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संसाधन क्षमता विद्यमान है।
- **हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करने में उत्पन्न बाधा:** 47% विंड ज़ोन्स (wind zones) और दो-तिहाई सोलर PV ज़ोन्स मौजूदा 220 KV और इससे अधिक ट्रांसमिशन वोल्टेज वाले सबस्टेशन से 25 किमी से भी अधिक दूरी पर अवस्थित हैं।
- सभी विंड ज़ोन का लगभग 84% कृषि भूमि पर अवस्थित है। यह भूमि के कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगों के लिए अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही यह कृषि के लिए भूमि की उपलब्धता में बाधायें भी उत्पन्न कर सकता है।

- उपयुक्त सोलर PV साइट्स का केवल 29% और कान्सन्ट्रैटड सोलर पॉवर (CSP) साइट्स का 15%, सतही जल निकायों के 10 किमी. के भीतर स्थित हैं, जो सौर संयंत्रों हेतु जल उपलब्धता को एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में इंगित करता है।

विंड और सोलर जेनेरेशन हेतु सह-अवस्थिति के विकास हेतु अवसर

- इस शोध में यह भी बताया गया है कि सभी सोलर PV ज़ोन्स का लगभग एक चौथाई (28 प्रतिशत) विंड ज़ोन्स के साथ अतिव्यापित (सह-अवस्थिति) अवस्था में हैं। इसका अर्थ है कि यह दोनों के लिए सह-अवस्थिति विकसित करने का एक अवसर है।
- यह ट्रांसमिशन एक्सटेंशन विकसित करने के लिए किफायती और आसान होगा। इसका दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

5.12.3 पवन ऊर्जा सुधार: भुगतान सुरक्षा

(Wind Power Reform: Payment Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश पवन ऊर्जा क्षेत्र में भुगतान और निकासी (evacuation) संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं।
- ग्रिड की अनुपलब्धता और वितरण कंपनियों से भुगतान में विलम्ब के कारण विंड डेवलपर्स को राजस्व हानि का सामना करना पड़ा है।

दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु

- एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को प्रस्तुत किया गया। यह मैकेनिज्म बैक-डाउन (back downs) या ग्रिड अनुपलब्धता के समय विंड पॉवर डेवलपर्स के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति की गारंटी प्रदान करता है।
- राज्य डिस्कॉम द्वारा भुगतान किया गया टैरिफ प्रतिस्पर्धी होना चाहिए तथा यह केवल फीड-इन टैरिफ और सोलर टैरिफ जितना ही नहीं हो जिसका लगभग 3.15 रूपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जा रहा है।

पवन क्षेत्र के संकट

- जब पवन ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पादन करते हैं तो आमतौर पर ग्रिड अनुपलब्ध रहती है। इसलिए विद्युत अप्रयुक्त रह जाती है। विंड एनर्जी डेवलपर्स (पवन ऊर्जा उत्पादकों) को तब ही भुगतान प्राप्त होता है जब उत्पादित विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित किया जाता है।
- वितरण कंपनियां या डिस्कॉम, विद्युत उत्पादकों को भुगतानों में विलम्ब करती हैं।
- विलंबित भुगतानों के कारणों में सौर प्रशुल्क टैरिफ का कम होना है। डिस्कॉम्स प्रति यूनिट विद्युत के लिए 5 रुपये का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, जबकि सौर लागत लगभग 3 रुपये प्रति यूनिट है।

5.12.4 सोलर रूफटॉप्स पर कोई शुल्क नहीं

(No Duty on Solar Rooftops)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 100 KW से अधिक क्षमता वाले सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स में प्रयुक्त सामग्री पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान किया है। सरकार द्वारा यह कदम रूफटॉप सोलर पॉवर के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु उठाया गया है।

आवश्यकता

- भारत ने 2022 तक 100 GW का सौर ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। 100 गीगावॉट में से सोलर PV (फोटोवोल्टिक) रूफटॉप सिस्टम के माध्यम से 40 GW का लक्ष्य नियत किए गए हैं। हालांकि, 2016 तक रूफटॉप सोलर कैपसिटी लगभग 1GW ही थी।
- भारत ने सौर रूफटॉप क्षेत्र को अत्यधिक प्रोत्साहित किया है क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण या पृथक ट्रांसमिशन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है। भूमि पर स्थापित सौर परियोजनाओं के विपरीत इसमें तकनीकी नुकसान भी न्यूनतम हैं।
- रूफटॉप प्रोजेक्ट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अपने अक्षय खरीद दायित्वों (RPO ; renewable purchase obligations) को पूरा करने के लिए भी सक्षम बनाती है। इन कंपनियों को डेटाइम पीक लोड (daytime peak load) को प्रबंधित करने में सहायता करती हैं।

इस कदम के प्रभाव

- इस कदम से रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के माध्यम से विद्युत की कुल लागत में कटौती होने की उम्मीद है। इससे देश भर में रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन्स को प्रोत्साहन मिलेगा।
- इससे घरेलू सौर मॉड्यूल विनिर्माण (डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग) में सहायता प्राप्त होगी। डेवलपर्स अधिकांशत: सौर स्थापनाओं (सोलर इंस्टालेशन्स) के लिए आयातित मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से 8-10% सस्ते होते हैं। यह शुल्क आयातित और घरेलू के बीच के अंतराल को कम करेगा।

VISION IAS

5.13 ओडिशा को GCF द्वारा अनुमोदित परियोजना प्राप्त हुई

(Odisha gets GCF-Approved Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) ने हाल ही में ओडिशा में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवेलपमेंट (NABARD) की एक परियोजना को मंजूरी दी है।

इस परियोजना के बारे में

- इस परियोजना में जल संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक ठोस अनुकूलन उपाय के रूप में भूजल पुनर्भरण प्रणाली के निर्माण पर बल दिया गया है।

ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) क्या है?

- GCF का गठन यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) द्वारा किया गया। GCF, 2010 में आयोजित कानकुन शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों में से एक था।
- यह विकासशील देशों में कम उत्सर्जन और जलवायु-प्रतिरोधी (resilient) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अपने संसाधन आवंटित करता है।
- यह फंड समाज में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सुभेद्य वर्गों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देता है, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (LDCs), स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स (SIDS) और अफ्रीकी देश।
- इस फंड के लिए वर्तमान में विभिन्न विकसित देशों से 10.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का आश्वासन प्राप्त हुआ है। पेरिस समझौते के तहत, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2020 से 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है।

5.14 कृषि क्षेत्रों पर अमोनिया हॉटस्पॉट्स

(Ammonia Hotspots over Agricultural Areas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत में कृषि केंद्रों पर 2002 से 2016 के दौरान अमोनिया की सांद्रता में वृद्धि हुई है।

संभावित कारण

- अमोनिया में वृद्धि, उर्वरकों, मवेशियों के अपशिष्ट, वायुमंडलीय संघटन (atmospheric chemistry) में परिवर्तन एवं मृदाओं के गर्म होने (warming soils) जो मृदा की अमोनिया प्रतिधारण क्षमता को कम करती है, से सम्बद्ध है।
- विश्व भर में नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हुई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां ऐसे उर्वरकों को सब्सिडी प्राप्त है।

समस्याएं

- भारत में वायुमंडल में अमोनिया संकेंद्रण मवेशियों की आबादी और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण विश्व में सर्वाधिक है।
- गैसीय अमोनिया पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन अत्यधिक अमोनिया पौधों के लिए हानिकारक है।
- जल निकायों में अमोनिया के कारण होने वाली हानि अत्यधिक चिंताजनक है, क्योंकि यह जलीय जीवों के लिए विषाक्त है।
- इससे महासागरों में **शैवाल प्रस्फुटन (algal blooms)और "डेड ज़ोन"** का विकास हो सकता है। महासागरों में **"डेड ज़ोन" खतरनाक रूप से ऑक्सीजन के निम्न स्तर को प्रकट करता है।**
- अमोनिया, अम्लीय प्रदूषकों के परिवहन और विस्तारित निक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसके परिणामस्वरूप भूमि और जल निकायों का अम्लीकरण हो जाता है।

5.15 पराली दहन पर रोक लगाने हेतु नीति में परिवर्तन

(Change Policy to Stop Stubble Burning)

पराली दहन की समस्या क्यों है?

- धान-गेहूं फसल प्रणाली में किसानों के पास दो फसलों के बीच बुवाई हेतु एक महीने से भी कम समय होता है।
- फसल के दौरान उत्पादित ठूँठ (stubble) की मात्रा उपज की तुलना में अधिक होती है। प्रत्येक चार टन चावल या गेहूं से छह टन पुआल/भूसा (straw) प्राप्त होता है।

प्रभाव

- 1 टन पुआल के दहन से 3 किग्रा पार्टिकुलेट मैटर (PM), 1,460 किलोग्राम CO2 और 199 किलोग्राम राख उत्पन्न हो सकती है।
- इसके कारण दिल्ली और शेष NCR में प्रदूषण स्तर गंभीर रूप से बढ़ जाता है।

- दहन के कारण मृदा के शीर्ष 2.5 सेंटीमीटर में लाभदायक बैक्टीरिया, कवक और अन्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम हो जाती है। इससे किसानों की उर्वरकों पर निर्भरता में वृद्धि होती है।
- सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी देती है। पराली दहन, सब्सिडी बर्बाद करने के समान है।
- वायु प्रदूषण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे फेफड़े संबंधी विकार, हृदय रोग आदि के प्रति जोखिम बढ़ाता है ।

कारण

- **लागत कारक**: पुआल प्रबंधन अत्यधिक महंगा और इसकी प्रक्रिया बहुत अधिक समय लेने वाली है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण करते समय चारा/भूसा प्रबंधन की लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
- **कृषि में बढ़ता मशीनीकरण**: जब धान का उत्पादन बिना उपकरणों के किया जाता था, तब चारे से सम्बद्ध समस्या इतनी गंभीर नहीं थी क्योंकि किसान जितना संभव हो भूमि के निकट से फसल काटते थे। मशीनीकरण के कारण खेतों में फसल अवशेष की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- **समय कारक**: बुवाई में विलंब का अर्थ है उपज में गिरावट। इससे खेत को बुवाई के लिए साफ करने में बहुत कम समय मिलता है।
- **गेहूं और धान की एकल कृषि:** आंध्र में, दालें जैसे काली दाल उगाई जाती है तथा चावल के फसल अपशिष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं।

आगे की राह

- कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे को पूरी तरह से हल करने की आवश्यकता है न कि केवल किसानों को दंडित करने की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कृषि भूमि के आकार के आधार पर पराली दहन में संलग्न किसानों पर 2,500 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
- किसानों को दंडित किए जाने वाले प्रावधानों से कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी पहचान करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, किसान इसे मजबूरीवश जला रहे हैं।
- सरकार गांव के स्तर पर कुछ सीमा तक मशीनीकरण का समर्थन कर सकती है ताकि पुआल को नष्ट किया जा सके और आगे फिर इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा सके। किसानों को इसे आर्थिक लाभ के रूप में देखना चाहिए।
- सरकार को उन दालों और तेल के बीजों की भी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए जो उत्तर भारत के लिए उपयुक्त हैं। इससे फसल प्रतिरूप में परिवर्तन होगा।

5.16 सीमेंट उद्योग: प्रदूषण

(Cement Industry: Pollution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सीमेंट उद्योग **MoEF&CC** द्वारा मई 2016 में अधिसूचित किए गए नए प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन करने में विफल रहा। इस मानदंड की समय सीमा 31 मार्च, 2017 थी।

उद्योग के तर्क

- प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं एवं प्रोद्योगिकी की सीमित उपलब्धता तथा प्रक्रिया-संबंधी परिवर्तन का पालन करने के लिए कम से कम दो वर्ष की समय सीमा आवश्यक है।

सीमेंट उद्योग द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक:
- नाईट्रोजन के ऑक्साइड्स
- सल्फर डाईऑक्साइड
- पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5)
- टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल (TSP)
- कार्बन मोनोऑक्साइड

क्या नए नियम उदार हैं?

- दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों और कई अन्य यूरोपीय देशों ने सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए अत्यधिक कठोर उत्सर्जन सीमायें निर्धारित की हैं।
- इसके अतिरिक्त, कई देशों ने पारा (Hg) के लिए सीमा निर्धारित की है, जिसे भारत द्वारा अभी निर्धारित किया जाना शेष है।
- इसके अतिरिक्त, सामान्य सीमेंट संयंत्रों के लिए अगस्त 2014 के मानदंडों और जुलाई 2015 के सह-प्रसंस्करण सीमेंट संयंत्रों के लिए मसौदा मानदंडों की तुलना में नए मानदंड उदार हैं।
- सीमेंट संयंत्र से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड की सीमा 100 mg/Nm3 से बढ़कर 100-1,000 mg/Nm3 हो गई थी। नाइट्रोजन ऑक्साइड की सीमा 600-800 mg/Nm3 से 600-1000 mg/Nm3 में छूट दी गई थी।
- इसके अतिरिक्त, उद्योग को इन नियमों का अनुपालन करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया था।

निष्कर्ष

- इस तथ्य के बावजूद कि इन मानदंडों को अन्य देशों में निर्धारित मानदंडों की तुलना में अधिक ढील दी जाती है, भारतीय सीमेंट संयंत्र मानदंडों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें मंत्रालय से उचित परामर्श और अनुमोदन के साथ व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और समयबद्ध ढंग से इसे लागू करना चाहिए।

5.17 खराई ऊंट

(Kharai Camels)

सुर्ख़ियों में क्यों?

खराई ऊँट को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक मैंग्रोव द्वीप पर हफ्ते में दो दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

खराई ऊंट के बारे में

- खराई ऊंट या तैरने वाले ऊंट केवल गुजरात के भुज क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- इन ऊंटों के लिए शुष्क भूमि और तटीय परितंत्र दोनों पारिस्थितियां अनुकूल हैं।
- इनमें समुद्र के पानी में तैरने की अदभुत क्षमता है। ये मुख्य रूप से मैन्ग्रोव और अन्य खारे पानी की प्रजातियों को चरते हैं। यह मैंग्रोव की खोज में समुद्र में तीन किलोमीटर की दूरी तक तैर सकते हैं।
- खराई ऊंट उच्च खारे पानी में फल-फूल सकता है और उच्च ज्वार-भाटा को सहन कर सकता है।
- ये ऊँट दो विशिष्ट समुदायों द्वारा पाले जाते हैं। **फकीरानी जाट** समुदाय इनकी देखरेख करते हैं और **रेबारी** इनके मालिक होते हैं।

6. विज्ञान और प्राद्यौगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. अंतरिक्ष मलबे को नष्ट करने के लिए प्रयास

(The Race to Destroy Space Debris)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अप्रैल 2017 में, वाशिंगटन में विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा (NASA) और यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) ने बढ़ते अंतरिक्ष मलबे के विषय में चिंता जताई ।

अन्तरिक्ष मलबा/कक्षीय मलबा क्या है(Space Debris/Orbital Debris?)?

- अंतरिक्ष मलबे के अंतर्गत प्राकृतिक (उल्का) और कृत्रिम (मानव-निर्मित) दोनों प्रकार के कण शामिल हैं। उल्का पिण्ड (Meteoroids) सूर्य की कक्षा में पाए जाते हैं, जबकि अधिकांश कृत्रिम मलबे पृथ्वी की कक्षा में मिलते हैं। इसलिए, कृत्रिम मलबे को सामान्यतः कक्षीय मलबे के रूप में जाना जाता है।

केसलर सिंड्रोम

- यह शब्द अन्तरिक्ष मलबे से संबंधित है, जो **LEO (लो अर्थ ऑर्बिट)** में अंतरिक्ष मलबे के आपसी टक्कर की प्रक्रिया (self-sustaining cascading collision) के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

इस मुद्दे से सम्बंधित और अधिक जानकारी:

- अंतरिक्ष कचरा की गति 30,000 किमी प्रति घंटे की होती है, इस कारण कक्षीय मलबा छोटे घातक टुकड़े एवं छर्रों में परिवर्तित हो जाता है। इससे उपग्रहों, अंतरिक्ष शटल, अंतरिक्ष स्टेशनों और मानव युक्त अंतरिक्ष यानों को नुकसान पहुंच सकता है।
- विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों को बढ़ते अंतरिक्ष मलबे के कारण अन्तरिक्ष कार्यक्रम को और अधिक कुशलता से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। इस कारण अंतरिक्ष कार्यक्रमों को अतिरिक्त आर्थिक और मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है।
- अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देश के अनुसार मिशन के समाप्त होने के 25 वर्षों के भीतर लो-अर्थ ऑर्बिट से अंतरिक्ष यान को हटाने का सुझाव दिया जाता है । हालांकि, केवल 60 प्रतिशत मिशन ही इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।
- इसके अलावा, अंतरिक्ष वैज्ञानिक **क्यूबेसैट** नामक सस्ते, छोटे उपग्रहों के बारे में चिंतित हैं जो अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष मलबे में लगभग 15% तक की वृद्धि करेंगे।
- **कमेटी ऑन पीसफुल यूसेज ऑफ आउटर स्पेस** और **इंटर-एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी (IADC)** ने वैश्विक स्तर पर इस समस्या के समाधान हेतु कई सुझाव दिए जैसे, नए मलबे के निर्माण को रोकना, छोटे मलबे के खतरे को प्रभावहीन करने के लिए उपग्रहों को डिजाइन करना, और संचालन प्रक्रियाओं में सुधार जिससे कि कम से कम मलबे के निर्माण के साथ कक्षीय व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा सके, और टकराव का अनुमान लगाना और इससे बचना

कमेटी ऑन पीसफुल यूसेज ऑफ आउटर स्पेस:

- यह **1959** में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली द्वारा स्थापित एक तदर्थ समिति (ad-hoc committee) है जो मानवता के लाभ जैसे शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करती है।
- यह समिति अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है और बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली कानूनी समस्याओं का अध्ययन करती है।

इंटरनेशनल स्पेस डेब्री कमेटी (International Space debris Committee):

- अंतरिक्ष मलबे के अनुसंधान में सहयोग के अवसरों की सुविधा प्रदान करने, निरंतर सहकारी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने, और मलबे के शमन (mitigation) के विकल्पों को खोजने एवं अंतरिक्ष में मानव निर्मित और प्राकृतिक मलबे के मुद्दों से संबंधित गतिविधियों के विश्वव्यापी समन्वय हेतु एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी मंच है।

6.2. सर्वे ऑफ़ इंडिया

(Survey of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वे ऑफ़ इंडिया ने हाल ही में अपनी 250 वीं वर्षगांठ पर 'नक्शे' नामक एक नए वेब पोर्टल की शुरुआत की है ।

VISION IAS

आवश्यकता क्यों:

- वर्तमान में, विशिष्ट नक्शा (मैप) चाहने वाले संगठनो और लोगों को फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ती हैऔर कभी-कभी सर्वे ऑफ़ इंडिया का भी दौरा करना पड़ता है। कई बार, मंत्रालयों को भी कुछ नक्शे प्राप्त करने के लिए भुगतान करना पड़ता है।

नक्शे पोर्टल के सम्बन्ध में:

- **स्थलाकृतिक मानचित्र (Topographic maps) या ओपन सीरीज़ मैप्स (OSM)** 'नक्शे' पोर्टल पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।
- **आधार आधारित यूजर ऑथेन्टिफिकेशन** प्रक्रिया के माध्यम से 1: 50000 पैमाने के मानचित्र PDF प्रारूप में उपलब्ध होंगे। आधार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल भारतीय ही उन नक्शों तक पहुंच सकें।
- यह सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है।

राष्ट्रीय मानचित्र नीति:

- नई नीति में **मैप्स** के दो अनुक्रम हैं - डिफेंस सीरीज़ मैप्स (DSM) और ओपन सीरीज़ मैप्स (OSM)।
- DSM, रक्षा बलों और अधिकृत सरकारी विभागों के विशेष उपयोग के लिए है I इस संबंध में नीति रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- OSM पर नीति बनाने की जिम्मेदारी सर्वे ऑफ़ इंडिया / विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पर होगी।
- OSM को विशिष्ट उपयोग हेतु एक समझौते के द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इन मैप्स में वैल्यू एडीशन कर सकता है और सर्वे ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त करने के बाद जानकारी साझा कर सकता है।

सर्वे ऑफ़ इंडिया के सम्बन्ध में:

- 1767 में स्थापित भारत की **प्रमुख मानचित्रण एजेंसी** है जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है।
- यह नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए मानचित्र तैयार करती है।
- भारत के सर्वेयर जनरल इसके अध्यक्ष होते हैं।
- यह भारत का **सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग** है जो **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह **भू-विज्ञान, भूमि और संसाधन प्रबंधन** के क्षेत्र में रक्षा बलों, योजनाकारों और वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कार्य करता है।
- यह विभिन्न प्रकार के मानचित्र बनाता है जैसे:

✓ **स्थलाकृतिक मानचित्र:** इस मानचित्र में भू-भाग या स्थलाकृति सहित प्राकृतिक और मानव-निर्मित भौगोलिक विशेषताए शामिल होती हैं। इसका उपयोग विकास नियोजन (डेवलपमेंट प्लानिंग) हेतु प्रशासकों और शहर योजनाकारों (टाउन प्लानर) द्वारा किया जाता है।

✓ **रोड मैप:** यह सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को भी प्रदर्शित किया जाता है।

✓ **एंटीक मैप (प्राचीन नक्शा):** इसमें प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को दर्शाया जाता है।

✓ **गाइड मैप:** यह प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों से सम्बंधित स्थानों का नक्शा है। दुसरे बड़े पैमाने के मानचित्रों के अभाव में, टाउन प्लानर भी इन मानचित्रों का काफी उपयोग करते हैं।

✓ **प्रोजेक्ट मैप:** यह परियोजना अधिकारियों की जरूरतों को पूरा करता है। स्केल और समोच्च(contour) अंतराल इलाके की प्रकृति और सर्वेक्षण के उद्देश्य पर निर्भर करता है।

✓ **अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र:** यह अंतरराष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाता है तथा इसे क्षेत्रीय नियोजन के लिए उपयोग किया जाता है।

सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा माउंट एवेरेस्ट को पुनः मापना:

- 1855 - सर जॉर्ज एवरेस्ट (भारत के सर्वेयर जनरल) के निर्देश में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई घोषित करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना।
- भूकंप के बाद (2015) सर्वे ऑफ़ इंडिया (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने नेपाल सरकार के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट को फिर से मापने का प्रस्ताव रखा है
- वर्तमान में, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर ऊपर है
- इसे हाल ही में विकसित एक INDGEOID गणितीय मॉडल के माध्यम से सुधारों(corrections) को लागू करते हुए GPS का उपयोग करके मापा जाएगा।

VISION IAS

6.3. डेटा इक्सक्लुसिविटी

(Data Exclusivity)

यह क्या है?

- यह बाजार अनुज्ञा(authorisation) प्राप्त करने के लिए कंपनियों द्वारा दवा विनियामक प्राधिकरणों को दवा परीक्षण के आंकड़ों के संबंध में प्रदान किये गए विशिष्ट अधिकारों से सम्बंधित है। इसका तात्पर्य यह है कि औषधि की सुरक्षा और प्रभावकारिता से संबंधित जानकारी को पांच या दस वर्ष की अवधि के लिए गोपनीय रखा जायेगा I
- यह औषधि हेतु पेटेंट सुरक्षा के अतिरिक्त कानूनी एकाधिकार संरक्षण का एक रूप है। स्पष्ट रूप से यह संरक्षण क्लीनिकल ट्रायल के दौरान किए गए निवेश की प्रतिपूर्ति हेतु दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि नियामक अगले पांच वर्षों के लिए समान डेटा वाली इसी तरह की औषधि को मंजूरी नहीं दे सकते।

पक्ष में तर्क:

- यह बाजार में नई दवाइयों को लाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा ,क्योंकि उनके महंगे एवं समय लेने वाले प्रीक्लिनिकल और क्लीनिकल ट्रायल में लगने वाले खर्चे को निकाला जा सकेगा।

विपक्ष में तर्क:

- यह TRIPS समझौते के अधिदेश से परे है और यह दवा विनियामकों को औषधि के बायोइक्युवेलेंट संस्करणों को अनुमोदित करने हेतु ओरिजिनेटर कंपनी द्वारा जमा किये गए डेटा को प्रयोग करने से प्रतिबंधित करेगा। इससे जेनेरिक औषधि को बाजार में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा I
- यह 20-वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी एकाधिकार को बनाये रखेगा और पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d) के प्रभाव को कम कर पेटेंटों की एवरग्रीनिंग का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा अनिवार्य लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को अवरुद्ध करेगा।
- यहां तक कि बायोइक्युवेलेंस स्थापित करने के लिए, मानव पर क्लीनिकल ट्रायल दोहराए जाएंगे जो कि अनैतिक है।
- खर्च किए गए धन के आधार पर एक्सक्लूसिविटी प्रदान करना, अन्य उद्योगों के लिए नकारात्मक उदाहरण बनेगा जो अब IP जैसे अधिकारों का दावा कर सकते हैं।

ट्रिप्स प्लस उपाय:

इसका अर्थ है ट्रिप्स प्रावधानों से परे जाना। विकसित और विकासशील देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौतों के एक हिस्से के रूप में ट्रिप्स प्लस प्रावधानों को प्रायः प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **डेटा एक्सक्लूसिविटी** - RECP वार्ता में सबसे ज्यादा चिंताजनक मांगों में से एक
- पेटेंट आवेदनों की प्रोसेसिंग में देरी हेतु कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए पेटेंट टर्म एक्सटेंशन प्रदान किया जाता है। पेटेंट टर्म एक्सटेंशन प्रवर्तक कंपनी को पांच वर्ष का अतिरिक्त एकाधिकार देगा।

यहाँ तक कि कई विकसित देशों ने भी एंटी-काउंटरफीटिंग ट्रेड एग्रीमेंट(ACTA) पर हस्ताक्षर किए हैं जो WTO और WIPO के बाहर IPR प्रवर्तन हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों को स्थापित करता है।

आगे की राह:

सरकार को "ट्रिप्स प्लस" पर अपना दृढ रुख रखना चाहिए I ऐसे किसी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए जो की पेटेंट की एवरग्रीनिंग को बढ़ावा देकर तथा अनिवार्य लाइसेंस को अवरुद्ध करके सार्वजनिक हित को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा सकता है।

6.4. CERN द्वारा नई भौतिकी के "संकेत"

(CERN Sees "Indications" of New Physics)

- CERN के लार्ज हेड्रोन कोलाइडर(LHC) प्रयोग ने एक लक्षण प्रदर्शित किया है जो मानक मॉडल की बुनियादी धारणा के विपरीत है।
- LHC के भौतिक विज्ञानियों ने सब एटोमिक स्तर पर, दो प्रकार की प्रक्रियाओं की तुलना की है। प्रथम उत्तेजित (excited) K मेसान के अन्दर नष्ट होने वाला B मेसान और म्यूऑन युग्म (म्यूऑन-प्लस और म्यूऑन-माइनस) में क्षय। दूसरी प्रक्रिया जहाँ B मेसोन एक इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रोन युग्म प्रदान करते हुए K मेसोन में नष्ट होता है।

मेसोन (Meson)

पार्टिकल फिजिक्स में, मेसोन एक हेड्रोनिक सब एटामिक कण है जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से बना होता है I क्वार्क तथा एंटी क्वार्क एक मजबूत अंतःक्रिया (interaction) द्वारा परस्पर संबद्ध रहते हैं।

म्यूऑन (Muon)

एक प्राथमिक कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान है, जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज -1 e और 1/2 स्पिन होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रान की तुलना में काफी अधिक होता है।

VISION IAS

- मानक मॉडल के अनुसार, चूंकि म्यूऑन और इलेक्ट्रॉन दोनों द्रव्यमान के अतिरिक्त अन्य सभी गुणों में एक समान हैं इसलिए इन दोनों अभिक्रियाओं की दर समान होनी चाहिए। हालांकि, सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों के परिणाम से पता चलता है कि यह दर काफी अलग हैं।

6.5. शरीर की गति से चार्ज होने वाला पेपर डिवाइस

(Paper Device Charged by Body Movements)

सुर्ख़ियों में क्यों:

- वैज्ञानिकों ने हल्के वजन वाले कागज-आधारित उपकरण को विकसित किया है जो सेंसरों और घड़ियों को शक्ति प्रदान करने के लिए शरीर की गति से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है।
- यह अवधारणा ट्राईबो इलेक्ट्रिक नैनो जेनरेटर्स (**TENGs**) सिस्टम पर आधारित है जो ट्राईबोइलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से ऊर्जा बनाता है।

TENGs क्या है?

- ट्राईबो इलेक्ट्रिक नैनो जेनरेटर्स (TENGs) कार्बनिक सामग्री पर आधारित है तथा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। यह एक सेंसर है जो मैकेनिकल ट्रिगरिंग को सीधे सेल्फ-जेनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल में रूपांतरित करता है जिससे गति, कंपन, यांत्रिक उत्तेजनाओं, भौतिक स्पर्श और जैविक गति का पता लगाया जाता है।
- यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपलब्ध सभी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है, जैसे गति, घूमना, रोटेशन, वायु, ऑटोमोबाइल, जल का बहाव इत्यादि
- TNG, ट्राईबो इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के संयोजन पर आधारित है, और यह दैनिक जीवन में उपलब्ध सामान्य सामग्री जैसे कागज, कपड़े, PTFE, Al, और PVC का उपयोग करता है।

इस विषय पर और अधिक जानकारी

- डिवाइस में ऊर्जा भंडारण हेतु सुपर कैपसिटर (super capacitor) अवयव सोने और ग्रेफाइट-लेपित सैंड पेपर से बना होता है।
- आंतरिक सतह कागज़ से बनी होती है और सोने और एक फ्लोरिनेटेड एथलीन प्रोपलीन फिल्म से लेपित होती है, इसी आंतरिक सतह में TENG एनर्जी हार्वेस्टर शामिल होते हैं।
- कुछ मिनटों तक प्रेस एंड रिलीज़ (Pressing and releasing) प्रक्रिया दोहराने पर यह 1 वोल्ट तक आवेशित हो जाता है जो एक रिमोट कंट्रोल और घड़ी को पॉवर देने के लिए पर्याप्त होता है।

6.6. शनि का छोटा चन्द्रमा जीवन को पोषित कर सकता है: नासा

(Small Saturn Moon can Sustain Life: NASA)

सुर्खियों में क्यों:

- अप्रैल 2017 में, नासा ने **कैसिनी मिशन** द्वारा प्राप्त सबूतों के आधार पर दावा किया कि शनि के बर्फीले चंद्रमा, इनसेलाडस (Enceladus) पर जीवन को पोषित करने हेतु आवश्यक रसायन उपस्थित हैं।

विषय पर और जानकारी

- कैसिनी मिशन ने इनसेलाडस की बर्फीली सतह (crust) के नीचे भूमिगत महासागर से हाइड्रोजन का विस्फोट पाया गया है।
- जेट्स (jets) में हाइड्रोजन की उपस्थिति ने नासा के वैज्ञानिकों को संकेत दिया है कि इनसेलाडस के महासागरीय तल पर भू-तापीय गीजर हैं जहाँ माइक्रोब्स के पाए जाने की संभावना है Iयह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर मीथेन और जीवन हेतु आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं।

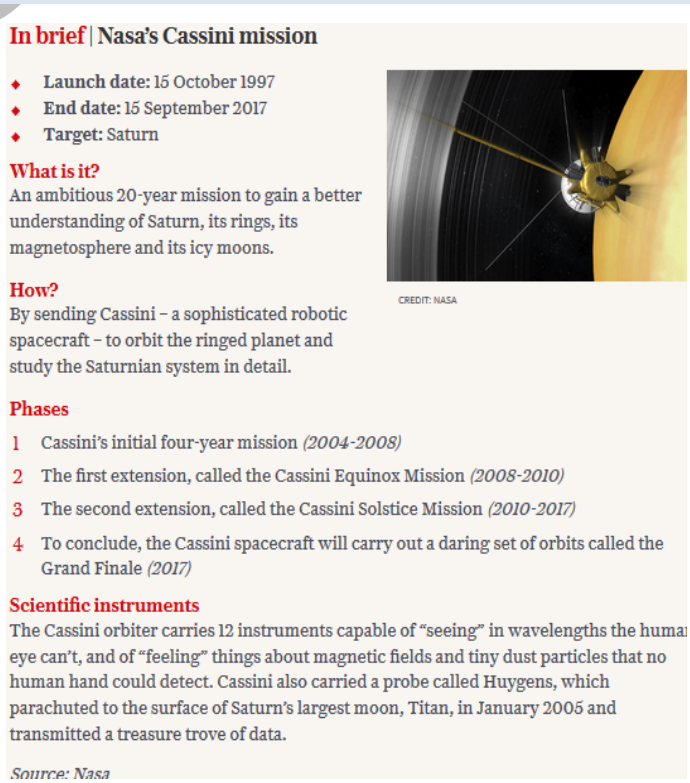

In brief | Nasa's Cassini mission

- **Launch date:** 15 October 1997
- **End date:** 15 September 2017
- **Target:** Saturn

What is it?
An ambitious 20-year mission to gain a better understanding of Saturn, its rings, its magnetosphere and its icy moons.

How?
By sending Cassini – a sophisticated robotic spacecraft – to orbit the ringed planet and study the Saturnian system in detail.

CREDIT: NASA

Phases

1. Cassini's initial four-year mission *(2004-2008)*
2. The first extension, called the Cassini Equinox Mission *(2008-2010)*
3. The second extension, called the Cassini Solstice Mission *(2010-2017)*
4. To conclude, the Cassini spacecraft will carry out a daring set of orbits called the Grand Finale *(2017)*

Scientific instruments
The Cassini orbiter carries 12 instruments capable of "seeing" in wavelengths the human eye can't, and of "feeling" things about magnetic fields and tiny dust particles that no human hand could detect. Cassini also carried a probe called Huygens, which parachuted to the surface of Saturn's largest moon, Titan, in January 2005 and transmitted a treasure trove of data.

Source: Nasa

VISION IAS

जल की खोज हेतु अंतरिक्ष में भेजे गए कुछ अन्य मिशन:

- **क्यूरोसिटी मार्स रोवर** ने एक प्राचीन धारा (streambed) की खोज की है जहाँ जीवन और जल के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी।
- **मिशन यूरोपा,** यह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के आउटर सेल पर बर्फीले क्रिस्टल, झीलों की खोज में है।
- **डॉन(Dawn) मिशन** वर्तमान में जल के लिए सेरेस(Ceres) का अध्ययन कर रहा है। सेरेस मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्रग्रह पट्टी (asteroid belt) में सबसे बड़ा निकाय (body) है।
- **जूनो मिशन** बृहस्पति ग्रह द्वारा धारित जल की माप करेगा ।
- **गैनीमीड(Ganymede) मिशन**- यह मिशन गैनीमीड के क्रस्ट और कोर के बीच बर्फ और जल के क्रिस्टल की खोज में संलग्न है। गैनीमीड बृहस्पति और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है।

6.7. साइंस सिटीज स्कीम

(Science Cities Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों:

- **संस्कृति मंत्रालय** के अंतर्गत **राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM)** ने **कोलकाता** में एक **साइंस सिटी** तथा **लखनऊ** में **रीजनल साइंस सिटी** की स्थापना की है।
- **कपूरथला, पंजाब** में **पुष्पा गुजराल साइंस सिटी** और **अहमदाबाद, गुजरात** में **गुजरात साइंस सिटी** भी स्थापित की गई है।
- इसके अलावा **असम** में साइंस सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (National Council of Science Museums: NCSM)

- **अप्रैल 1978 में संस्कृति मंत्रालय** के अंतर्गत स्थापित यह एक **स्वायत्त संगठन** है।
- NCSM का मुख्यालय **कोलकाता** में है तथा भारत में 25 विज्ञान संग्रहालय/केंद्रों का इसका अपना नेटवर्क है।
- **कोलकाता** में स्थित **सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी (CRTL)** पेशेवर **प्रशिक्षण, अनुसंधान** और **विकास** हेतु परिषद का केंद्रीय हब (केंद्र) है।
- आज, NCSM विश्व में विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
- 2011 में, NSCM ने विज्ञान संग्रहालयों की अपेक्षा संग्रहालयों और केंद्रों(centres) के विकास के लिए **"क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स"** नामक पूर्ण स्वामित्व वाली एक गैर-लाभकारी कंपनी निर्मित की है।
- विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और आम लोगों को शिक्षित करने के लिए NSCM कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, व्याख्यानों आदि का आयोजन भी करता है।

साइंस सिटीज स्कीम के सम्बन्ध में:

- यह देश के सभी राज्यों में साइंस सिटीज की स्थापना का प्रावधान करता है।
- इस योजना के अंतर्गत साइंस सिटी स्थापित करने के इच्छुक राज्यों को भूमि उपलब्ध कराना होता है, सुविधाओं की स्थापना की लागत को साझा करना होता है और इसके रख-रखाव के लिए एक कोष बनाए रखना होता है।
- इन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइंस सिटीज की स्थापना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- इस स्कीम के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। यह समय-सीमा **साइंस सिटीज** के मामले में परियोजना के प्रारंभ की तारीख से 54 महीने, **रीजनल साइंस सेंटर** के लिए 33 महीने और **सब-रीजनल साइंस सेंटर** के लिए 27 महीने है।
- NCSM द्वारा साइंस सिटी/सेंटर परियोजनाओं का शुरू किया जाना निम्न कारकों पर निर्भर है:

✓ संसाधनों की उपलब्धता पर।
✓ NCSM की परियोजना संचालन की क्षमता पर।
✓ उस राज्य में साइंस सेंटर गतिविधियों के मौजूदा स्तर पर।

साइंस सिटीज की स्थापना के उद्देश्य:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और **उद्योग, मानव कल्याण** और **पर्यावरण** में उनके अनुप्रयोगों को दर्शाना।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संस्कृति की सार्वजनिक समझ को बढ़ाना तथा सुदृढ़ करना।
- वैज्ञानिक जागरूकता और वैज्ञानिक सोच को विकसित करना और बनाए रखना।

- शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करके विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर **पाठ्यक्रम-आधारित शिक्षा** को बढ़ावा देना।
- विज्ञान संग्रहालयों के नियोजन और आयोजन में विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, संग्रहालयों, विद्यालयों और कॉलेजों को सहायता प्रदान करना और कर्मियों को संग्रहालय के पेशे से सम्बंधित प्रशिक्षण प्रदान करना।

6.8. सुपर प्रेशर बैलून टेक्नालजी:

(Super Pressure Balloon Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नासा (NASA) ने स्टेडियम के आकार के अंपने **सुपर-प्रेशर बैलून** को वनाका, न्यूजीलैंड से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
- यह लगातार तीसरा वर्ष है जब नासा ने दीर्घावधिक, हैवी-लिफ्ट सुपर-प्रेशर बैलून को लॉन्च किया।

सुपर प्रेशर बैलून टेक्नालजी के सम्बन्ध में:

- यह बैलून **पॉलीएथलीन फिल्म** से बनाया गया है जो मजबूत और अधिक टिकाऊ है। इसमें दक्षिणी गोलार्ध के मध्य-अक्षांशीय बैंड में 100 या अधिक दिनों तक लगातार उड़ने की क्षमता है।
- यह साथ में **इंटरनेशनल इक्स्ट्रीम यूनिवर्स स्पेस ऑब्ज़र्वेटरी ऑन सुपर प्रेशर बैलून (EUSO-SPB)** के 2495 किलो वजनी एक पेलोड **(कॉस्मिक रे फ्लूअरेसन्स डिटेक्टर)** का भी वहन करता है।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि की उड़ान वाली सुपर प्रेशर बैलून तकनीक का परीक्षण और पुष्टि करना है।
- डिटेक्टर हमारी आकाशगंगा प्रणाली (गैलेक्सी सिस्टम) के बाहर उत्पन्न होने वाली **उच्च ऊर्जा कॉस्मिक किरणों** का पता लगाने में भी मदद करेगा ये कॉस्मिक किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद **नाइट्रोजन अणुओं** के साथ संपर्क में आती हैं तब एक **UV फ्लूअरेसन्स लाइट** उत्पन्न करती हैं। इससे इन रहस्यमय उच्च ऊर्जा कणों के स्रोत का पता लगाने में मदद मिलेगी।
- ये वैज्ञानिक बैलून (scientific balloons) एक **महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यान (लॉन्च व्हीकल)** के रूप में कार्य करते हैं, जो वैज्ञानिक पेलोड हेतु **कम लागत, निकट-अंतरिक्ष पहुंच (near-space access)** प्रदान करते हैं। इस प्रकार, ये वैज्ञानिक बैलून नई तकनीकों और वैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण और पुष्टि करने में सहायक हैं।

6.9. एक्सोप्लेनेट: GJ 1132B

(Exoplanet: GJ 1132B)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, खगोलविदों ने पृथ्वी जैसे एक ग्रह **GJ 1132b** के चारों ओर एक वातावरण (atmosphere) का पता लगाया। यह ग्रह आकार में पृथ्वी से **1.4 गुना** बड़ा है तथा पृथ्वी से 39 प्रकाश-वर्ष दूर है।
- GJ 1132b दक्षिणी तारा मंडल **वेला (Vela)** में **रेड ड्वार्फ** स्टार **GJ 1132** की परिक्रमा करता है। यह पेरेंट स्टार **GJ 1132** हमारे सूर्य की तुलना में बहुत छोटा, ठंडा और धुंधला है।
- खगोलविदों के अनुसार, यह **सुपर-अर्थ** गैसों की एक मोटी परत से ढकी है जो या तो जल या मीथेन या दोनों का मिश्रण हैं और **टाइडली लॉक्ड (tidally locked: वह अवस्था जब किसी पिंड की कक्षीय अवधि इसके घूर्णन अवधि के बराबर होती है)** है जिससे कि इसका एक भाग हमेशा अपने मूल तारे (parent star) की ओर ही रहता है। इस टाइडल लॉक को **ग्रेवीटेशनल लॉकिंग** या **कैप्चर्ड रोटेशन** के रूप में भी जाना जाता है।
- यह अपने मूल तारे (parent star) का काफी तीव्र गति से चक्कर लगाता है, लगभग **1.6 पृथ्वी दिवसों** में एक **"वर्ष"** पूरा करता है।
- यह **पहली बार** है कि पृथ्वी के सामान के किसी ग्रह के चारों ओर वातावरण का पता लगाया गया है।
- यह परीक्षण चिली स्थित **यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (European Southern Observatory)** के टेलिस्कोप द्वारा किया गया है।

6.10. H1N1

(H1N1)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जनवरी 2017 के बाद से **स्वाइन फ्लू** के कारण **महाराष्ट्र** में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है।
- **जलवायु में परिवर्तन** और राज्य में **अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर** को वायरस के फैलने का कारण माना गया है। वातावरण में आया यह परिवर्तन वायरस की वृद्धि के अनुकूल है।

H1N1 (स्वाइन फ्लू) के बारे में

- यह **स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस** के **टाइप A स्ट्रेंस** से उत्पन्न एक **संक्रामक श्वसन रोग** है। यह वायरस युक्त ड्राप्लिट (droplets) के सांस द्वारा अंदर लेने या दूषित सतह के आँख, नाक या मुंह के संपर्क में आने से शरीर में प्रवेश करता है।
- इस वायरस का प्रसार **तापमान पर निर्भर** है।

- इसे **स्वाइन फ्लू** कहा जाता है क्योंकि पूर्व में जो लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए थे वे **सुअरों** के साथ सीधे संपर्क में थे।
- **फैलने का कारण/साधन:** जब इस वायरस से प्रभावित लोग खांसते या छींकते हैं, तो वे वायरस युक्त छोटे ड्राप्लिट को वायु में स्प्रे करते हैं। अगर कोई इन ड्राप्लिट या दूषित सतह से संपर्क में आ जाता है, तो वह H1N1 स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो सकता है।
- **लक्षण:** इसके लक्षण भी अधिकांशत: इन्फ्लूएंजा संक्रमणों के समान ही हैं, जैसे- गले में दर्द, खाँसी, बुखार और ठंड लगना, शरीर में दर्द, सिरदर्द, उल्टी, नाक का बहना, थकान और तीव्र जठरांत्र (gastrointestinal) संबंधी लक्षण जैसे डायरिया।
- **जोखिम से अधिक प्रभावित लोग:** बुजुर्ग; छोटे बच्चे; गर्भवती माताएं; कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग।
- **निवारक उपाय:** स्वच्छता का ध्यान रखना, सूअर का मांस और उसके उत्पादों को खाने से बचना, खाने से पहले हाथ धोना, भीड़-भाड़ वाले स्थानों और बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क बनाने से बचना आदि।
- **उपचार:** मौसमी फ्लू का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवाएं जैसे ओसेल्टामिविर (टैमीफ्लू), पेरामिविर (रैपिवैब), जेनामिविर (रिलेन्ज़ा) स्वाइन फ्लू के लिए भी काम करती हैं। लेकिन इन्हें मेडिकल पर्यवेक्षण के तहत ही लिया जाना चाहिए।

6.11. BELLE II प्रोजेक्ट

(BELLE II Project)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, **हाई एनर्जी ऐक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गनाईजेशन (KEK)** ने **सुपर KEKB** एक्सीलेरेटर के साथ 1400 टन के **Belle II डिटेक्टर** के एकीकरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।
- यह प्रयोग **जापान** के इबाराकी प्रान्त के **Tsukuba** में स्थित **KEK** में किया जा रहा है।

Belle II प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में:

- यह प्रयोग उच्च ऊर्जा युक्त **इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन के टकराव** (collisions) से उत्पन्न विभिन्न **प्राथमिक कणों** का अवलोकन कर ब्रह्मांड की शुरुआत के रहस्यों की खोज करता है।
- **Belle II डिटेक्टर**, अपग्रेड सुपर KEKB त्वरक के द्वारा उत्पन्न कृत्रिम रूप से निर्मित प्राथमिक कणों की अंत:क्रिया (interactions) का सटीकता से आकलन करता है। यह इन नव निर्मित कणों की दिशा और आवेग का माप भी प्रदान करेगा।
- पूर्व के Belle प्रयोग के तुलना में, Belle II अधिक परिशुद्ध माप के साथ बड़े पैमाने पर नमूनों को संग्रहित करने में सहायक होगा।
- प्रयोग का मुख्य उद्देश्य **पार्टिकल फिजिक्स के मानक मॉडल** से "महत्वपूर्ण विचलन (deviation)" को खोजना है, और इस तरह निर्धारित किया जा सकता है कि कई प्रस्तावित नए सिद्धांतों में से कौन सा प्राथमिक कणों के सम्बन्ध में सबसे सटीक वर्णन प्रस्तुत करता है।
- इसमें महत्वपूर्ण भारतीय भागीदारी सहित 23 देशों के 700 वैज्ञानिकों की व्यापक सहभागिता है।
- अत्यधिक संवेदनशील पार्टिकल डिटेक्टर की छह-परतों में से चौथी परत को **तारिक अजीज** और **गगन मोहन्ती** के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है। ये दोनों ही वैज्ञानिक टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई से संबद्ध हैं।

हाई एनर्जी ऐक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गनाईजेशन:

- यह एक **राष्ट्रीय संगठन** है जिसका उद्देश्य जापान में सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स प्रयोगशाला को संचालित करना है।
- **1997** में स्थापित, यह जापान के इबाराकी प्रान्त के **Tsukuba** में स्थित है।

सुपर KEKB ऐक्सेलरेटर:

- यह पूर्व के KEKB का एक **उन्नत संस्करण** है।

यह पार्टिकल ऐक्सेलरेटर अत्यधिक उच्च दर से इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन टकराव को उत्पन्न करेगा जिससे यह पहले के KEKB की तुलना में 40 गुना अधिक तात्क्षणिक दीप्ति (instantaneous luminosity) उत्पन्न करेगा।

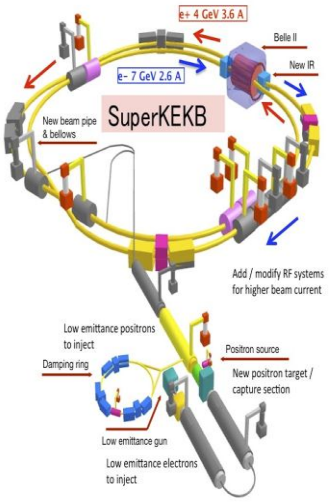

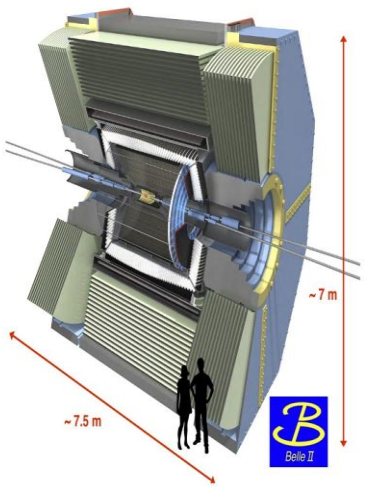

VISION IAS

6.12. ब्रॉबो रोबोट

(Brabo Robot)

सुर्खियों में क्यों?

- टाटा मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने भारत के पहले **औद्योगिक रोबोट 'BRABO'** का उद्घाटन किया है। यह नामकरण 'Bravo Robot' के संक्षिप्त रूप 'BRABO' के आधार पर किया गया है।
- **रोबो आर्म** के **ड्राइव्स** और **मोटर्स,** जिसे इटली से मंगाया गया है। इसके अलावा BRABO के शेष सभी हिस्सों को भारत में ही निर्मित किया गया है।
- यह एक **आर्टिकुलेटड रोबोट** है, अर्थात् यह ऐसा रोबोट है जिसमें एक या अधिक रोटरी ज्वाइंट्स होते हैं जो इसे हर तरह के उपयुक्त गति की क्षमता प्रदान करते हैं।
- हाल ही में BRABO ने **CE (European Conformity) सर्टिफिकेशन** प्राप्त किया है। **CE सर्टिफिकेशन** के कारण **TAL** को अब इस रोबोट को यूरोप और अमेरिका में निर्यात करने का अवसर प्राप्त होगा।
- TAL ने BRABO हेतु बौद्धिक संपदा (IP) प्रमाणीकरण के लिए भी आवेदन किया है।

लक्षित उद्योग:

- हालांकि BRABO को प्राथमिक रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) को ध्यान में रख के निर्मित किया गया है, लेकिन यह बड़े विनिर्माण उद्योगों के लिए भी प्रासंगिक है।
- हालांकि, इसका प्राथमिक लक्ष्य ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोजिस्टिक्स, खाद्य, पैकेजिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर हैं।

6.13. प्रथम ग्लोबल इंटरनेट एटलस

(First Global Internet Atlas)

- हाल ही में, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भारत में इन्टरनेट की भौतिक असंरचना (physical structure) के विस्तृत मानचित्र सहित पहला **ग्लोबल इंटरनेट एटलस** विकसित किया है।
- इंटरनेट की भौतिक असंरचना उन सभी **हार्डवेयर्स** के लिए एक सामूहिक शब्द है जो इन्टरनेट के संचालन के लिए आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ विभिन्न देशों को जोड़ने वाले महासागरों के नीचे बिछे **सबमरीन केबल्स,** डेटा को स्टोर करने वाले सर्वर,ऑप्टिकल फाइबर, इत्यादि।
- इंटरनेट की भौतिक अवसंरचना की मैपिंग निम्न रूप से सहायक होगी :

✓ अत्यधिक खराब मौसम या आतंकवादी हमले की स्थिति में इसकी सुरक्षा में।

✓ साझा जोखिम की समस्या का आकलन तथा रोकथाम में क्योंकि वर्तमान समय में भौतिक अवसंरचनायें अनेक नेटवर्किंग संस्थाओं द्वारा साझा की जा रही हैं।

✓ हितधारक (जैसे कि सेवा प्रदाता) अपनी सक्षमता को बढ़ा सकते हैं।

✓ इंटरनेट के विकास को समझने में।

6.14. नवीन ग्राफीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर

(Novel Graphene Electrical Conductor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बंगलुरु के शोधकर्ताओं ने प्रयोगात्मक रूप से एक नए प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की खोज की है जिसका सैद्धांतिक पूर्वानुमान 20 वर्ष पूर्व किया गया था।

खोज के बारे में

- एक एकल या कुछ परत मोटी ग्राफीन ने कमरे के तापमान पर उच्च विद्युत चालकता प्रदर्शित की। इसमें इलेक्ट्रिक करेंट का पथ ग्राफीन परत की ज़िग-ज़ैग एज (ग्राफीन के हनी काम्ब (honey comb) लैटिस स्ट्रक्चर की एज (edge)) के अनुरूप है।
- विश्व भर में कई समूह 2004 में ग्राफीन की खोज के बाद से ही इन एजेस (edges) तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, किन्तु वे इस दिशा में अधिकांशतः असफल ही रहे। इसका कारण यह है कि जब विद्युत् धारा प्रवाहित होती है तो यह एजेस के साथ ही साथ सम्पूर्ण भाग (बल्क) से होकर भी गुज़रती है।

ग्राफीन

इसका निष्कर्षण ग्रेफाइट से किया जाता है। जहां एक ओर ग्रेफाइट एक त्रिविमीय (3D) क्रिस्टलीकृत पदार्थ है वहीँ ग्राफीन केवल एक परमाणु जितना मोटा द्विविमीय (2D) अभिविन्यास है।

महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- विद्युत् और ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक
- इस्पात की तुलना में 200 गुना अधिक मजबूत
- अत्यधिक हल्का
- पूर्णतः पारदर्शी
- गैसों के लिए अप्रवेश्य (Impermeable)

6.15.आँख के लेंस के सदृश स्मार्ट ग्लासेज

(Smart Glasses that Mimic Eye Lens)

- यूनिवर्सिटी ऑफ़ उटाह (Utah) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किए गए ग्लासेज आँख के प्राकृतिक लेंस के समान ही कार्य करते है - यह निकट,दूर या मध्यम दूरी तक देखने के लिए व्यक्ति की दृष्टि के अनुसार स्वयं को समायोजित करने की क्षमता से युक्त होगा।
- ये ग्लासेज ग्लिसरीन से निर्मित लेंस हैं। इस लेंस में ग्लिसरीन (एक पारदर्शी एवं गाढ़ा लिक्विड) को लचीली झिल्ली के बीच रखा जाएगा।
- लेंसों को इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से युक्त एक फ्रेम में लगाया जायेगा। यह सिस्टम मेम्ब्रेन को उसकी फोकस को समायोजित करने हेतु मुड़ने (बेंड) में सहायता करता है।
- यह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने के दौरान आंखों के प्राकृतिक लेंस द्वारा किये गए समायोजन के समान होगा।
- लेंस का लचीलापन और उसके मुड़ने की क्षमता सिंगल लेंस को मल्टीपल लेंस की तरह कार्य करने योग्य बनाती है।

6.16. IDEAS - समस्या के निदान हेतु 1 करोड़ रु का पुरस्कार

(IDEAS - Solve a Problem, win Rs 1 crore)

- केंद्र द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए देश की समस्याओं के अभिनव, मौलिक तथा व्यवहार्य समाधान प्रस्तुत करने के लिए 1 करोड़ रुपये के पुरस्कार प्रदान करने की योजना आरंभ करने का विचार है।
- इस स्कीम को **IDEAS** अर्थात इनोवेशन्स फ़ॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एफ़ीशिएँट एंड अफोर्डेबल सिस्टम्स (Innovations for Development of Efficient and Affordable Systems) के नाम से जाना जायेगा I
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ समस्या को सुलझाने के छात्रों का कौशल परीक्षण किया जाएगा।
- ये क्षेत्र हैं- वहनीय स्वास्थ्य सुविधाएं ,कंप्यूटर साइंस एंड ICT, ऊर्जा क्षेत्र (सौर/नवीकरणीय), वहनीय आवास, हेल्थकेयर, कृषि, शिक्षा, जल संसाधन, रक्षा, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण इत्यादि।

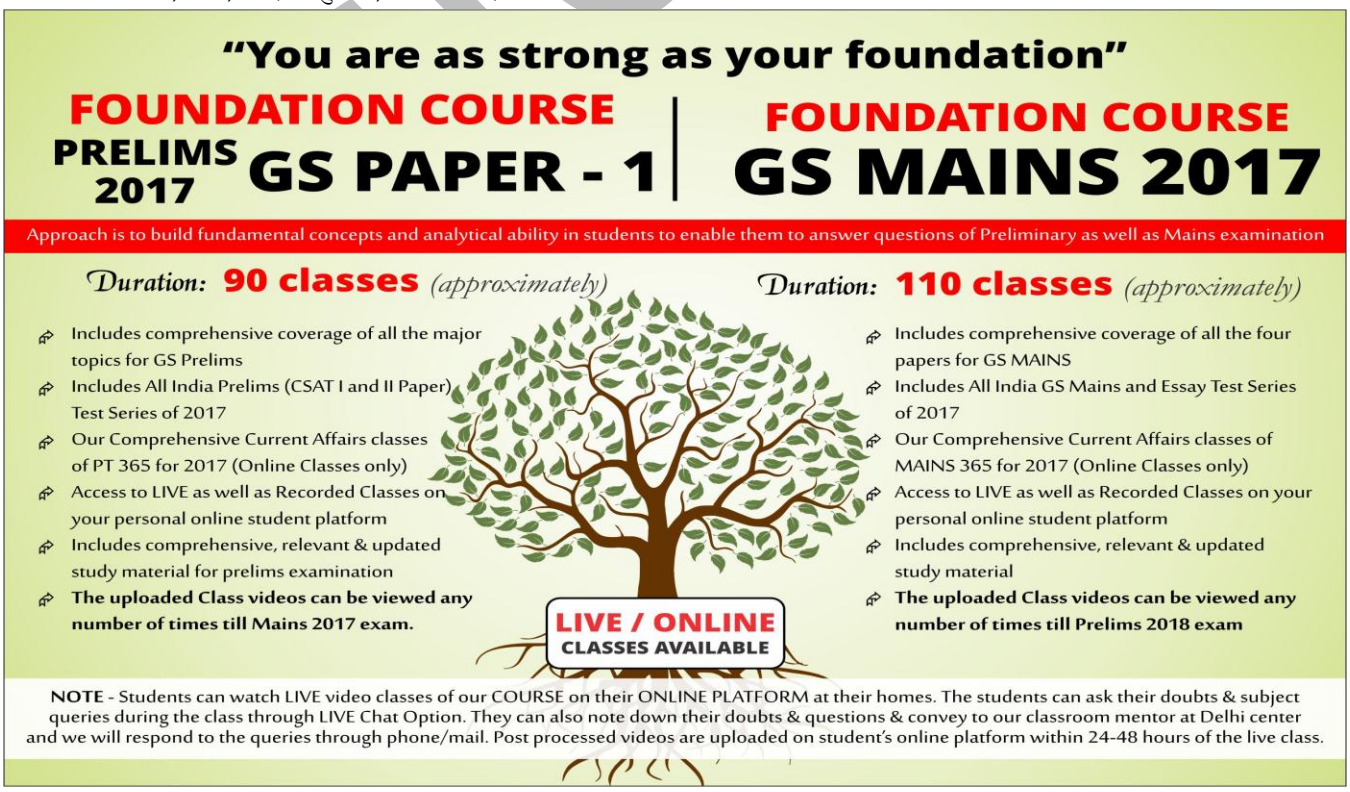

7. सामाजिक

(SOCIAL)

7.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017

(National Health Policy 2017)

2002 की पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) के बाद के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और महामारी के मामले में वर्तमान और उभरती हुयी चुनौतियों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 को अनुमोदित किया है।

नई नीति में देखा गया बदलाव

- **संचारी से गैर-संचारी रोगों की ओर:** NHP ने गैर-संचारी रोगों (NCDs), जो कि भारत में 60 प्रतिशत मौतों का कारण है, को नियंत्रित करने में राज्य द्वारा कदम उठाए जाने की आवश्यकता की बात कही है। इस प्रकार यह नीति प्री-स्क्रीनिंग की सलाह देती है और **वर्ष 2025 तक** NCDs के कारण होने वाली समयपूर्व मृत्यु को **25 प्रतिशत तक कम** करने का लक्ष्य निर्धारित करती है।
- **निजी क्षेत्र के साथ सहयोग और उसका विनियमन:** 2002 के बाद से निजी क्षेत्र का व्यापक विकास हुआ है, वर्तमान में दो तिहाई से भी अधिक सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जा रही हैं। हालांकि यह नीति **रोगी-केंद्रित** प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें निम्न के संबंध में प्रावधान किया गया है:

✓ **नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाईजेशन (NHCSO)** - मानक और प्रोटोकॉल निर्धारित करने के लिए।

✓ शिकायतों के निवारण के लिए **ट्रिब्यूनल**।

- **बीमार की देखभाल से अच्छे स्वास्थ्य की ओर:** NHP निवारक स्वास्थ्य देखभाल (प्रिवेन्टिव हेल्थकेयर) में निवेश करना चाहती है। इसके लिए,
- प्री-स्क्रीनिंग और निदान को एक सार्वजनिक जिम्मेदारी बना दी गई है।
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य व स्वच्छता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर शिशु और किशोर स्वास्थ्य का सर्वोत्कृष्ट स्तर प्राप्त करने के लिए प्राथमिक देखभाल (pre-emptive care) के प्रति प्रतिबद्धता।
- यह नीति स्वास्थ बजट के दो तिहाई भाग या इससे अधिक को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करने का समर्थन करती है।
- **हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर** के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आश्वासन।
- MoEf, MoHWS, MoA, MoUD, MoHRD, MoWCD आदि विभिन्न मंत्रालयों को सम्मिलित करते हुए **अन्तर्क्षेत्रक दृष्टिकोण**।
- **शहरी स्वास्थ मामले:** गरीब आबादी पर विशेष ध्यान देते हुए और वायु प्रदूषण, वेक्टर कंट्रोल, हिंसा व शहरी तनाव में कमी समेत स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों के बीच अभिसरण कर शहरी आबादी की प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित किए जाने को प्राथमिकता।

स्वास्थ्य नीति के प्रावधान, इसके सकारात्मक प्रभाव और संबंधित मुद्दे:

प्रावधान	सकारात्मक प्रभाव	संबंधित मुद्दे
• वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को वर्तमान में GDP के 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सुदृढ़ बनाना। • राज्यों को वर्ष 2020 तक अपने बजट का 8 प्रतिशत या और अधिक स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए।	• खर्च में वृद्धि होगी जो हाल के वर्षों में लगभग स्थिर है।	• उच्चतर स्तर के फंड का उपयोग करने की क्षमता का अभाव। • स्वास्थ्य पर खर्च अभी भी अन्य विकासशील देशों की तुलना में भी बहुत कम है। • केन्द्रीय बजट को भी वार्षिक रूप से स्थिर वृद्धि प्रतिबिंबित करनी चाहिए।
निम्नलिखित के माध्यम से सभी के लिए वहनीय और गुणवत्तपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल: • दवाओं और निदान, आपातकालीन और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। • PHC सेवाओं के लिए हर परिवार को स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना। • सार्वजनिक अस्पतालों के संयोजन के माध्यम से द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल सेवाएं तथा स्वास्थ्य देखभाल	• भारत में बीमारी का बोझ कम करना (वर्तमान में विश्व के कुल बोझ का 1/5वां भाग) • ये प्रावधान बहु-विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भिन्न-भिन्न पेशेवर पृष्ठभूमि के लोगों को साथ लाएंगे। • राज्य के विशिष्ट स्वास्थ्य खतरों का पता लगाने और उनके फैलने से पहले उन्हें रोकने में मदद मिलेगी।	• अधिक मानव संसाधन और धन की आवश्यकता होगी। • अधिक प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की आवश्यकता है। ये प्रावधान उपलब्ध डॉक्टरों में से आधे फर्जी डॉक्टरों (WHO रिपोर्ट) की समस्या का समाधान नहीं करते। • जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और उप-जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

की कमी वाले क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त गैरसरकारी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं से रणनीतिक खरीद। • सभी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर स्थापित करना।		
• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मेडिसिन की प्रणालियों में क्रॉस रेफरल, को-लोकेशन और इन्टीग्रेटिव प्रैक्टिसेज को शामिल करके त्रि-आयामी एकीकरण द्वारा आयुष प्रणालियों को मुख्यधारा में लाना।	• बहुलवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारंपरिक चिकित्सा के दावों को समर्थन देने और मेडिसिन की विविध प्रणालियों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।	• फिर भी एलोपैथिक प्रोफेशनल्स से कम महत्व दिया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 से जुड़े अन्य मुद्दे:

- इसके अंतर्गत मानकों को बनाए रखने का कार्य बहुत हद तक राज्यों पर छोड़ दिया गया है। वर्तमान परिस्थिति राज्यों को बहुत अधिक छूट प्रदान करती है, यहाँ तक कि वे आवश्यक अधिनियम जैसे क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 2010 तक को अस्वीकार कर सकते हैं। क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 2010 को नैदानिक मानकों को विनियमित करने एवं नीमहकीमी (quackery) को समाप्त करने के उद्देश्य से संसद द्वारा पारित किया गया था।
- यह स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के बारे में चर्चा नहीं करती है।
- यह सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा (जो MCI के मैंडेट से बाहर है) की चर्चा नहीं करती है। यह सिर्फ चिकित्सा शिक्षा और पैरामेडिकल शिक्षा आदि की चर्चा करती है।
- NHP 2015 के प्रारूप में सम्मिलित विभिन्न प्रगतिशील उपायों, जैसे कि स्वास्थ्य का अधिकार, वर्ष 2020 तक सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना और स्वास्थ्य उपकर लगाने को नजरअंदाज किया गया है।

इस प्रकार, स्वास्थ्य संबंधी SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात् वर्ष 2030 तक सभी के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि हेतु, केंद्र और राज्य के बीच व्यापक एवं सशक्त समन्वय तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

NHP 2017 के अंतर्गत लक्ष्य

- जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना।
- वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना।
- वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना।
- राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटा कर 2.1 करना।
- वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) को वर्तमान स्तर से घटा कर 100 पर लाना।
- वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 और मृत जन्म दर को कम करके "इकाई अंक" में लाना।

7.2. HIV/एड्स विधेयक

(HIV/Aids Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद ने हाल ही में HIV और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक पारित किया है।

तथ्य

- एड्स **प्रजनन के उम्र की महिलाओं, किशोरियों, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर** आदि में मृत्यु का प्रमुख कारण है।
- दंडात्मक कानून, कलंक, मानवाधिकार उल्लंघन, सामाजिक बहिष्कार, लिंग असमानता, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखना उनकी सुभेद्यता को बढ़ाते हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर वयस्कों के बीच HIV प्रसार वर्ष 2007 के 0.34 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2012 में 0.28 प्रतिशत और वर्ष 2015 में 0.26 प्रतिशत रह गया।

विधेयक के प्रावधान

- इसके उद्देश्य हैं:

✓ HIV और एड्स के प्रसार को रोकना और नियंत्रित करना।

✓ HIV और एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव पर रोक लगाना।

✓ चिकित्सा में सूचित सहमति (informed consent) और गोपनीयता प्रदान करना।

- ✓ उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठानों पर दायित्व डालना।
- ✓ उनकी शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र बनाना।
- यह HIV पॉजिटिव लोगों के खिलाफ **भेदभाव के विभिन्न आधारों को सूचीबद्ध** करता है, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, सार्वजनिक कार्यालय के लिए दावेदारी और बीमा आदि के लिए इंकार करने, इनकी समाप्ति या इन मामलों में अनुचित व्यवहार।
- यह व्यक्तियों को **HIV पॉजिटिव लोगों और उनके साथ रहने वाले लोगों के संबंध में सूचना प्रकाशित करने या उनके प्रति नफरत की भावनाओं को प्रसारित करने से रोकता** है।
- बिना सूचित सहमति के HIV परीक्षण, चिकित्सा उपचार, या अनुसंधान आयोजित नहीं किया जाएगा। केवल सूचित सहमति या न्यायालय का आदेश इस जानकारी को प्रकट कर सकता है।
- HIV पॉजिटिव व्यक्तियों की जानकारी रखने वाले प्रतिष्ठानों को **डेटा संरक्षण उपायों को अपनाना** होगा।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों को निम्न के संबंध में उपाय करने होंगे -
- ✓ एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी और संक्रमण प्रबंधन के द्वारा HIV या एड्स के प्रसार को रोकना।
- ✓ विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
- ✓ HIV या एड्स शिक्षा संचार कार्यक्रम तैयार करना।
- ✓ HIV या एड्स से प्रभावित बच्चों की देखभाल और उपचार के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
- अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एक ऑम्बुड्ज़मैन नियुक्त किया जाना चाहिए। यह हर छह महीनों में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राप्त शिकायतों की संख्या, उनकी प्रकृति और उन पर की गई कार्रवाई का वर्णन होगा।
- 12 से 18 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति जो HIV या एड्स प्रभावित अपने परिवार के मामलों के प्रबंधन में परिपक्व है, वह 18 वर्ष के कम आयु के अपने भाई-बहन के लिए अभिभावक के रूप में कार्य कर सकता है।
- HIV या एड्स से संक्रमित या प्रभावित 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को साझे घर में रहने और घर की सुविधाओं का आनंद लेने का अधिकार है।
- HIV पॉजिटिव व्यक्तियों से संबंधित मामलों को अदालत द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। इस संबंध में चलने वाली कार्यवाही में व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा और ऐसी कार्यवाही कैमरे में हो सकती है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- सरकार ने केंद्रीय क्षेत्रक के तहत एक योजना नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम (NACP) आरंभ की है।
- भारत ने HIV महामारी को रोकने और इसे रिवर्स करने संबंधी 6वें मिलेमियम डेलवपमेंट गोल (MDG 6) को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।
- माँ से बच्चे तक HIV/AIDS के प्रसार को रोकने के लिए:
- ✓ प्रिवेंशन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन (PPTCT) कार्यक्रम को RCH कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया गया है।
- ✓ HIV पॉजिटिव गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं एवं उनके नवजात बच्चों के विषय में विवरण रखने हेतु PALS (PPTCT ART Linkages Software) प्रणाली भी लांच की गई है।
- सरकार UNAIDS द्वारा अपनाई गई 90:90:90 रणनीति कार्यान्वित करेगी।
- अधिकारियों और परामर्शदाताओं की सहायता के लिए HIV सेंसिटिव सामाजिक सुरक्षा पोर्टल भी आरंभ किया गया है।
- भारत ने HIV-AIDS के विरुद्ध लड़ाई में अफ्रीकी राष्ट्रों को अपना सहयोग दिया है, जो भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

HIV कार्यक्रम में चुनौतियां

- पूंजीः बहुत से विकसित राष्ट्रों ने विकासशील राष्ट्रों के प्रति अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता घटा दी है। उनका तर्क है कि भारत की तीव्र संवृद्धि को देखते हुए उसे स्वयं दाता बनना चाहिए।
- कलंक हटानाः सामुदायिक जागरुकता के माध्यम से इस सामाजिक कलंक को हटाया जाना चाहिए।
- औषधि भंडारः कई मौकों पर HIV या एड्स से जुड़ी दवाओं की कमी देखने को मिली है। उदाहरणस्वरुप सरकार द्वारा बकाया राशि न चुकाने के कारण CIPLA ने बच्चों की सीरप Lopinavir का उत्पादन रोक दिया था।

आगे की राह

- वित्तपोषण की कमी के कारण भारत ने HIV या एड्स कार्यक्रमों को प्राथमिक स्वास्थ्य मिशन के साथ समेकित करना आरंभ कर दिया है।
- ✓ उदाहरण के लिए, वर्ष 2010 में NACP III के 6 घटक NRHM के साथ मिला दिए गए थे। इन घटकों में समेकित परामर्श और जांच केन्द्र, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट-टू-चाइल्ड ट्रांसमिशन और एंटी-रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट आदि सम्मिलित हैं।
- भारत ने HIV या एड्स से लड़ने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना आरंभ कर दिया है।

- केंद्र और राज्यों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लक्ष्य निर्धारित करना होगा और एक-दूसरे का सहयोग करना होगा।
- HIV या एड्स के प्रसार को रोकने हेतु इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वालों पर भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- HIV या एड्स से संबधित दवाओं की खरीद एवं भंडारण हेतु सुव्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए। इस संबंध में तमिलनाडु मॉडल एक अच्छा उदाहरण है, इसके अंतर्गत सीधे निर्माताओं से दवा खरीदने से लीकेज में कमी आती है और इससे दवा के दाम भी कम रहते हैं।

90:90:90 रणनीति

- यह HIV का एक नया उपचार है। यह एड्स जैसी महामारी को समाप्त करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करता है।
- ✓ एड्स के प्रभावित कुल लोगों में से 90 प्रतिशत लोग अपने HIV स्टेट्स को जान सकेंगे (90 प्रतिशत लोगों में बीमारी की पहचान)
- ✓ HIV संक्रमण की पहचान वाले सभी लोगों में से 90 प्रतिशत लोगों को निरंतर एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी मिल सकेगी। (90 प्रतिशत का HIV उपचार)
- ✓ एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी प्राप्त कर रहे लोगों में से 90 प्रतिशत में वायरल सप्रेशन (विषाणु शमन)। (90 प्रतिशत शमित)

7.3. पर्टिक्युलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स

(Particularly Vulnerable Tribal Groups-(PVTGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही के भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (Anthropological Survey of India: AnSI) अध्ययन 'PVTGs - प्रिविलिजेज एंड प्रीडिकमेंट्स (PVTGs - Privileges and Predicaments)' से पता चला है कि भारत में आधे से अधिक PVTGs के लिए किसी भी प्रकार के बेस लाइन सर्वेक्षण संपन्न नहीं किए गए हैं।
- बेस लाइन सर्वेक्षण निवासस्थल और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की पहचान करने में सहायता करते हैं, ताकि समुदायों के लिए विकास पहलों का कार्यान्वयन किया जा सके।

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (1945)

- यह जनजातियों के अध्ययन, जनजातीय कलाओं के नमूने एकत्रित करने, मानव कंकाल अवशेषों के अध्ययन एवं संरक्षण इत्यादि **मानवविज्ञान अध्ययनों से संबद्ध** है।
- यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।

PVTGs

- 1973 में, **ढेबर आयोग** ने आदिवासी समूहों में से कम विकसित आदिम जनजातीय समूहों (PTG) को एक अलग श्रेणी के रूप में चिन्हित किया। बाद में इसे PVTG नाम दिया गया।
- PVTGs की पहचान के लिए राज्य/UTs केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते हैं।
- **PVTGs की कुछ मूलभूत विशेषताएं:**

✓ अधिकतर समरूपता।
✓ एक छोटी आबादी।
✓ अपेक्षाकृत भौतिक रूप से पृथक।
✓ आदिम सामाजिक संस्थाएं।
✓ लिखित भाषा का अभाव।
✓ अपेक्षाकृत सरल तकनीक और परिवर्तन की धीमी गति।

- उनकी आजीविका भोजन एकत्र करने, गैर टिम्बर वन उत्पाद, शिकार, पशुपालन, झूम खेती और कारीगरी के कामों पर निर्भर करती है।
- **प्रिमिटिव वलनेरेब्ल ट्राइबल ग्रुप के विकास के लिए योजना (2008)**

✓ यह अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर 75 PVTGs की पहचान करती है।
✓ यह नियोजन पहलों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को लचीलापन (flexibility) प्रदान करती है।
✓ इसके तहत शामिल गतिविधियों में आवास, भूमि वितरण और इसका विकास, कृषि, सड़क, ऊर्जा आदि शामिल हैं।
✓ ऐसी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त फंड व्यवस्था जो पहले से ही केंद्र/राज्य की किसी भी अन्य योजना द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं।
✓ प्रत्येक PVTG के लिए पांच वर्षों के लिए एक दीर्घकालिक संरक्षण-सह-विकास योजना को राज्यों द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

VISION IAS

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- राज्य सरकारों को PVTGs के जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति संबंधी आंकड़े प्राप्त करने एवं आंकड़ों में पुनरावृत्ति एवं ओवरलैप समाप्त करने के लिए ऐसे सर्वेक्षण आयोजित करने चाहिए।

✓ उदाहरण के लिए **ओडिशा में मनकिडिया (Mankidia) और बिरहोर (Birhor)** एक ही समूह से संबंधित हैं किन्तु इनका दो बार अलग-अलग उल्लेख किया गया है।

✓ कुछ PVTGs एक से अधिक राज्य में वितरित हैं और उन्हें एक से अधिक बार मान्यता प्रदान की गई है जैसे बिरहोर 4 राज्यों में फैले हुए हैं।

- PVTGs की **सर्वाधिक संख्या** ओडिशा (13) में पाई जाती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (12) का स्थान आता है।
- अंडमान में पाए जाने वाले सभी चार जनजातीय समूह एवं निकोबार द्वीप समूह का एक जनजातीय समूह PVTGs हैं।
- PVTGs हेतु **कल्याण योजनाओं में, क्षेत्रीय एवं राज्य-विशिष्ट भिन्नताएं** हैं-

✓ जबकि ओड़िशा में PVTGs हेतु विशिष्ट माइक्रो-परियोजनाएं संचालित हैं, गुजरात में PVTGs हेतु ऐसी कोई भी परियोजना नहीं संचालित है।

✓ कभी-कभी माइक्रो-परियोजनाएं केवल जिलों के कुछ प्रखण्डों तक ही विस्तारित होती हैं और अन्य प्रखण्डों में नहीं होती।

- **PVTGs की जनसंख्या में भारी भिन्नता** देखी जाती है-

✓ **सेन्टेनली** जनजाति (अंडमान) के सदस्यों की जनसंख्या सबसे कम है।

✓ मुख्य भूमि में, **पश्चिम बंगाल की टोटो एवं तमिलनाडु की टोडा जनजाति** की जनसंख्या 2000 व्यक्तियों से कम है।

✓ **मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहरिया जनजाति** की जनसंख्या सर्वाधिक है, इनकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक है।

- कुछ PVTGs में साक्षरता दर एक अंकीय से बढ़कर **30** से **40%** हो गई है। महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर की तुलना में अभी भी काफी कम है।
- PVTGs में बालिका बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी के साथ **विवाह की आयु में उल्लेखनीय वृद्धि** हुई है।

7.4. प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना

(National Action Plan On Antimicrobial Resistance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने हाल ही में **प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस) पर राष्ट्रीय कार्य योजना** कि शुरुआत की।
- सरकार ने प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय एवं राज्य कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) एवं अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सामूहिक रूप से रणनीति बनाने के लिए **"दिल्ली घोषणा"("Delhi Declaration")** पर भी हस्ताक्षर किए।

आवश्यकता

- मानव स्वास्थ्य, पशु खाद्य, चिकित्सा अपशिष्ट आदि में **एंटीबायोटिक दवाओं के अप्रभावी प्रबंधन** के कारण रोगों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं अप्रभावी होती जा रही हैं।
- इस बढ़ती समस्या का सामना करने के लिए सरकार के पास अभी भी **कोई सुनियोजित रणनीति** नहीं है।

पृष्ठभूमि

- 2015 में, **WHO ने** सदस्य देशों को मई 2017 तक राष्ट्रीय कार्य योजना को विकसित का आग्रह करते हुए **प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्ययोजना** जारी की थी।
- मार्च 2017 में, मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण में एंटीबायोटिक के उपयोग की निगरानी हेतु आह्वान करते हुए **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा तैयार किया गया था।**

विशेषताएं

भारत की कार्य योजना के उद्देश्य हैं –

- **लोगों के बीच जागरूकता** बढ़ाना एवं और **सख्त अपमिश्रण (adulteration) कानून**।
- **निगरानी** को मजबूत बनाना

✓ मनुष्यों , पशुओं और पर्यावरण में **एंटीबायोटिक प्रतिरोध की राष्ट्रीय-स्तर पर निगरानी** करना।

✓ मनुष्यों और पशुओं में **एंटीबायोटिक उपयोग की निगरानी।**

✓ खाद्य पशुओं और पर्यावरण में **एंटीबायोटिक अवशेषों की निगरानी**।

- **एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग** में सुधार करना–

✓ खाद्य पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के गैर-चिकित्सीय उपयोग को सीमित करना एवं चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, उदाहरण के लिए पशु खाद्य पदार्थों में वृद्धि कारकों के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।

- ✓ एंटीबायोटिक दवाओं से युक्त फ़ीड और फ़ीड प्रिमिक्स का उपयोग प्रतिबंधित एवं विनियमित करना। .
- ✓ खाद्य पशुओं में मनुष्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिसूक्ष्मजीवीय दवाओं के उपयोग को समाप्त करना।
- ✓ ऑनलाइन बिक्री का विनियमन करना एवं प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर बिक्री एवं उपयुक्त लेबलिंग सुनिश्चित करना।
- संक्रमणों को कम करना
- ✓ आवश्यक कानून तथा पशु फार्मों, खाद्य प्रसंस्करण, दवा क्षेत्रक और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की निगरानी के माध्यम से प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध के पर्यावरणीय प्रसार को कम करना।
- प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध संबंधी नीतियों और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- ✓ छोटे और मध्यम पशुपालक किसानों को एंटीबायोटिक के उपयोग को कम करने में सहायता करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत करना।
- ✓ तालाब-स्वास्थ्य कार्ड जारी करना एवं संक्रमण को रोकने, जैवसुरक्षा को समर्थन प्रदान करने और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रणालियाँ स्थापित करना।
- ✓ अलवणजल/अंतर्देशीय मत्स्यपालन के लिए पृथक नीति का विकास करना।
- ✓ दवाओं के लिए स्वतंत्र पशु चिकित्सा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।
- संक्रामक रोगों के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई में पड़ोसी देशों को समर्थन प्रदान करना।

वन हेल्थ (One Health) की अवधारणा इस तथ्य को मान्यता प्रदान करती है कि मनुष्यों, पशुओं और पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्वास्थ्य एक दुसरे से सम्बंधित हैं। इसके तहत पशु-मानव-पारिस्थितिकी तंत्र इंटरफ़ेस पर उत्पन्न होने वाले संभावित या मौजूदा जोखिमों से निपटने के लिए सहयोगपूर्ण, बहुविषयक एवं अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।

प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध पर सरकार के प्रयास

- सरकार ने कार्रवाईयों की एक श्रृंखला आरम्भ की है जिसमें सम्मिलित हैं-
- ✓ **प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध हेतु राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली** की स्थापना।
- ✓ **एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री को विनियमित करने के लिए विनियमनों (Schedule-H-1)** का अधिनियमन।
- ✓ **एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश** जारी किए।
- ✓ प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध को अब **व्यापक रूप से "वन हेल्थ एप्रोच" के अंतर्गत** संबोधित किया जा रहा है।

चुनौती

- विभिन्न मंत्रालयों एवं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय चुनौतीपूर्ण होगा।
- छोटे पैमाने पर संचालित पशु फार्मों को समर्थन प्रदान करने **तथा** पशु फार्मों, पशु खाद्य प्रसंस्करण एवं दवा विनिर्माण क्षेत्रक एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से उत्पन्न अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय-स्तर के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कार्य योजना की सफलता इन राष्ट्रीय-स्तर के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।

7.5. जेनेरिक दवाओं के लिए कानून

(Law For Generic Medicines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने जेनेरिक दवाओं के लिए कानून का प्रस्ताव रखा है । यह कानून चिकित्सकों द्वारा दवा के पर्चे पर दवाओं के लवणों (साल्ट) के नाम लिखे जाने को अनिवार्य बनाएगा।

आवश्यकता

- विश्व स्वास्य संगठन(WHO), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) एवं अन्य विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि **सामान्य जनता द्वारा स्वास्थ्य व्यय का एक बड़ा हिस्सा दवाओं पर खर्च किया जाता है।**
- रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि इसके कारण कई **घर-परिवार पुन: निर्धनता से ग्रसित** होते जा रहे हैं।

जेनेरिक औषधियां:

- यह किसी फार्मूलेशन (formulation) का निम्न लागत संस्करण है जो गुणवत्ता, खुराक, क्षमता, कार्य करने के तरीके और प्रभावकारिता में ब्रांडेड उत्पाद के समान होती है।
- आम तौर पर पेटेंट संरक्षण की समय सीमा समाप्त होने के बाद इन्हें बाजार प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

ब्रांडेड जेनेरिक्स:

- पेटेंट संरक्षण की समाप्ति के बाद भी, जेनेरिक दवाएं ब्रांड के अंतर्गत उपलब्ध होती हैं और इन्हें ब्रांडेड जेनेरिक कहा जाता है।
- चूंकि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का विज्ञापन भारत में प्रतिबंधित है, इसलिए कंपनियां प्रलोभन के माध्यम से अपने उत्पादों को डॉक्टरों, दवा की दुकानों तक पहुंचाते हैं।

पृष्ठभूमि

- अक्टूबर 2016 में, **चिकित्सकों हेतु इंडियन मेडिकल काउंसिल के एथिक्स कोड ने** जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन को अनिवार्य बनाया था, हालांकि इसे लागू नहीं किया गया था।
- **स्वास्थ्य मंत्रालय** ने ब्रांड नामों की तुलना में जेनेरिक नामों का बड़े फ़ॉन्ट में मुद्रण सुनिश्चित करने के लिए **ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में** बदलावों का प्रस्ताव किया है।
- ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने राज्यों को केवल जेनेरिक नामों पर आधारित दवाओं के अनुमोदन सम्बन्धी आदेश प्रदान करने का निर्देश दिया है।
- औषध विभाग ने **दवा विपणन कार्यप्रणाली हेतु एकसमान संहिता** को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो चिकित्सकों, औषध विक्रेता आदि सभी हितधारकों को जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विधिक रूप से बाध्य करती है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान होगा।से भी लागू नहीं किया गया है।

महत्व

- चिकित्सकों द्वारा दवा के पर्चे में दवा के साल्ट का नाम लिखना ब्रांडेड दवाओं के स्थान पर जेनेरिक दवाओं का उपयोग संभव बनाता है, इस प्रकार **दवाइयों पर होने वाले व्यय में कमी करता है।**
- इससे **चिकित्सिक एवं दवा कंपनी के बीच सांठ-गांठ** को रोका जा सकेगा, जो चिकित्सिक के कर्तव्य एवं निहित स्वार्थों के बीच हितों का संघर्ष उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह मेडिकल एथिक्स को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सार्थक कदम होगा।

चुनौती

- भारत के लोग दवाओं के ब्रांड नामों के प्रति अभ्यस्त रहे हैं। अचानक दवाओं को साल्ट नामों में परिवर्तन करना उपचार की गुणवत्ता के प्रति **जनता में भ्रम और आशंकाएं उत्पन्न करेगा**।
- यह भारतीय बाजार में **बड़ी दवा कंपनियों के प्रवेश को भी कम** कर सकता है इस प्रकार भारतीय दवा बाजार में निवेश की कमी उत्पन्न कर सकता है।
- अभी भी **जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति की कमी** है एवं जेनेरिक दवाओं को दवा-पर्चों पर लिखे जाने से पूर्व इस आपूर्ति की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। साथ ही **जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता भी एक समान नहीं है।**
- **स्वास्थ्य राज्य का विषय है** एवं इस समस्या का सामना करने के लिए केन्द्र-राज्य समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- चिकित्सकों को साल्ट का नाम लिखने का आदेश देने सम्बन्धी नियम पहले से विद्यमान हैं। लेकिन जागरूकता की कमी के कारण ब्रांड का नाम लिखने की परंपरा अभी भी जारी है। इसलिए सरकार को मौजूदा नियमों के बेहतर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, कंपनियों, चिकित्सकों, दवा विक्रेंताओं, वितरकों और स्वयं उपभोक्ताओं इत्यादि सभी हितधारकों को नियमों के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।
- दवा निर्माताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप की भाँति दवाओं को व्यापारिक नामों के स्थान पर उनके फार्माकोलॉजिकल नामों से विक्रय करने को वरीयता प्रदान करने हेतु राजी करने की आवश्यकता होगी।

7.6. मानसिक स्वास्थ्य

(Mental Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक नवीन अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 2015 में 4.3% वैश्विक जनसंख्या अवसाद से ग्रसित थी, इस प्रकार इस रिपोर्ट ने पिछले दशक के दौरान अवसाद में 18% वृद्धि दर्शाई है।

पृष्ठभूमि

- विश्व स्वास्थ्य दिवस 2017 की थीम **"डिप्रेशन: लेट्स' टॉक (Depression: Let's Talk)"** है।
- लैंसेट (Lancet) द्वारा किए गए अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि अवसाद और चिंता के उपचार के लिए **147** बिलियन डॉलर के निवेश से श्रम शक्ति की भागीदारी में सुधार होगा एवं उत्पादकता में **399** बिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- **वैश्विक निशक्तता में अवसाद का सबसे बड़ा योगदान है** (2015 में सभी आयु वर्गों के 7.5 प्रतिशत व्यक्ति **निशक्तता** से ग्रसित थे)।
- यह **आत्महत्याओं का प्रमुख कारण** है एवं विश्व भर में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के बीच मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है।
- WHO का कहना है कि उदासी, रुचि समाप्त होने, अपराध बोध एवं हीनता की भावना, नींद या भूख न लगना, थकान और एकाग्रता का अभाव जैसे लक्षणों के साथ **अवसाद दीर्घस्थायी एवं बारम्बार प्रकट होने वाला** हो सकता है।
- **युवा पीढ़ी के बीच अवसाद** शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगिता, कैरियर संभावना, माता-पिता का दबाव, और अंतर्वैयक्तिक संबंधों के कारण होता है।

- विशेष रूप से कम आय वाले देशों में सामान्य मानसिक विकारों में बढ़ोत्तरी हो रही है **जहाँ अवसाद से प्रभावित आधी जनसंख्या दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में निवास करती है।**
- **महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवसाद से ग्रस्त होने के प्रति अधिक प्रवण (prone) होती हैं।** अधिक आयु के वयस्कों के बीच अवसाद की दर उच्च होती है।
- 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों में भी अवसाद उत्पन्न होता है।
- **प्रचलित सामाजिक कलंक (social stigma) के अतिरिक्त संसाधनों की कमी एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के अभाव के कारण**, विश्व में अवसाद से प्रभावित लोगों में से आधे से भी कम लोगों को उपचार प्राप्त हो पाता है।
- अवसाद के संबंध में प्रायः रोगनिदान (diagnosis) के लिए लोगों की उचित जांच-पड़ताल नहीं की जाती है, और अन्य ऐसे व्यक्तियों का प्राय: गलत निदान करके अवसादरोधी दवाएं दे दी जाती हैं जिन्हें वस्तुत: विकार नहीं होता है।

सरकारों द्वारा उठाए गए कदम

- भारत सरकार ने **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014** लांच की है–

✓ मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की सार्वभौमिक उपलब्धता।
✓ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में नेतृत्व को मजबूत करना।
✓ केन्द्र तथा राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं सिविल सोसाइटी को भूमिकाएं प्रदान करना।

- सरकार हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य समस्या-ग्रसित लोगों का भेदभाव से बचाव करने एवं उनके निर्णयों के संबंध में उनकी स्वायत्तता में सुधार करने के लिए **मेंटल हेल्थ केयर** एक्ट **,2017** लकर आई है।
- कर्नाटक सरकार ने **आरोग्यवाणी नामक समर्पित हेल्पलाइन** शुरू की है जो किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु परामर्श एवं समाधान के रूप में कार्य करती है।

भारत में चुनौतियां

- पश्चिमी देशों की तुलना में **भारत में मनोचिकित्सकों की एवं समर्पित मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या बहुत कम है।**
- **बढ़ते शहरीकरण और वैश्वीकरण के साथ**, एकल परिवार (nuclear family) की ओर भी कुछ झुकाव हो रहा है। अपेक्षाकृत छोटे परिवार में **बच्चों पर अधिक दबाव पड़ता है जो उनमें अवसाद की समस्या बढ़ाने में योगदान करता है।**
- कम जागरूकता के कारण **सामाजिक कलंक** (social stigma) भी मानसिक रूप से बीमार रोगियों की सहायता करने में प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है।

आगे की राह

- देश में संस्थागत व्यवस्था विद्यमान है। लेकिन इनके लिए वित्तपोषण एवं पदाधिकारियों की कमी है। इस अंतराल को भरने के लिए **बजट आवंटन एवं निजी वित्तपोषण** की आवश्यकता है।
- साथ ही नीतियाँ लक्ष्य और समय आधारित होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में मिशन मोड के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है।
- साथ ही, निम्नलिखित के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता में सुधार करके सामाजिक **कलंक** की भावना समाप्त किए जाने की आवश्यकता है:
- विद्यालय पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ संपर्क।
- माता-पिता के बीच जागरूकता में सुधार करना एवं उन्हें भी अवसाद के विषय में परामर्श प्रदान करना।

7.7. शोधगंगा

(Sodhganga)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 10 मार्च, 2017 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने यह **अनिवार्य** कर दिया कि सम्बन्धित संस्थान एम.फिल **डिसर्टेशन** (शोध-निबन्ध)/पीएच.डी. थीसिस की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि **इनफार्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET)** को प्रस्तुत करेंगे।

शोधगंगा क्या है?

- यह भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के थीसिस और डिसर्टेशन की नेशनल रिपॉजिटरी विकसित करने की योजना है।
- इसमें उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री की परिकल्पना की गयी है।

इनफार्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET)

- INFLIBNET सेंटर, गांधीनगर (गुजरात) स्थित UGC का स्वायत्त इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर है।
- INFLIBNET भारत में विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के कार्य और साथ ही यह पुस्तकालयों एवं देश में स्थित सूचना केन्द्रों को देशव्यापी उच्च गति डाटा नेटवर्क से जोड़ने के कार्य में भी संलग्न है।

शिक्षा के लिए कुछ अन्य डिजिटल मंच:

- **SWAYAM (स्वयं)**

✓ एक वेब पोर्टल है जहाँ सभी प्रकार के विषयों पर मैसिव ओपेन ऑन-लाइन कोर्सेस (MOOCs) उपलब्ध होंगे।

- **ई-पाठशाला:**

✓ यह NCERT द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है।

- **SARANSH (सारांश)**

✓ विद्यालयों और माता-पिता को विभिन्न विषयों में छात्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए बनाया गया है।

- **ShaGun (शगुन)**

✓ इस समर्पित वेब पोर्टल का उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में प्रगति और नवोन्मेष को शामिल और प्रदर्शित करना तथा फ्लैगशिप योजना- सर्वशिक्षा अभियान (SSA) की निगरानी करना है।

7.8. भारत ने दृष्टिहीनता की परिभाषा में परिवर्तन किया

(India Changes The Definition Of Blindness)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अप्रैल 2017 में, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 'दृष्टिहीनता' की परिभाषा बदल दी है । अब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित और विश्वस्तर पर स्वीकृत 'दृष्टिहीनता' की परिभाषा स्वीकार की गई है।

विषय संबंधित अतिरिक्त जानकारी:

- **दृष्टिहीनता की पूर्व परिभाषा:**

✓ **राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम (NPCB) 1976** के अनुसार, एक व्यक्ति जो **छह मीटर** की दूरी से उँगलियाँ गिनने में असमर्थ हो, उसे दृष्टिहीन की श्रेणी में रखा जायेगा।

- **दृष्टिहीनता की नयी परिभाषा:**

✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एक व्यक्ति जो **तीन मीटर** की दूरी से उँगलियाँ गिनने में असमर्थ हो उसे दृष्टिहीन माना जायेगा।

- इसके अतिरिक्त, इस योजना का नाम राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम (National Programme for Control of Blindness) से बदल कर 'राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधिता नियन्त्रण कार्यक्रम' (The National Programme for Control of Blindness and Visual Impairment) कर दिया गया है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधिता नियन्त्रण कार्यक्रम 1976:

- यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य वर्ष 2020 तक कुल जनसंख्या में प्रचलित दृष्टिहीनता को 1.4% से घटा कर 0.3% करना है।
- यह व्यापक नेत्र-देखभाल सेवा और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण के माध्यम से "नेत्र स्वास्थ्य" और दृष्टिबाधिता की रोकथाम के कार्यक्रम को विकसित और सशक्त बनाने की परिकल्पना करता है।
- नेत्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ और उन्नत बनाना I
- नेत्र देखभाल के संबंध में समुदाय में जागरूकता बढ़ाना और निवारक उपायों पर बल देना।

नयी परिभाषा का महत्त्व:

- राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम (NPCB) 1976 **आर्थिक दृष्टिहीनता** (economic blindness) पर आधारित था, अर्थात व्यक्ति की ऐसी बाध्यता जो व्यक्ति को मजदूरी कमाने में बाधा उत्पन्न करे । वहीं WHO की परिभाषा अधिक व्यापक है और **सामाजिक दृष्टिहीनता** (social blindness) पर भी आधारित है, अर्थात ऐसी दृष्टिहीनता जो एक व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों में बाधक है।
- इस पहल से दृष्टिहीन लोगों की संख्या 1.20 करोड़ (राष्ट्रीय दृष्टिहीनता सर्वेक्षण 2007 के अनुसार) से घट कर 80 लाख रह जाएगी।
- इस पहल से दृष्टिहीनता के मानदंडों के एकरूपता आएगी और चिकित्सा शोधकर्ताओं को अन्य देशों की तुलना में दृष्टिहीनता के कारण देश पर पड़ने वाले बोझ की गणना करने में सहायता प्राप्त होगी।
- इन मानदंडों में परिवर्तन भारत के उस लक्ष्य से भी प्रेरित है, जिसके अनुसार वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता को घटा कर देश की कुल जनसंख्या का 0.3% करना है। भारत द्वारा निर्धारित यह लक्ष्य WHO के विजन-2020 लक्ष्य के अनुरूप है।

VISION IAS

7.9. बेघर परिवारों की संख्या में वृद्धि: जनगणना 2011

(Houseless Household Increased: Census 2011)

बेघर परिवार कौन हैं?

- 2011 की जनगणना की परिभाषा के अनुसार ऐसे परिवार जो भवनों में नहीं रहते, सड़क के किनारे पर, फुटपाथ पर, ह्यूम पाईपों, फ्लाईओवर और उसकी सीढ़ियों के नीचे, रेलवे प्लेटफार्म, और पूजास्थलों के निकट या उनके आस-पास खुले में रहते हैं।

2022 तक सब के लिए आवास : शहरी आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन

- **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय** (Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation)द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- वहनीय आवास के लिए इस मिशन में SC/ST, महिलाओं , आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्ष्य बनाया गया है ।
- भूमि को एक संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए, सार्वजनिक और निजी सहभागिता से स्लम में रहने वाले लोगों का पुनर्वास।
- **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी** के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए वहनीय आवास को प्रोत्साहन।
- आधुनिक, अभिनव और हरित प्रौद्योगिकी अपनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन।
- सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रोत्साहित करना उदाहरण के लिए निःशक्त और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पर्सन इन डेस्टट्यूशन (प्रोटेक्शन केयर एंड रिहैबिलिटेशन)मॉडल बिल ऑफ़ 2016

- इस विधेयक को बनाने और लागू करने की नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है।
- इसमें निराश्रयता को निर्धनता या परित्याग की ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आयु और दुर्बलता, बेघर, विकलांगता और निरतंर बेरोजगारी सहित आर्थिक या सामाजिक वंचन के कारण उत्पन्न होती है।
- इसका उद्देश्य बेघर, भिखारियों और विकलांग निराश्रित लोगों के लिए भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और पुर्नवास फ्रेमवर्क जैसी सभी प्रकार की मूलभूत सेवाएँ प्रदान है।
- इसमें भीख मांगने को **(पुनरावृत्ति के अतिरिक्त)** अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।

सम्मिलित मुद्दे

- 2001 से 2011 में बेघर परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई थी, वहीं बेघर जनसंख्या में कमी आई थी।
- ग्रामीण निराश्रिता 30% तक घट कर 8.3 लाख रह गयी, शहरी निराश्रिता 21% बढ़ कर 9.4 लाख हो गयी।
- अधिकांश बेघर लोग या तो प्रवासी श्रमिक हैं या घुमन्तु जनजातीय लोग हैं जो गलियों में अपना व्यवसाय करते हैं।
- प्रचलित सरकारी कार्यवाही पुर्नवास के स्थान पर दंडात्मक है, उदाहरण के लिए बेघर व्यक्ति को एक भिखारी या आवारा के रूप में देखा जाता है और कई राज्यों में यह आपराधिक गतिविधि है।

शहरों में बेघर परिवारों की वृद्धि के कारण:

- सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में ग्रामीण-शहरी असमानता।
- सामान्य रूप से कम होती हुई कृषि भूमि और विशेष रूप से आय में कमी।
- अन्य ग्रामीण व्यवसायों जैसे घरेलू और कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन का अभाव।
- प्रवास से निपटने के लिए आवश्यक अवसंरचना का शहरों में अभाव।
- पर्याप्त आय अर्जित करने के लिए बढ़ती हुई आकांक्षा और बाद में शहरी जीवन की तेजी बढ़ती हुई आर्थिक गति के साथ चल पाने में असफलता।
- सामाजिक और कष्टदायक कारण (traumatic reason) उदाहरण के लिए आपदा, परिवार का विघटन या घरेलू हिंसा (अधिकांश पीड़ित महिलाएं हैं)।

7.10. ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज

(Neglected Tropical Diseases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अप्रैल 2017 में, WHO ने **नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज** और 2020 के लिए अपने रोडमैप लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति पर अपनी चौथी रिपोर्ट प्रकाशित की है।

नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज (NEGLECTED TROPICAL DISEASES) क्या हैं?

- उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय स्थितियों में पाये जाने वाले संक्रामक रोगों के विभिन्न समूह ;जैसे मलेरिया, तपेदिक, HIV, हेपेटाइटिस, लिम्फेटिक फायलेरियासिस आदि।
- ये रोग अधिकांशतः निर्धनता में एवं पर्याप्त स्वच्छता के बिना रह रही तथा संक्रमित वेक्टर और पशुधन के सम्पर्क में रहने वाली जनसंख्या को प्रभावित करते हैं।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- NTD उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में 1000 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं, इस कारण विकासशील अर्थव्यस्थाओं को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर खर्च करना पड़ता है।
- सर्वाधिक बोझ अफ्रीका और एशिया के उन 1 अरब पशुपालकों पर पड़ता है, जो अपने मवेशियों के निकट सम्पर्क में रहते हैं और अपनी आजीविका और पोषण के लिए उन पर निर्भर हैं।
- सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और हाइजीन (जिसे WASH के रूप में जाना जाता है) प्रदान करना NTD रणनीति का महत्त्वपूर्ण घटक है। यह NTD रणनीति हाइजीन सम्बन्धित मृत्यु दर की कमी का कारण सिद्ध हुई है।

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1 चंपारण सत्याग्रह

(Champaran Satyagraha)

सुर्खियों में क्यों?

बिहार सरकार ने महात्मा गांधी द्वारा किए गए चंपारण सत्याग्रह के एक शताब्दी पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया।

पृष्ठभूमि

- 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का **प्रथम सत्याग्रह** था।
- 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस की प्रथम बैठक के दौरान विभिन्न नेताओं ने गांधी जी से चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया।
- गांधी जी के चंपारण आगमन के बाद उन्हें जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू बी हेकॉक (**W B Heycock**) द्वारा चले जाने का आदेश दिया गया।
- गांधी जी ने आदेश का पालन करने से मना कर दिया और अपने रुख पर अड़े रहे। साथ ही उन्होंने सत्याग्रह करने का फैसला किया।

सत्याग्रह का कारण

चंपारण और उत्तरी बिहार तथा अन्य क्षेत्रों में किसान तिनकठिया पद्धति के अन्तर्गत नील की खेती करते थे। इस पद्धति के तहत किसान अपनी कृषि भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे।

किसानों का **खुर्की व्यवस्था** द्वारा भी दमन किया गया। खुर्की व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों (रैयत) को कुछ धन देकर उनकी जमीन और मकान को गिरवी रख लिया जाता था और इनके द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था।

शताब्दी वर्ष समारोह

- गांधी जी के चम्पारण में प्रथम आगमन को चिन्हित करने के लिए **गाँधी स्मृति यात्रा** का आरंभ मोतिहारी से किया जाएगा।
- राज्य का दौरा करने वाले पर्यटकों के लिए गांधी सर्किट (**Gandhian circuit**) का विकास किया जाएगा। विकसित होने वाले प्रमुख स्थानों में भीतीहरवा आश्रम, ब्रिंदाबा, श्री रामपुर, कोइल्डीह, अमोलवा, मुरली भाइवा, सरिसवा और हार्डिया कोठी, जो ब्रिटिश बागान मालिक G. P. एडवर्ड का घर हुआ करता था, भी सम्मिलित है।
- **गांधी पीस फाउंडेशन** इस वार्षिक समारोह में भागीदारी करेगा।

8.2 पाषाण कला

(Rock Art)

सुर्खियों में क्यों?

मध्य भारत की पाषाण कला, अनुसंधान और उत्खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर रही है।

पाषाण कला क्या है?

- यह पत्थरों पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित प्रतीकों को दर्शाता है।
- इस प्रकार की **पाषाण युगीन कला** परंपरागत रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित है:

✓ **पेट्रोग्लिफ** (Petroglyphs): यह पत्थर पर की गई नक्काशी या अंकन है; इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक मूर्तिकला संबंधी कार्य भी शामिल हैं। इस प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण चट्टानों को ही तराश कर किया जाता है {जिसे पार्श्विक (parietal) कला कहा जाता है}, जैसे कि रिलीफ मूर्तिकला।

✓ **पिक्टोग्राफ** (**Pictographs**): इसका अर्थ है पेंटिंग या चित्र।

प्रस्तर कला की तीसरी और सबसे छोटी श्रेणी का संबंध मेगलिथ या पेट्रोफॉर्म (**Petroforms**) है, जिसमें पत्थरों के विशेष संयोजन के माध्यम से कोई स्मारक (monument) निर्मित किया जाता है।

पाषाण कला के संरक्षण के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- राजकीय संरक्षण का अभाव
- तोड़फोड़ जैसी गतिविधियाँ ,दीवारों को गन्दा करना, उन पर भित्ति चित्र (ग्रफीटी) बनाना
- संरक्षण हेतु धन का अभाव
- सूक्ष्म जीवों के द्वारा इन स्थलों का जैविक अपक्षय
- संरक्षण के लिए स्टेट ऑफ़ आर्ट तकनीक का अभाव

VISION IAS

भारत में पाषाण कला

- सम्पूर्ण भारत में लगभग 150 से अधिक पाषाण कला स्थलों (sites) की खोज की गई है जिनमें से लगभग दो-तिहाई मध्य भारत में अवस्थित हैं।
- सर्वाधिक स्थल सतपुड़ा, विंध्य और कैमूर पर्वतमालाओं में अवस्थित हैं।
- भीमबेटका में ही लगभग 750 शैल कलाश्रय (rock art shelters) हैं, जिन्हें भारतीय प्रस्तर कला के जनक माने जाने वाले वी.एस. वाकणकर के द्वारा खोजा गया था।

धराकी चट्टान हाल ही में भारत में खोजे गए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। यह मंदसौर जिले की एक पहाड़ी में स्थित एक संकीर्ण गुफा है। यहाँ 530 कप-मार्क या क्युपिल (चट्टान की दीवार में वृत्ताकार खुदी हुई आकृतियाँ) के आकारों को समायोजित करने वाली पेट्रोग्लिफ (चट्टानी नक्काशी) कला के उदाहरण मिलते हैं। इनका अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का दावा है कि यह **विश्व की प्राचीनतम प्रस्तर कला** है जिसे लगभग 2 से 5 लाख वर्ष पुराना माना गया है।

8.3 दक्कन की प्राचीन धरोहरों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण

(Restoring the Jewels of Deccan)

सुर्खियों में क्यों?

आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा हैदराबाद में कुतुब शाही मकबरे के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है।

आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर (AKTC)

- यह एक परोपकरी संस्था है
- 1997 में दिल्ली के हुमायूँ के मकबरे के समीप के बाग़-बगीचों के जीर्णोद्धार का कार्य इसके द्वारा संपन्न कराया गया था।

कुतुबशाही कौन थे?

- मुगलों के समकालीन, कुतुब शाही सल्तनत की स्थापना 1512 में सुल्तान कुली कुतुब-उल-मुल्क ने की थी। अपने साम्राज्य को स्थापित करने से पहले, उन्होंने बहमनी सल्तनत को अपनी सेवाएँ प्रदान की।
- इस सल्तनत के पांचवे शासक कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के तट पर 1591 में हैदराबाद की स्थापना की। यह स्थान परिवर्तन, पुराने मुख्यालय गोलकुण्डा में राजवंश को हो रही पानी की कमी के कारण करना पड़ा। उन्होंने चारमीनार का निर्माण भी करवाया।
- औरंगजेब के गोलकुंडा पर कब्जा करने तक उन्होंने 1686-87 ईस्वी तक शासन किया।

हैदराबाद के कुतुब शाही मकबरे के बारे में

- यह 106 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 75 स्मारक हैं; जिनमें 40 मकबरे, 23 मस्जिद, छह बावली (सीढ़ीदार-कुएं), एक हमाम (फारसी स्नानागार), मंडप और उद्यान सम्मिलित हैं।
- इस समूचे कलात्मक कार्य में ईरानी प्रभावों के साथ ही विजयनगर वास्तुकला के तत्व भी विद्यमान हैं।
- इस स्थल को UNESCO के विश्व विरासत स्थल के दर्जे हेतु पहले ही नामांकित किया जा चुका है।
- मुगल वास्तुकला में मुख्यतया बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था, वहीं कुतुबशाही वास्तुशिल्प में अधिकांशतः स्थानीय रूप से उपलब्ध ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है।

8.4 सिंधी भाषा

(Sindhi Language)

- **सिंधी भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद** (National Council for Promotion of Sindhi) ने सिंधी भाषा को डिजिटल रूप में रूपांतरित करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर टूल्स और ई बुक्स जारी की हैं।

आठवीं अनुसूची

- संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं।
- भाषाओं को इस अनुसूची में सम्मिलित करने के संबंध में कोई स्थापित मानदंड नहीं है।
- प्रारंभ में इसमें 14 भाषाओँ को सम्मिलित किया गया था, किन्तु वर्तमान में इनकी कुल संख्या 22 है।

- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इसे यादगार बनाने के क्रम में यह जारी किए गए। दृष्टव्य है कि सिन्धी भाषा को आठवीं अनुसूची में 1966 में किए गए 21 वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था।
- सिंधी भाषा के संरक्षण और प्रचार के सम्बन्ध में यह प्रयास देवनागरी और अरबी दोनों ही लिपियों में किए गए हैं।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (National Council for Promotion of Sindhi Language)

- राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना 26 मई, 1994 को सोसाइटीज अधिनियम, 1860 (धारा 21) के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी। इस समय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

परिषद के उद्देश्य

- सिंधी भाषा को बढ़ावा देना, विकास करना तथा इसका प्रचार-प्रसार करना।
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक विकास के ज्ञान तथा इसके साथ-साथ आधुनिक संदर्भ में विकसित विचारों को सिंधी भाषा में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करना।
- भारत सरकार को सिंधी भाषा से संबंधित मुद्दों तथा उसे निर्देशित किए गए शिक्षा संबंधी मुद्दों पर सलाह देना।
- सिंधी भाषा के संवर्धन हेतु परिषद द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य कार्यकलाप को करना।

8.5 साहित्य अकादमी पुरस्कार

(Sahitya Akademi Award)

- हाल ही में, लेखक पेरुमल मुरुगन के उपन्यास "**मातोरुभागन**" (Mathorubhagan) के अंग्रेजी अनुवाद **"वन पार्ट वुमन"** को अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- इसके अलावा, भाई वीर सिंह द्वारा रचित "मेरे सैयां जियो" के राजस्थानी अनुवाद **"जीवो म्हारा सांवरा"** के लिए **रवि पुरोहित** को अनुवाद की श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।

साहित्य अकादमी के बारे में

- भारत सरकार द्वारा साहित्य के प्रोत्साहन के लिए 1954 में इसकी स्थापना की गई। यह एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी को ऐसे भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें इसके द्वारा संचालित कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं।
- अकादमी ने इसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई 24 भाषाओं में साहित्यिक अनुवाद के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है।

8.6 चेन्नाकेशव मंदिर

(Channakeshava Temple)

सुर्खियों में क्यों?

- कर्नाटक के हासन जिले के बेल्लूर में स्थित चेन्नाकेशव मंदिर ने अपनी स्थापना के 900 वर्ष पूर्ण किए। इस मन्दिर को विजयनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
- इस मंदिर का निर्माण 1106-1117 AD के मध्य **होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन** द्वारा किया गया था।

होयसल वास्तुकला शैली

- होयसल वास्तुशिल्प शैली को इंडो-आर्यन और द्रविड़ियन वास्तुशिल्प शैली के मध्य की योजक कड़ी माना जाता है।
- यह शैली पश्चिमी चालुक्यों की वास्तुकला से प्रभावित थी।

कुछ विशिष्टताएँ निम्न हैं:

- मंदिर का मुख्य भाग ऊँचे प्लेटफोर्म पर स्थापित है तथा इसका आधार तारानुमा आकृति का है।
- गर्भ गृह (sanctum sanctorum) के केन्द्रीय भाग में एक पीठ (pedestal) पर मूर्ति की स्थापना की गई है।
- एक केंद्रीय स्तम्भ युक्त हॉल के आसपास संरचित तीन पूजास्थलों (देवालयों) की स्थापना की गई है जिनमे से प्रत्येक में एक स्तंभ स्थापित है।
- मंदिर के स्तम्भ में एक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा क्षैतिज ढलाई का कार्य संपन्न किया गया है।
- जटिल जालीदार खिड़कियां हैं जिन पर अनेक प्रतिमाओं को उभारा गया है।
- उत्तर भारतीय शैली (परवलयिक) के विपरीत शिखरों का निर्माण परिपक्व क्षैतिज स्तरों (कई परतों में) द्वारा निर्मित है। शिखर तथा गर्भगृह संयुक्त रूप से मंदिर के विमान का निर्माण करते हैं।
- मंदिर के आंगन (प्रकारम) में कई छोटे मंदिर और भवन निर्मित हैं।
- विशाल **गोपुरम** (विशाल प्रवेश द्वार) के माध्यम से मन्दिर में प्रवेश किया जा सकता है, जिन्हें प्रत्येक द्वार पर निर्मित किया गया है।

मंदिरों को लगभग पूरी तरह से जटिल प्रतिमा अंकन के द्वारा अलंकृत किया गया है। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म दानेदार नर्म संरचना वाले **सोप स्टोन (क्लोराइटिक शिस्ट)** की उपलब्धता के कारण संभव हो पाया।

इन शैलियों के अन्य प्रमुख मंदिरों में: **कर्नाटक के हलेबिड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर और मैसूर के सोमनाथपुरा में स्थित केशव मंदिर** सम्मिलित हैं।

8.7 BORI द्वारा दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण

(BORI Digitising Rare Manuscripts)

सुर्खियों में क्यों?

- **भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट** (BORI) द्वारा संस्कृत भाषा तथा इसकी अन्य संबंधी भाषाओँ जैसे पाली और प्राकृत भाषाओं में उपलब्ध दुर्लभ पांडुलिपियों के संग्रहों के संरक्षण हेतु ई-लाइब्रेरी पहल प्रारंभ की गई है।
- यह पहल नेशनल मिशन फॉर मैन्यस्क्रिप्ट के अंतर्गत प्रारंभ की गई है।

पांडुलिपि क्या है?

- पांडुलिपि से तात्पर्य उस प्राचीन दस्तावेज़ से है, जो यंत्रीकृत रूप में पुन: प्रस्तुत किए जाने से पहले, हस्तलिखित या टंकलेखित हो।
- ये ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज हैं तथा किसी भी ऐतिहासिक घटना के लिए हस्तलिखित प्रमाणिक साक्ष्य के प्राथमिक स्रोत हैं।

नेशनल मिशन फॉर मैन्यस्क्रिप्ट क्या है ?

- पांडुलिपियां हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके संरक्षण के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (नेशनल मिशन फॉर मैन्यस्क्रिप्ट; NMM) का शुभारंभ किया।
- मिशन के अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट (IGNCA) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- इसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं डिजिटलीकरण के कार्य को संपन्न करना है।
- इसके अंतर्गत पुस्तक सूचियों को खोजकर भारत की पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाता है तथा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जनमानस तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराने, जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है।

8.8 पाइक विद्रोह

(Paika Rebellion)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार द्वारा 1817 में हुए पाइक विद्रोह से जुड़े ओड़िशा के 16 परिवारों के वंशजों को सम्मानित किया गया।
- 2 अप्रैल, 1817 को हुए इस विद्रोह के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह सम्मान प्रदान किया गया।

पाइक विद्रोह के बारे में

- पाइक लोगों का संदर्भ ओड़िशा के जमींदारों की नागरिक सेना (landed militia) से है। यह पुलिस की भूमिका का भी निर्वहन करते थे।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खुर्दा राज्य को दी गई अपनी सैन्य सेवा के लिए पाइकों को **लगान मुक्त भूमि** प्रदान की गई थी।
- समस्या तब प्रारंभ हुई, जब ब्रिटिश शासन ने जबरदस्ती उनसे उनकी भूमि छीन कर उन्हें भूमिहीन बना दिया।
- ब्रिटिश शासन के द्वारा दमनकारी भू-राजस्व नीति अपनाने के साथ ही उन्हें अपमानित भी किया गया।
- खुर्दा के राजा के सेना प्रमुख **बख्शी जगबंधु विद्याधर** ने पाइकों की अपनी सेना की अगुआई की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। इस विद्रोह को पाइक विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा।
- यद्यपि यह विद्रोह **1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व का महत्वपूर्ण विद्रोह** था, लेकिन इस विद्रोह को अधिक ख्याति और महत्व नहीं मिल पाया।

9. एथिक्स

(ETHICS)

9.1. मेडिकल एथिक्स- डॉक्टरों पर आक्रमण

(Medical Ethics-Attacks on Doctors)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, महाराष्ट्र में पांच डॉक्टरों पर हमले की घटनाएं घटित हुई हैं। इन घटनाओं ने आरोप प्रत्यारोप का सामना कर रही हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के विषय में कई नैतिक चिंताओं को उत्पन्न किया है। मरीजों ने डॉक्टरों को दोषी ठहराया और डॉक्टरों ने भ्रष्ट हो चुके स्वास्थ्य तंत्र को दोषी ठहराया। यह लेख दोनों दृष्टिकोणों से मुद्दों का विश्लेषण करता है।

डॉक्टरों के दृष्टिकोण से

- **काम करने के अधिक घंटे:** डॉक्टर एक बार में 36 घंटों तक कार्य कर रहे हैं जिससे उनके द्वारा मरीजों के चिंतित रिश्तेदारों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना मुश्किल हो जाता है।
- **अस्पतालों में संसाधनों का अभाव**: संसाधनों के अभाव का दोष डॉक्टरों को दिया जाता है जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
- **अवास्तविक उम्मीद**: मरीज की गंभीर बीमारी के बावजूद त्वरित और पूर्ण सुधार की उम्मीद रखना समस्या का एक प्रमुख कारण है।

रोगियों के दृष्टिकोण से

- **सहानुभूति का अभाव**: डॉक्टरों को चिकित्सक-मरीज संबंधों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। मरीज की मृत्यु या गंभीर स्थिति के बारे में संवाद करते हुए सहानुभूति दिखाने की जरूरत होती है।
- **शिकायत निवारण प्रणाली की अनुपलब्धता**: शिकायत निवारण हेतु एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जहां मरीज अपने विरोध का पंजीकरण करवा सके। यह प्रणाली डॉक्टरों को आक्रोश का शिकार बनने से भी बचाएगी।
- **सेवाओं की कमी**: सार्वजनिक अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज निर्धन और असहाय होते हैं। प्रायः ये मरीज लम्बी दूरी तय करके अस्पतालों तक पहुंचते हैं, इन परिस्थितियों में जब उन्हें दवा ना होने या सुविधाएं उपलब्ध ना होने के बारे में बताया जाता है तब वे आक्रोशित हो जाते हैं।
- **जनता के मन में डॉक्टरों की छवि**: जीवन दाता के रूप में डॉक्टरों की जो छवि पूर्व में विद्यमान थी उसमें निजीकरण और व्यावसायीकरण बढ़ने के साथ-साथ काफी बदलाव आया है।

मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टरों पर किए गए हमले निम्नलिखित नैतिक मुद्दों को जन्म देते हैं:

- **डॉक्टर की प्रतिष्ठा** : जब किसी डॉक्टर पर हमला किया जाता है तो अन्य मरीजों के समक्ष उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है।
- **डॉक्टरों के साथ अमानवीय व्यवहार**: सुविधाओं की कमी के कारण एक मरीज को किसी दूसरे अस्पताल के लिए रेफर करने के कारण एक डॉक्टर को इस हद तक पीटा गया की वह अपनी देखने की शक्ति खोने की कगार पर पहुँच गया।
- सार्वजनिक अस्पतालों में अस्पताल प्रशासन के द्वारा **सुरक्षा संबंधी लापरवाही**।
- **डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित कानूनों का खराब कार्यान्वयन**: इसके चलते, मरीजों के रिश्तेदारों के मन में किसी भी कानूनी कार्यवाही का भय नहीं रहता।

आगे की राह

- उपचार के समय, केवल कुछ रिश्तेदारों को मरीज के साथ आने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए अस्पताल में अधिक सहायक स्टाफ की भर्ती की आवश्यकता होगी क्योंकि कई बार मरीजों के रिश्तेदार व्हीलचेयर चलाने, दवाइयां लाने, संबंधित व्यक्तियों को बुलाने के लिए दौड़-भाग करने में सहायता करते हैं।
- सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि बैकअप कर्मचारी समय पर अस्पताल तक पहुंच सकें।
- शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।
- जांच-पड़ताल की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए ताकि दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जा सके।
- अस्पताल और मरीज के रिश्तेदारों के बीच बेहतर ताल-मेल व संबंधों को बनाए रखने के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।
- डॉक्टर-मरीज अनुपात में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि ऐसी घटनाएं प्रायः उन राज्यों में अधिक घटित होती हैं जिन राज्यों में डॉक्टर-मरीज अनुपात कम है।

9.2. सेलिब्रिटी विज्ञापनकर्ताओं की जिम्मेदारी

(Responsibility of Celebrity Endorsers)

सुर्खियों में क्यों?

- ऐड्वर्टाइज़िंग स्टैंडर्डस काउंसिल ऑफ इंडिया (**Advertising Standards Council of India: ASCI**) ने सेलिब्रिटीज़ को उनके द्वारा किए गए विज्ञापनों में किये गए दावों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

पृष्ठभूमि

- हाल के दिनों में उत्पाद बेचने के लिए सेलिब्रिटीज के द्वारा उत्पादों का प्रचार कम समय में उत्पादों को बेचने का आसान तरीका मान लिया गया है।
- भारत में सेलिब्रिटी का भगवान के समान दर्जा है, लोग किसी वस्तु की गुणवत्ता पर विचार किये बिना सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका प्रचार सेलिब्रिटी के द्वारा किया गया है।

नैतिक मुद्दे / चुनौतियां

- क्या सेलिब्रिटी अपने द्वारा प्रचार किये जा रहे उत्पादों का स्वयं उपयोग करते हैं? यदि नहीं करते तो उनके द्वारा किसी निश्चित ब्रांड की विशेषताओं का प्रचार करना क्या नैतिक रूप से उचित है?
- क्या किसी उत्पाद के निर्माता के लिए यह न्यायपूर्ण होगा कि उसके उत्पादों का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए विवादों के कारण उसके उत्पादों की छवि धूमिल हो जाये ?
- क्या यह नैतिक रूप से उचित है कि निर्माता उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार के साथ खिलवाड़ करते हुए अनावश्यक/हानिकारक उत्पादों को बेचने के लिए मोहरे के रूप में किसी सेलिब्रिटी का उपयोग करे?
- क्या किसी सेलिब्रिटी के लिए लैंगिक भेदभाव आदि जैसी सामाजिक तानेबाने को क्षति पहुँचाने वाली प्रवृत्तियों का प्रचार या समर्थन करना उचित है?

क्या किए जाने की आवश्यकता है?

- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुरूप सेलिब्रिटी को उनके द्वारा प्रचार किये गए उत्पादों के प्रभावों हेतु जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी ना हो तथा हानिकारक और भेदभावपूर्ण विचारों को बढ़ावा देने से बचने के लिए निर्माताओं हेतु विज्ञापन के बारे में दिशा निर्देशों को जारी किया जाना चाहिए।
- जहां आवश्यक हो विज्ञापनों में वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, गारंटी दिए गए परिणामों से संबंधित चेतावनी अवश्य शामिल की जानी चाहिए।
- झूठे दावे किये जाने के लिए निर्माता को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- निर्माता को अपने उत्पाद को बेचने के लिए ब्रांड बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए और सेलिब्रिटी के द्वारा किये जाने वाले विज्ञापन पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

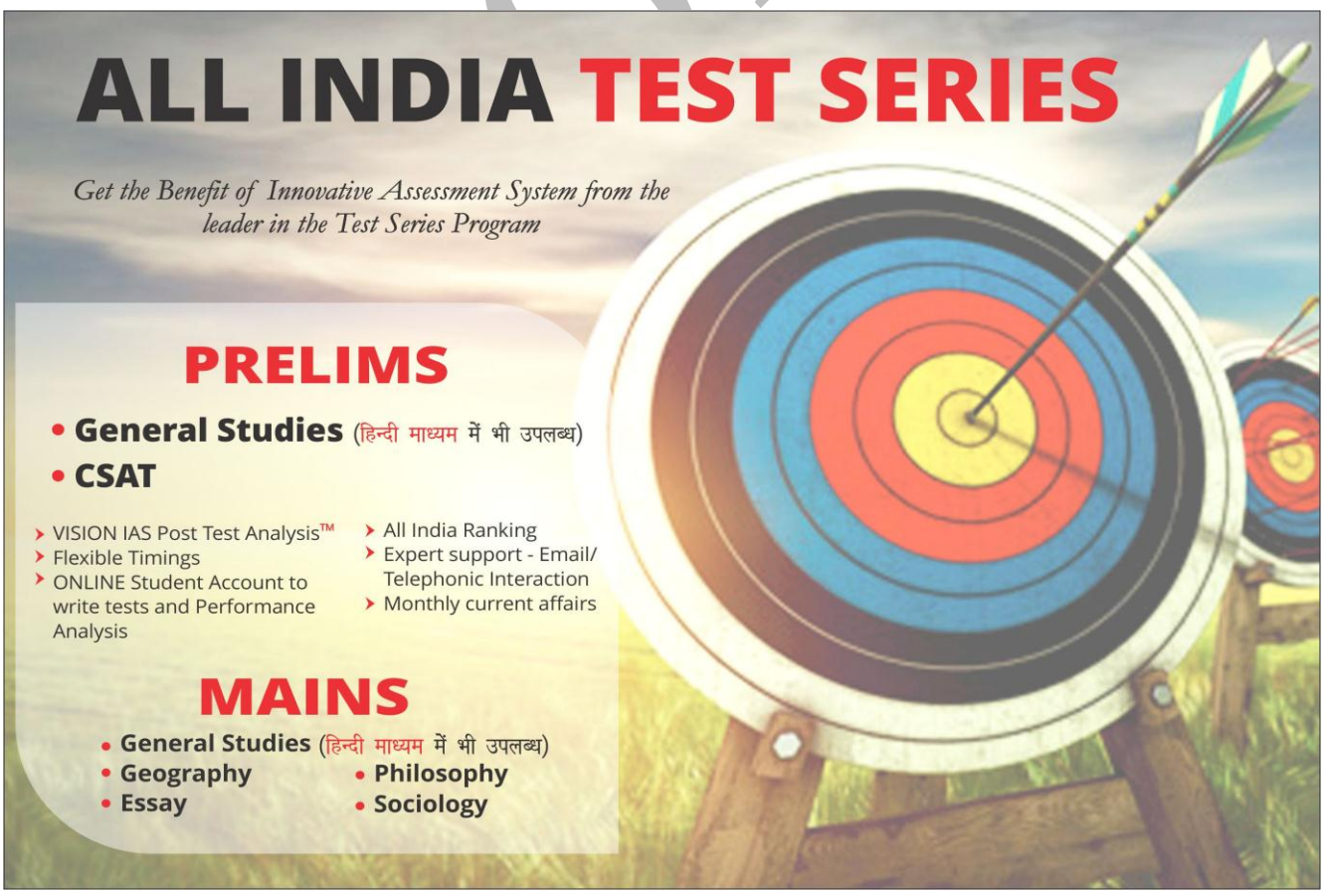

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. VIP बीकन लाइट

(VIP Beacon Lights)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सरकार ने 1 मई 2017 से VIP लोगों द्वारा किए जा रहे बीकन लाइट के प्रयोग को समाप्त कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 (Central Motor Vehicles Rules of 1989) में संशोधन किया गया।
- वर्ष 1989 की नियमावली के **उपनियम 108** के अनुसार केंद्र और राज्यों के कुछ नामित गणमान्य व्यक्तियों को उनके वाहनों के शीर्ष पर लाल बत्ती के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई थी। इसको अब समाप्त किया जा रहा है।
- यह नियम 1 मई से प्रभावी होगा। केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, दमकल वाहन ट्रक और पुलिस के वाहनों में नीली बत्ती के प्रयोग की अनुमति दी जाएगी।
- किसी भी वाहन पर लाल बत्ती के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.2. 'भारत के वीर' वेब पोर्टल

(Bharat Ke Veer Web Portal)

- यह पोर्टल एक IT आधारित प्लेटफार्म है। इसका उद्देश्य शहीद सैनिकों के परिवारों को योगदान करने के इच्छुक लोगों को सक्षम बनाना है।
- 'भारत के वीर" वेबसाइट वेब पोर्टल के साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध होगा।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **प्रत्येक परिवार के लिए 15 लाख रुपए की सीमा रखी गई है**।
- **'भारत के वीर" कोष** का प्रबन्धन प्रख्यात व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा।
- यह वेबसाइट तकनीकी रूप से नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त पोषित है।

10.3. असम सरकार ने दो बच्चों (टू-चाइल्ड) के नियम का प्रस्ताव रखा

(Assam Govt Proposes Two-Child Norm)

सुर्ख़ियों में क्यों?

असम सरकार ने राज्य के समक्ष उत्पन्न हो रही जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निपटने के लिए एक सख्त टू-चाइल्ड पालिसी के मसौदे का प्रस्ताव रखा है।

इस नीति की आवश्यकता

असम खतरनाक जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा है। अवैध प्रवास के अतिरिक्त चाय बागानों और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में कम आयु में विवाह भी इस समस्या का एक अन्य कारण है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

- यह नागरिकों को स्वैच्छिक और सूचित विकल्प चुनने कीअनुमति देती है।
- यह उच्च शिशु मृत्यु दर को जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण मानती है।
- इसके अतिरिक्त सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, संस्थागत प्रसवो, और संक्रामक रोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करती है।

नीति के बारे में

- दो से अधिक बच्चों वाले लोग किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरियों, रोजगार सृजन योजनाओं जैसे ट्रैक्टर पाने, घर और दूसरे सरकारी लाभों के पात्र नहीं होंगे।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले पंचायतों, नगर निगम निकायों और स्वायत्त परिषदों के सभी चुनावो में भी उम्मीदवारों के लिए यह नियम लागू होगा।
- इस नीति का लक्ष्य सभी लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना भी है।
- बाल विवाह करने वाले लोग भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

VISION IAS

10.4. TRAI के परामर्श पत्र पर टेलिकॉम का जवाब

(Telecoms Respond To Trai's Consultation Paper)

सुर्ख़ियों में क्यों?

TRAI ने, दूरसंचार नेटवर्क में कार्बन उत्सर्जन कम करने के तरीकों (जैसे-अक्षय ऊर्जा विकल्पों का उपयोग करना) पर उद्योगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कार्बन फूटप्रिंट (footprint) को कम करने (सतत दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण) पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

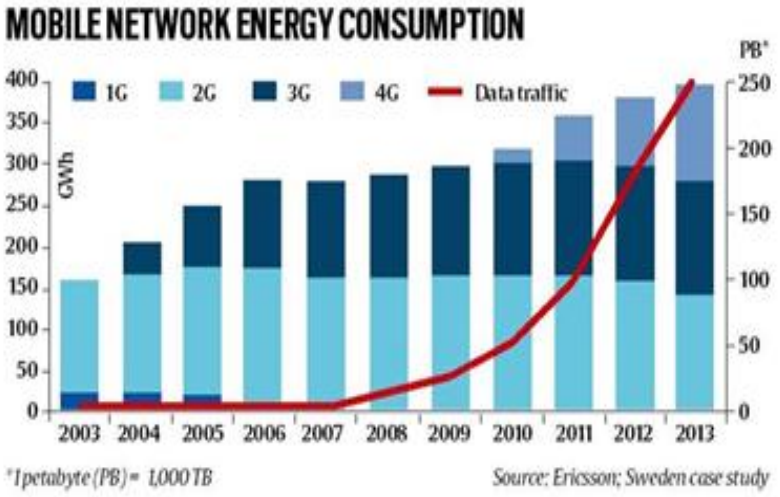

पृष्ठभूमि

- 3G और 4G सेवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग ने बिजली की जरूरतों में काफी वृद्धि की है तथा इसमें अभी और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि डेटा ट्रान्सफर से अधिक ऊर्जा की खपत होगी।
- वर्तमान में, दूरसंचार क्षेत्र की 60 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति डीजल शक्ति द्वारा की जाती है, जो कि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन का कारण है।
- ऐसा अनिश्चित ग्रिड बिजली प्रणाली तथा बिजली की सीमित उपलब्धता के कारण है।

टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा उठाए गए मुद्दे

- **नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की स्थापना के परिचालन में चुनौतियाँ:** इनमें से कुछ बाधाएं जैसे- नवीकरणीय ऊर्जा की आधारभूत संरचना की स्थापना में उच्च लागत, छतों के ऊपर लगाये गए टावर, संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे, गैर-मानक टावरों जैसे खम्भे आदि पर स्थापित टावर और अन्य परिचालन सम्बन्धी मुद्दे प्रमुख हैं।
- **अनियमित और अपर्याप्त बिजली आपूर्ति** एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता की कमी, डीजल शक्ति पर इनकी निर्भरता का मुख्य कारण हैं।
- **लाइसेंस की शर्तों** के अनुसार, एक टेलिकॉम ऑपरेटर को नेटवर्क उपलब्धता 99.5 प्रतिशत से अधिक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस बेंचमार्क को बनाए रखने के लिए सभी क्षेत्रों में संचालन के लिए 24×7 बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता की जरूरत है; हालांकि, यह उपलब्ध ही नहीं है। यह उन्हें आगे डीजल के उपयोग के लिए मजबूर करता है।
- कुछ अंशधारकों (stakeholders) ने TRAI को दूरसंचार क्षेत्र में डीजल से होने वाले उत्सर्जन को ग्राहकों या साइटों के आधार पर न देखकर इन ऑपरेटरों के नेटवर्क पर डेटा ट्रैफिक के अनुपात के सन्दर्भ में देखे जाने का सुझाव दिया है।
- RET परियोजना का वित्त पोषण तथा रखरखाव एक दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। इसका समुदाय के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। हालाँकि, कुछ बड़े दूरसंचार प्रदाताओं ने इस प्रकार के विकल्प की संभावना से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि दूरसंचार कम्पनियाँ, बिजली उत्पादन के कारोबार में नहीं थी और उन्हें इसमें नहीं घसीटा/ शामिल किया जाना चाहिए।

10.5. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए डाक टिकट

(Stamps For International Yoga Day)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी (UN postal agency) तथा संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन (UNPA) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष 21 जून को विशेष डाक टिकट जारी करेंगे।

टिकट के बारे में

- विशेष शीट के बने टिकटों पर पवित्र भारतीय ध्वनि "ओम" और विभिन्न योग आसनों की छवियाँ अंकित होंगी।
- टिकट न्यूयॉर्क, जेनेवा और वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ जारी किया जाएगा ।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में

- दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 सह-प्रायोजित (co-sponsoring) सदस्य देशों के समर्थन के साथ प्रति वर्ष **21 जून** को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया ।

VISION IAS

10.6. नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम

(National Oral Health Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 20 मार्च 2017 को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया।

नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम

- यह एक व्यापक ओरल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत आता है।
- यह वर्ष 2020 तक सस्ते, सुलभ और न्यायसंगत ओरल हेल्थ केयर वितरण का प्रावधान करता है।

ओरल हेल्थ क्या है?

विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2005 में ओरल हेल्थ के साथ अन्य गैर संचारी रोगों (एनसीडी) को भी शामिल किया।

यह मुंह और चेहरे के पुराने दर्द, मुंह और गले के कैंसर, मुंह के घावों, जन्म दोषों जैसे कटे-फटे होंठ और तालु, पेरियोडोंटल (गम) रोग, दंत क्षय, आदि से मुक्त होने की एक अवस्था है।

10.7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan: RUSA)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

मानव संसाधन विकास मंत्री ने अप्रैल 2017 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अनूठे पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत की है।

RUSA डिजिटल प्लेटफार्म

- डिजिटल लांच में निहित हैं:
  - ✓ वेब पोर्टल पर विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के लिए इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये गए संसाधनों के सभी विवरण।
  - ✓ यह कोष तथा सुधार ट्रैकर के लिए मोबाइल एप्लिकेशन सुनिश्चित करेगा जिससे RUSA के अंतर्गत सभी परियोजनाओं पर 24x7 निगरानी रखी जा सके।
- विभिन्न प्रकाशनों के उपयोग के लिए **झारखंड** विश्वविद्यालय में डिजिटल भाषा प्रयोगशाला (Digital Language Laboratory) स्थापित की गई है।
- डिजिटल मंच राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा नीतियों, योजनाओं और अनुसंधान तथा शिक्षा की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के विवरण का एक रिपोर्ट कार्ड प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) क्या है?

- यह वर्ष 2013 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसका उद्देश्य योग्य राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रणनीतिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

RUSA के उद्देश्य

- उच्च शिक्षा तक पहुँच, इक्विटी, और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना।
- राज्य संस्थानों की मानकीकरण संस्थान के बराबर के समग्र गुणवत्ता में सुधार।
- राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देना और संस्थानों में शासन में सुधार करना।
- संबद्धता, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना।
- असेवित और कम सेवित क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना करके उच्च शिक्षा तक पहुँच बनाने में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या में सुधार करना।

10.8. महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाने के लिए IIT सीटों में 20% की वृद्धि करेगा

(IITs To Add 20% Seats To Get In More Women)

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने अपनी कक्षाओं की लिंग संरचना (gender composition) में सुधार करने के लिए वर्ष 2018 से महिलाओं के लिए एक **अधिसंख्य (Supernumerary) कोटा** लागू करने का फैसला किया है।
- यह निर्णय विशेष रूप से महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों को बढ़ाने के लिए लिया गया है।
- यह शर्त-आधारित कोटा है। जैसे- यदि 100 सीटें हैं और केवल 10 सीटें महिलाओं द्वारा भरी जाती हैं तो संस्थान केवल महिलाओं के लिए मौजूदा क्षमता से ऊपर 20 प्रतिशत सीटें जोड़ देगा।

- इस कदम का उद्देश्य IITs में महिलाओं के अपर्याप्त नामांकन में सुधार लाना है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 में केवल 8.8 प्रतिशत छात्राएं थीं जबकि वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 9 प्रतिशत हो गया था और वर्ष 2016 में यह कम हो कर 8 प्रतिशत हो गया।

अधिसंख्य कोटा क्या है?

- अधिसंख्य कोटा AICTE द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को कम ट्यूशन फीस में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश हासिल करने की अनुमति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया।
- यह कोटा सरकार द्वारा जारी किये गए सीटों के मैट्रिक्स से ऊपर है।

10.9. उन्नत खेती-समृद्ध किसान योजना

(Advanced Farming-Enriched Farmers Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महाराष्ट्र सरकार ने उत्पादन लागत में कटौती तथा उत्पादन में वृद्धि द्वारा किसानों की आय में बढोत्तरी करने के लिए **उन्नत खेती-समृद्ध किसान योजना** की घोषणा की है।
- वर्ष 2017-18 के राज्य वित्तीय बजट में इस योजना का का उल्लेख किया गया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- प्रत्येक ऐसी इकाई के अंतर्गत, फसल विकास के लिए क्षेत्रवार योजनायें बनाई जाएँगी। इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्य किये जाएंगे-
  - ✓ राज्य में प्रमुख फसलों के उत्पादन को बढ़ाना - इसका अर्थ उन फसलों पर लक्ष्य केन्द्रित करने से है जो अधिकतम मूल्य प्रदान करती हैं।
  - ✓ फसलों का विविधीकरण (Diversification)।
  - ✓ किसान को विपणन तकनीकों के बारे में जागरूक करना।
  - ✓ फार्म प्रोड्यूसर कंपनियों के माध्यम से किसानों के बीच एक इकाई का निर्माण करना - इससे किसानों को उनकी उपज के लिए सही मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **किसान को वित्तीय रूप से स्थिर बनाना -** प्रत्येक तहसील को एक उत्पादन लक्ष्य दिया जाएगा। लक्ष्य की योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि जब किसान अपनी उपज बेंचे, वे आसानी से अपने ऋण चुका सकें।

10.10. वर्चुअल करेंसी रेग्युलेशन के लिए समिति

(Committee For Virtual Currency Regulation)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक एक्शन प्लान की सिफारिश करने के लिए एक **इंटर-डिसप्लिनरी कमिटी (inter-disciplinary committee)** गठित की है। इस कमिटी की अध्यक्षता **दिनेश शर्मा** द्वारा की जाएगी, जो आर्थिक मामलों के विभाग के विशेष सचिव हैं।

समिति के बारे में

- यह समिति भारत और विदेशों में वर्चुअल करेंसी के भण्डार (stock) की वर्तमान स्थिति का पता लगाएगी।
- यह वर्चुअल करेंसी को विनियमित करने वाले विद्यमान वर्तमान वैश्विक नियामक और कानूनी संरचनाओं की जांच करेगी साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों से निपटने के लिए उपाय भी सुझाएगी।

10.11. IndAS में ट्रांजीशन

(Transition To Indas: Indian Accounting Standards)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इंडियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (IndAS) के अंतर्गत रिपोर्टिंग का पहला पूर्ण वित्तीय वर्ष पूरा हो चुका है।

IndAS क्या है ?

- IndAS या इंडियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वित्तीय लेनदेन के एकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग को नियंत्रित करता है। इसके साथ-साथ लाभ और

Financial year	Mandatorily applicable to
2016-17	Companies (listed and unlisted) whose net worth is equal to or greater than 500 crore INR
2017-18	Unlisted companies whose net worth is equal to or greater than 250 crore INR and all listed companies
2018-19 onwards	When a company's net worth becomes greater than 250 crore INR
2015-16 or later	Entities, not under the mandatory road-map, may later voluntarily adopt Ind AS

हानि खाता और किसी कंपनी के बैलेंस शीट जैसे स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन का विनियमन करता है।

- लंबे समय से भारतीय कंपनियों द्वारा अपने खातों के लिए विश्व स्तरीय मान्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (IFRS) पर निर्भर होने के कारण इस मुद्दे पर बहस होती रही है।
- IndAS को एक समझौता फॉर्मूला (compromise formula) के रूप में विकसित किया गया है जो भारतीय लेखा को IFRS के नियमों के अनुरूप बनाता है।

10.12. सागरमाथा फ्रेंडशिप - 2017

(Sagarmatha Friendship-2017)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- चीन-नेपाल अभ्यास **"सागरमाथा फ्रेंडशिप-2017"** की शुरुआत महाराजगंज में नेपाल सेना के पैरामिलिटरी स्कूल में हुई ।

सागरमाथा के बारे में

- नेपाल और चीन के मध्य यह पहला सैन्य अभ्यास है।
- इस सैन्य अभ्यास का केंद्र बिंदु आतंकवाद से निपटना और आपदा के प्रति अनुक्रिया (response) करना होगा।
- यह चीन के साथ नेपाली सेना की सैन्य कूटनीति का विस्तार (Extension) है।

10.13. मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट बम

(Moab:The Massive Ordnance Air Blast Bomb)

- अफगानिस्तान के नंगेरहार प्रांत के आचिन जिले में ISIS- खुरासान (आतंकवादी संगठन के एक क्षेत्रीय सहयोगी) के सुरंग परिसर में एक GBU-43/B मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट (MOAB) बम गिराया गया, जिसे **"मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स"** भी कहा जाता है।
- मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट बम (MOAB) को 'मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स' के रूप में भी जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लड़ाई में इस्तेमाल किया गया अब तक का सबसे बड़ा गैर-परमाणु बम है। GBU-43 एक 21,600 पाउंड (9,797 किलो) का GPS-निर्देशित शस्त्र है।
- यह एक थर्मोबारिक हथियार है, जो तीव्र तथा उच्च तापमान विस्फोटक लहर उत्पन्न करने के लिए आस-पास की वायु से ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जो एक छोटे से स्थानीय क्षेत्र में भी ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा को संकेंद्रित (pack) करता है। इसकी तुलना में अन्य अधिकांश पारंपरिक बमों में ईंधन और ऑक्सीजन पैदा करने वाले पदार्थों का मिश्रण होता है। थर्मोबारिक हथियार लगभग 100% ईंधन से बने होते हैं और वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं।

10.14. फायर सेफ्टी बिल का मसौदा

(Draft Fire Safety Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा **'मेंटेनेंस ऑफ़ ए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फॉर द स्टेट'** नामक अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसे अब राज्य सरकारों के पास टिप्पणी और प्रतिक्रिया के लिए भेजा गया है।

बिल की मुख्य विशेषताएं

- **एक समान सेवा:** प्रत्येक राज्य के लिए " **वन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस"**।
- किसी भी असाधारण व्यय की पूर्ति हेतु **फंड** की व्यवस्था जैसे: अग्नि की रोकथाम और जीवन सुरक्षा।
- राज्य की सीमाओं (limits) से परे जमीन और इमारतों पर **"फायर टैक्स"** तथा फायर सर्विस की तैनाती के लिए **फीस**।
- राज्य सरकार फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को एक **अनिवार्य सेवा** के रूप में घोषित कर सकती है।
- **जवाबदेही:**

  यदि किसी संपत्ति का मालिक अपनी लापरवाही के कारण दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे नुकसान की भारपाई के

लिए मुआवजा देना होगा। हालांकि यदि फायर सेफ्टी सिस्टम को कायम नहीं रखा गया तो भवनों के ठेकेदार अभियोजन (prosecution) के लिए उत्तरदायी होंगे।

10.15. टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी फॉर HIV

(Test And Treat Policy For HIV)

CD4 T कोशिकाएं क्या हैं?

- शरीर में मौजूद श्वेत रक्त कणिकाएं जो प्रतिरक्षा (immunity) को मजबूत करती हैं।

HIV टेस्ट

ELISA टेस्ट

- एंजाइम से जुड़ा परीक्षण जो हमारे रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता (detects) है तथा इसे मापता (measures) है।

वायरल लोड टेस्ट

- रक्त के मिलीलीटर में HIV RNA की प्रतियों की संख्या में HIV की मात्रा का पता लगाना।
- जैसे ही कोई व्यक्ति परीक्षण के दौरान पॉजिटिव पाया जाता है उसकी CD4 T की संख्या (CD4 T count) या क्लिनिकल स्टेज कुछ भी हो उसे ART(antiretroviral therapy) का मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा।
- ऐसा HIV संक्रमित व्यक्ति में ही वायरस को दबाने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे दूसरों में इसके संक्रमण की संभावना कम हो जाती है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.